खण्ड-331, अंक-5
बुधवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1900
(12 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार 12 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 334

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेटी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश", डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल "निर्भय", श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद,श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह,श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर,श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजमान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह,श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन , श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम,श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)

धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम,श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेंम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बब्ने माई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा श्री "अरविन्द",
बलदेव,श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे,श्री
बाबू राम प्रभाती,डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद , श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन , श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद , श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री

यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह , श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र , श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राज नाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार , श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण , श्री
राम गोविन , श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी , श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे , श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री

राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी , श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन , श्री
राम सागर , श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह , श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन,श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवंत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह निर्भय, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र , श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्मसिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट--गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती] चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 अप्रैल, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मान्यता प्राप्त संस्कृत लिद्यालयों तथा महाविद्यालयो को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान

**1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला विकास अनुदान नहीं प्राप्त हो सका है जिससे साठ लाख रुपए के विकास अनुदान से संस्कृत विद्यालय वर्ष 1977-78 में वंचित रह गए? यदि हां, तो इसका कारण क्या था? क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

जी नहीं। केन्द्रीय अनुदान हेतु संस्कृत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रार्थना-पत्र समय से न प्राप्त होने के कारण उन्हें भारत सरकार को अग्रसारित करने में विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारणों की जांच करवाई जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से केन्द्र से विकास अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और किस तिथि को प्राप्त हुए और उनकी संख्या कितनी है। निदेशक, इलाहाबाद को कब प्राप्त हुए और सचिवालय को कब प्राप्त हुए?

श्री काली चरण--

61 विद्यालयों के आवेदन-पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1978 को तथा 44 आवेदन-पत्र 22 मार्च, 1978 को सचिवालय में प्राप्त हुए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह निदेशक के यहां कब प्राप्त हुए और उनको कब सचिवालय को अग्रसारित किया गया तथा कितने विद्यालय विकास अनुदान से वंचित रह गए?

श्री कालीचरण--

निदेशक के यहां कब प्राप्त हुए, इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आपने दो प्रश्न कर लिए हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह विकास अनुदान के प्रार्थना-पत्र यहां शिक्षा मन्त्रालय में कब तक आ जाने चाहिए था। अगर नहीं आए तो क्या मन्त्रालय ने इसके लिए कुछ आदेश भेजे, कुछ किया या नहीं?

श्री कालीचरण—

यह आवेदन पत्र 31 अक्तूबर, 1977 तक यहां से अग्रसारित होकर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए था। इसके बारे में संस्कृत निदेशक को 6–10–77 को अवगत करा दिया गया था। उसके बाद 15 दिसम्बर, 1977 और 23 जनवरी, 1978 को अनुस्मारक भी भेजे गए। समय से सूचना न आने के कारण निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि संस्कृत विद्यालयों को अनुदान न मिलने से जो क्षति हुई है उसको क्या शासन पूर्ति करेगा और कब तक करेगा ?

श्री कालीचरण—

इन प्रार्थना–पत्रों को 29 मार्च, 1978 को विशेष वाहक द्वारा भारत सरकार को भेज दिया गया है।

परगना मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बरेली में एक एस0 डी0 एम0 द्वारा वकीलों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जिले के समस्त वकीलों ने उनके न्यायालय में 22 मार्च, 1978 से जाना बन्द कर दिया है तथा आज भी नहीं जा रहे हैं जिससे कि जनता को अतीव असुविधा हो रही है ? इस समस्या को सुलझाने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

(श्री लक्ष्मण सिंह) नियोजन राज्य मन्त्री—

जी हां। यह सत्य है कि बरेली के वकीलों ने 22 मार्च, 1978 से परगना मजिस्ट्रेट, बरेली, कुमारी मधुर शर्मा के तथाकथित दुर्व्यवहार के आरोप पर उनके न्यायालय में जाना छोड़ दिया था। परन्तु 5 अप्रैल, 1978 से पुनः सौहार्द एवं सद्भावना का वातावरण स्थापित हो गया है और सभी वकील न्यायालय में आने लगे हैं। 22 मार्च, 1978 के उपरान्त बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली से वार्ता चल रही थी। दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को जिलाधिकारी की मध्यस्थता से खुले विचार विमर्श द्वारा समस्त भ्रान्तियां एवं मनोमालिन्य समाप्त हो गए हैं और सौहार्द एवं सद्भावना का वातावरण स्थापित हो गया ह। 5 अप्रैल, 1978 से उक्त परगनाधिकारी के न्यायालय में समस्त वकील उपस्थित होने लगे हैं और न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से पूर्ववत चल रहा ह।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध बरेली के वकीलों की क्या शिकायतें थीं और समझौता किन शर्तों के अधीन हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, 22 मार्च, 1978 को बार एसोशिएशन, बरेली ने एक प्रस्ताव पास किया था और उसमें यह शिकायत की गयी थी कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अंग्रेजी का यह प्रस्ताव है। इसमें है कि ये शौर्ट टेम्पर्ड, एरोगेन्ट और आब्सटीनेट हैं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कल ही आपने निर्देश दिये थे..।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं ही इसकी नोटिस ले रहा हूं। आप इन शब्दों का रूपान्तर कीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें यह शिकायत की गयी थी कि ये गुस्से वाली हैं, जिद्दी हैं और मुकदमा लड़ाने वाले बार के सदस्यों के प्रति इनके मन में बहुत कम आदर है और समझौते का जहां तक प्रश्न है एक वकील साहब रंग बहादुर भारतीया हैं, उनका एक व्यक्तिगत मुकदमा उनकी अदालत में लगा था । उसकी बाबत झगड़ा हो गया था और वे चाहते थे कि इस पर उसी दिन निर्णय कर दिया जाय लेकिन उन्होंने कहा कि फाइल देखकर, समझकर नियमों के अनुसार ही निर्णय किया जायगा । तो उन्होंने यह मसला बार में रखा, बार का प्रस्ताव हुआ और कलेक्टर ने इसमें मदाखलत की और समझौते में यह हुआ कि जो वकील लोग हैं, वे अच्छा व्यवहार करें और जैसा कि मैजिस्ट्रेट से आशा की जाती है, वे वकीलों के साथ अच्छा व्यवहार करें । यह बात तय हो गयी और समझौता हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 22 मार्च से 5 अप्रैल के बीच उस कोर्ट का बहिष्कार जारी रहा अर्थात् वादियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने में वकीलों का माध्यम नहीं मिला । मेरी जानकारी है कि मुकदमों का फैसला भी होता रहा । अपना पूर्ण पक्ष प्रस्तुत न कर देने के कारण जो फैसले हुये हैं वादियों के साथ पूरा न्याय नहीं हो सका है । तो क्या इसकी भी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की जायगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जिस बात पर झगड़ा आरम्भ हुआ था वह भी एक तरफा सुनवाई पर तय हो गया था। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा जब वकील नहीं पंहुचे, पार्टीज गयीं तो एक तरफा मुकदमें तय नहीं हुये । अलग–अलग केस थे और एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है । जो नियम होंगे उसी के अनुसार निर्णय हुआ होगा । हर केस के अलग-अलग नियम होंगे ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

**3—श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री एवं कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन दिया है कि वे इस वर्ष महाविद्यालयों की परीक्षाओं में परिप्रेक्षक तथा परीक्षक के रूप में काम नहीं करेंगे, यदि उन्हें परिप्रेक्षक और परीक्षक के रूप में काम करने का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

श्री राजनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ ने जो इस आशय का ज्ञापन दिया है उस पर राज्य सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री काली चरण—

राज्य के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को जब यू0 जी0 सी का वेतनमान दिया गया तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ये कालेज होंगे, उनके प्राध्यापकों को परीक्षा सम्बन्धी किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा । इस शर्त को महा–विद्यालय के प्राध्यापकों ने स्वीकार किया था कि जो भी यू0जी0सी0 का कहना होगा उसका पालन करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी यू0जी0सी0 का वेतनमान लेने के पश्चात् यह प्रार्थना की कि हमको परीक्षाओं के लिये पारिश्रमिक प्रदान किया जाय ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने विचार किया और कुछ संस्तुतियां की, लेकिन वित्त विभाग इससे सहमत नहीं है कि जब यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार किया है, तो कोई अतिरिक्त इनको पारिश्रमिक दिया जाय ।

श्री राजनाथ सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि यू0जी0सी0 वेतन लागू होने के पूर्व जो परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों से लिया जाता था, उतना ही परीक्षा शुल्क यू0जी0सी0 वेतनमान लागू होने के बाद भी लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उस धनराशि को प्राध्यापकों, परिप्रेक्षक और परीक्षक के रूप में कार्य करने के पारिश्रमिक का व्यय सम्मिलित नहीं था ? यदि था, तो क्यों नही उस ढंग से पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, शुल्क तो वही लिया जाता है। विभाग ने अपनी एक टिप्पणी प्रस्तुत की, जिसमें 12 रुपये अग्रसारण शुल्क लिया जाता है, उसमें से 4 रुपये इन अध्यापकों के परीक्षण और निरीक्षण कार्य के लिये लगाने की अपनी संस्तुति की है । जितनी उत्तर–पुस्तिकायें ये जांचेगे उसका 50 प्रतिशत जो 500 रुपये से अधिक न होगा, इन्हें प्रदान करने के लिये अपनी संस्तुति की । जब यू0जी0सी0 स्वीकार किया तो इन अध्यापकों ने यह कहा था कि जो भी आदेश यू0जी0सी0 का होगा, वह हम पालन करेंगे । वित्त विभाग कहता है कि चूंकि इस बात को स्वीकार किया है, यह औचित्य नहीं है, पुनः दुबारा मुख्य मंत्री की सहमति से यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जा रहा है, अगर उसकी सहमति मिल गयी तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन अध्यापकों ने एग्रीमेंट के खिलाफ कार्य किया है और वे ड्यूटी नही दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, अभी ड्यूटी न देने का प्रश्न नहीं है, अभी तो उन्होंने लिखा है कि यह हमारी बात मान ली जाय, यह कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे । अगर यह स्थिति आती है, तो विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई भी अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलावा ऐसे विश्वविद्यालय और हैं इस प्रान्तीय सरकार के अन्दर, जिनसे सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, उनकी दशा क्या इसी प्रकार है कि जो सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, उनके भी अध्यापकों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, प्रत्येक महाविद्यालय जो किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, जिन्हें यू0जी0सी0 वेतनमान मिलता है, उनके सम्बन्ध में नियम यह है कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जितने भी महाविद्यालय होंगे, उनके समस्त परीक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए, उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा । यू0 जी0 सी0 की इस बात को उस समय प्राध्यापकों ने, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने स्वीकार किया है ।

श्री राजनाथ सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन अपनी संस्तुति में यह कहा था कि 5 वर्ष तक वेतन सम्बन्धी अनुदान देने की जिम्मेदा

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन पर होगी और उसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो क्या 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद यह पारिश्रमिक क्या राज्य सरकार प्राध्यापकों को देगी ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इस शर्त से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वेतनमान यू० जी० सी० दे या उत्तर प्रदेश सरकार दे।

भारत सरकार द्वारा गेहूं का निर्धारित मूल्य

****4--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला मुजफ्फरनगर), श्री वंशगोपाल चौबे (जिला फर्रुखाबाद), श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष 1978 के लिए गेहूं के खरीद का मूल्य अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह मूल्य क्या है ? प्रदेश का कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य है और उस खरीद की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

जी नहीं। अभी इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा गेहूं उत्पादकों से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किया जायगा। अतः खरीद हेतु कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जितना भी गेहूं निर्धारित गुण निर्दिष्टियों का कृषक शासन द्वारा स्थापित केन्द्रों पर लावेंगे, खरीदा जावेगा।

क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीदने की समुचित व्यवस्था की गई है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक घोषणा होने में विलम्ब का क्या कारण है ? खरीद के लिए क्या कदम उठा रहे हैं जिससे नया गेहूं बाजार में आने लगे ?

श्री हरिशचन्द्र--

केन्द्र से यह सूचना प्राप्त हुई कि 15 अप्रैल से, जो खरीद करने का निर्णय किया है, उसके पहले वह मूल्य की घोषणा कर देंगे।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को कोई सूची दी है कि कितना मूल्य निर्धारित किया जाय ?

श्री हरिशचन्द्र--

125 रुपया प्रति क्विंटल।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई निश्चित मात्रा में खरीदने की योजना बना रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है कि जितना आएगा उतना खरीदेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, उत्तर में कहा है कि 125 रुपये की संस्तुति की गई है, तो यह किस आधार पर की गई है, इसमें जो उत्पादन का मूल्य है वह भी शामिल है और किसान के अन्य जो व्यय-कर बढ़ रहे हैं वह भी शामिल हैं, इसका आधार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र--

125 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित करने का आधार किसान की कृषि उत्पादन के लिए होने वाली लागत और उस पर 10 प्रतिशत लाभांश रख करके की गई है। कृषि विभाग ने प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 113 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। 10 परसेन्ट लाभांश लगाकर वह 124 रुपया 65 पैसे आती है। इसलिए गोल फीगर बनाकर 125 रुपया प्रति क्विंटल की संस्तुति की गई।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

यह जो गेहूं के खरीदने की व्यवस्था की गई है तो वह क्या व्यवस्था की गई है कहीं गन्ने जैसी व्यवस्था तो नहीं की गई है कि किसान आज तक परेशान है ? कितने केन्द्र खोले जा रहे हैं, भुगतान की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री हरिशचन्द्र--

इसमें 2017 क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन इसके साथ यह भी प्रश्न विचाराधीन है कि यदि कहीं से कोई गांव क्रय केन्द्र से दूर होगा तो अस्थायी क्रय केन्द्र और भी खोले जायेंगे। दूसरी बात, जहां पहले गेहूं के सम्बन्ध में चार ग्रेड थे, चारों ग्रेड के बीच में अन्तर इतना कम था कि बड़ा विवाद उत्पन्न होता था और उसके कारण किसान बहुत परेशान किया जाता था। यह निर्णय कर लिया गया है कि अब गेहूं दो ग्रेड में रखा जायगा--"ए" और "बी" ग्रेड और किसान जिस दिन आयेगा उसी दिन उसका भुगतान सुनिश्चित हो जाय और भी कई ऐसे काम हैं। उस दृष्टि से 12-13 अप्रैल को आज और कल में उत्तर प्रदेश के 13 केन्द्रों पर एक ट्रेनिंग क्लास लगाया गया है जिसमें इन कर्मचारियों को जो क्रय केन्द्र में काम करेंगे उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जायगी जिससे किसान उसी दिन अपना भुगतान ले सके। साथ ही जो चेक के भुगतान में दिक्कत होती थी तो बैंक 5 बजे तक खुला रहेगा जिससे किसान अपना भुगतान लेकर जा सके। यहां शेड्यूल्ड बैंक्स के सम्बन्ध में भी केन्द्र को लिखा गया है कि वे भी 5 बजे तक खुले रहें। केन्द्र इस पर विचार कर रहा है। जो कठिनाई होगी बैंकों को 5 बजे तक खुला रखने में उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 5 बजे तक बैंक खुले रहें।

इसी तरह से साप्ताहिक रूप से गजेटेड आफिसर्स केन्द्रों का निरीक्षण किया करेंगे। कोआपरेटिव विभाग से भी निवेदन किया गया है कि वे अपने बकाया की वसूली जो पहले इस समय किसानों से कर लिया करते थे, उनके पेमेन्ट के समय वह इस वर्ष न करें। इस सीजन में खरीद के समय वह कटौती नहीं होगी। अब किसान को भुगतान उसी दिन हो सकेगा ऐसी व्यवस्था की जायेगी। (व्यवधान)।

श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)--

जिस प्रकार से गन्ने की व्यवस्था काफी देर से की गयी, क्या इसकी व्यवस्था भी देर से होगी क्योंकि किसानों का गल्ला बाजार में आना शुरू हो गया है और अभी तक व्यवस्था क्रय केन्द्रों की नहीं हुई है ?

श्री हरिशचन्द्र—

15 अप्रैल, 1978 से खरीद हम शुरू कर देंगे। पैसे की व्यवस्था भी बैंक से कर दी गयी है।

श्री श्यामधर मिश्र—

सरकार ने भारत सरकार से संस्तुति की है 125 रु0 कीमत पर भारत सरकार राजी नहीं होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। बिक्री का समय आ गया है और बाजार में गल्ला आने लगा है। तो जो किसान अपना गल्ला अभी 109 व 110 के भाव से दे जायेंगे, क्या बाद में उनको शेष रकम का भुगतान किया जायेगा ? क्योंकि आपने 125 रु0 का भाव रखा है।

श्री हरिशचन्द्र—

यह मौका तो किसानों को उस समय था जब कि किसानों की नाकेबन्दी व घेराबन्दी करके उसको तबाह किया जाता था.... (व्यवधान) आज नहीं है वह स्थिति। सारा देश आज एक जोन बन गया है। हम तो 15 अप्रैल से खरीद करेंगे, लेकिन इसके पहले भी किसान अगर गल्ला बाजार में लाता है तो भी उसको अधिक मूल्य बाजार में मिल जायेंगे, उसको इस समय घाटा नहीं होगा। बाजार में इस समय भाव 125—130 के बीच चल रहा है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्रय-केन्द्र का क्षेत्रफल क्या होगा ?

श्री हरिशचन्द्र—

किसी भी काश्तकार को 10 किलोमीटर से अधिक दूर जाना नहीं पड़ेगा। 2,017 क्रय केन्द्र निर्धारित किये गये हैं और यदि आवश्यकता पडी तो अस्थायी क्रय केन्द्र भी खुलवाये जायेंगे जिससे किसानों को अधिक दूर न जाना पडे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मेरठ कमिश्नरी ही आधा गल्ला देती है तो वहां पर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र का कितना फासला है ?

श्री हरिशचन्द्र—

इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि 10 किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की मांगें

*1. श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सत्य है कि विगत डेढ़ माह से अपनी मागों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा उन्हें पूरा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

विश्वविद्यालय से प्राप्त मांगों की सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक मांग को पूरा करने के संबंध में स्थिति इंगित कर दी गयी है।

*(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 729 पर)

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। छात्रों की प्रमुख मांगे थीं कि विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कम करके जैसा कि दूसरे विश्वविद्यालयों में है, वैसा ही कर दिया जाय। कानून में कर दिया है। स्नातक कक्षा में कर दिया गया है। लेकिन स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रतिशत कम कर दिया जाय यह उनकी मांग है। इसी संबंध में मैं पूछना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार के अधीन चलने वाले विश्वविद्यालयों में एक ही तरह का प्रतिशत हो। सभी कक्षाओं में इस विषय में शीघ्र कोई सम्मेलन बुलाकर मंत्री जी कोई निर्णय करेंगे ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन, उत्तर प्रदेश राज्य के कुलपतियों से यह अनुरोध किया गया है जिसको उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है कि सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन हो। तो यह सम्भावना है कि यह सम्मेलन इसी महीनेके अन्त में या अगले महीने के प्रारम्भ में होगा जिसमें इस प्रश्न पर निर्णय लिया जायगा कि जितने उत्तर प्रदेश राज्य के विश्व-विद्यालय हैं सबमें एक ही तरह के नियम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के या श्रेणी के नियम एक तरह के बनाये जायं।

श्री रवीन्द्र सिंह—

कुछ मांगों के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह शासन के विचाराधीन हैं जिसमें विकास शुल्क समाप्त करने, उपस्थिति समाप्त करने, मौखिक परीक्षा को समाप्त करने, यह भी तीन मांगे हैं। आपातकालीन के पूर्व यह नहीं थी यह आपात-कालीन में जोड़ी गयी हैं तो क्या इनके विषय में शासन कोई निर्णय शीघ्र ले लेगा ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, जो मांगे विचाराधीन हैं उस पर शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, छात्रों की 40 मांगें हैं जिनमें से 18 के संबंध में उत्तर दिया गया है कि वह विचाराधीन हैं। मान्यवर, वहां बहुत सी अनियमिततायें हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुछ अपनी समस्यायें हैं, जातिवाद, वित्तीय अनियमिततायें, इत्यादि इत्यादि। तो मैं जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल के इस विश्वविद्यालय के संबंध में जांच करने के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त करने की घोषणा मंत्री जी सदन में करेंगे ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य वह तथ्य प्रस्तुत कर दें जिसमें जांच करानी है तो निश्चित रूप से उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मांग-पत्र में इस आशय की शिकायत की गयी है कि विश्वविद्यालय में जो अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं हैं उनमें भी धांधली और अनियमितता बरती गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मांग के समाधान के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, नियुक्ति का प्रश्न विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलाधिपति से संबंधित है । चूंकि यह स्वायत्तशासी संस्थायें होती हैं इसलिये अगर कोई ऐसी अनियमितता है तो वह कुलाधिपति के पास जाती है । उनका निर्णय अंतिम होता है, इस संबंध में ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, छात्रों की एक मांग यह भी थी कि विधि संकाय के छात्रों की डिप्लोमा कोर्स को करने की छूट हो । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि चूंकि बार काउंसिल ने विरोध किया है लिहाजा सम्भव नहीं है । तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में न केवल डिप्लोमा करने बल्कि डिग्री करने की छूट है तो इस मांग को पूरा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, अब यह छूट लखनऊ विश्वविद्यालय में भी नहीं है और जहां तक क्या कठिनाइयां हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई भी विद्यार्थी जिस संकाय या जिस विषय में अध्ययन करे उसका विशेषज्ञ होना उसका लक्ष्य होगा और उसे होना भी चाहिये । कई–कई डिग्री या डिप्लोमा ग्रहण करें तो मैं समझता हूं कि योग्यता की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कुलाधिपति नियुक्तियों के लिये उत्तरदायी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां मैनेजमेन्ट के और प्रधानाचार्यों के रिलेशन की हो रही हैं, जब कि नियम नहीं हैं, तो क्या इसकी जांच मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे और जो नियुक्तियां हो गयी हैं उनको निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण —

मैंने बताया कि महाविद्यालय जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं उनमें नियुक्तियों के कुछ नियम हैं उसका अनुमोदन कुलपति से लेना होता है । उसके पश्चात भी यदि किसी अनियमितता की शिकायत होती है तो यह कुलाधिपति के पास जाती है । शासन को इस संबंध में कोई भी वैध अधिकार नहीं हैं, शासन के पास इस संबंध में जो भी तथ्य आते हैं विचार हेतु उसकी संस्तुति कुलाधिपति के पास कर दी जाती है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां के छात्रों ने कई दिन लगातार विभागाध्यक्षों का घेराव किया और अस्त व्यस्त स्थिति पैदा की । तो मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं कि शासन ने क्या कार्यवाही इस संबंध में की है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, विश्वविद्यालय में वहां के कुलपति शासन से जो भी सहायता मांगते हैं शासन उनकी सहायता करता है। बाकी संपूर्ण अपने कार्यों की देख रेख और सारी बातों के लिये निर्णय करने में वही सक्षम हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति और जो वहां अव्यवस्था है उसकी जानकारी मंत्री जी को है । तो क्या इस अव्यवस्था के लिये दोषी वहां के जो वाइस चांसलर हैं उनको तत्काल हटाने का आश्वासन मंत्री जी सदन को देंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इस तरह तत्काल कुलपति को हटाने का अधिकार शासन को नहीं है ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, विश्वविद्यालय के अन्दर जो अनियमितायें और गड़बड़ियां हैं उसके लिये किसी आयोग का गठन क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

आर्य कन्या पाठशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहराइच में गबन

*2—श्री बिशुन दयाल (जिला बहराइच) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या पाठशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच में लगभग 40 हजार रुपए के गबन के संबंध में लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र छात्रयुवा संघर्ष समिति, बहराइच द्वारा दिसम्बर, 1977 व जनवरी, 1978 में माननीय शिक्षा मंत्री व संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद को भेजी और प्राप्त हुई तथा आर0 आई0 जी0 एस0, फैजाबाद द्वारा कागजात सील किए गए ? यदि हां, तो अब तक स्पैशल आडिट करा कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि आडिट व जांच न होने से कई लोग इस समय भूख हड़ताल पर हैं और विद्यालय बन्द है ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री सुखपाल पान्डेय—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रिहन्द स्कूल, पिपरी, मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतनमान तथा स्थायीकरण

*2—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा संचालित रिहन्द स्कूल, पिपरी, मिर्जापुर के अध्यापकों को वेतन आयोग 1971-73 की संस्तुति के अनुसार राजकीय वेतनमान न देकर पुराना वेतनमान दिया जा रहा है और पिछले 21 वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को अस्थायी ही रखा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अव्यवस्था का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

जी हां ।

वेतन आयोग (1971-73) द्वारा की गयी संस्तुतियों की सूची में प्रश्नगत अध्यापकों के वेतनमान पुनरीक्षित होने से रह गये थे । सिद्धान्त रूप से शासन ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि इनको शिक्षा विभाग के समकक्ष अध्यापकों के समान वेतनमान दिये जायं । औपचारिकतायें पूरी कर के आदेश शीघ्र ही निर्गत किये जायेंगे ।

प्रश्नगत स्कूल के भवन तथा सज्जा आदि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के स्वामित्व में है और स्कूल के अनुरक्षण पर व्यय का वहन भी उक्त परिषद् द्वारा किया जाता है। अध्यापकों के वेतन पर व्यय का वहन सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त परिषद् के परामर्श से स्कूल को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रश्न शासन के बिचाराधीन है। अतः प्रश्नगत अध्यापकों के पदों को स्थाई नहीं किया जा सका है।

*3—श्री ईश्वर प्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण, निर्माण मण्डल, ओबरा, मिर्जापुर के अर्ध० शा० पत्र संख्या 4061/ओ० डी० सी०/बया–4, दिनांक 26 नवम्बर, 1975 एवं पत्रांक 38/74/ओ० डी० सी०/ई–53, दिनांक 21 अप्रैल, 1975 के अनुसार वेतनमान व स्थायीकरण को लेकर दिनांक 12 जुलाई, 1977 से रिहन्द स्कूल, पिपरी के अध्यापकों ने हड़ताल कर दी थी जिसे ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री, श्री सूबेदार सिंह ने अपनी जिम्मेदारी पर मध्यस्थता करके दिनांक 17 जुलाई, 1977 को हड़ताल समाप्त करवा दी थी ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता को संस्तुति के अनुसार वेतन देकर सेवाएं स्थायी घोषित कर दी गयीं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? और कब तक आदेश निर्गत हो जायेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

अध्यापकों के वेतन मान तथा स्थायीकरण की स्थिति पर प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के अनुसार है। इन मामलों में यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़ के हरिजन छात्रों के साथ अपमानजनक बर्ताव सम्बन्धी आवेदन पत्र।

*4—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़ के गुलाब चन्द्र आदि हरिजन छात्रों (छात्राध्यापकों) को अपमानित और छुआछूत का घोर बर्ताव हो रहा है, के सम्बन्ध में छात्राध्यापक दिनांक 23 जून, 1977 को मुख्य मन्त्री, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तथा दिनांक 26 अगस्त, 1977 को जिलाधीश, आजमगढ़ आदि को न्याय दिलाने हेतु आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक किन-किन अधिकारियों ने किन-किन तारीखों को जांच किया ? जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है ? जांच में दोषी कर्मचारियों/अधिकारी आदि के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, 23 जून, 1977 तथा 26 अगस्त, 1977 के शिकायती-पत्र प्राप्त हुये नहीं प्रतीत होते। अतः उसके सम्बन्ध में जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*5—श्री दया राम भास्कर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्र एवं अध्यापक के आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12 नवम्बर, 1977, दिनांक 14 नवम्बर, 1977 को शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, मुख्य मंत्री और जिलाधीश, आजमगढ़ को, आवश्यक कार्यवाही और उत्पीड़न को समाप्त करने को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

केवल 12 नवम्बर, 1977 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में जांच कराई गई । आरोप निराधार सिद्ध हुये । फिर भी छात्रावास अधीक्षक को, जिनके प्रति हरिजन छात्राध्यापकों को असंतोष था, छात्रावास अधीक्षक के पद से हटा दिया गया है ।

श्री दयाराम भास्कर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायतें क्या थीं और किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह शिकायती पत्र एक लम्बा पत्र है । इसमें मुख्य बात यह है कि वहां पढ़ने वाले जो हरिजन छात्र हैं उनका कहना है कि छात्रावास के अधीक्षक जातिगत आधार पर उनसे भेदभाव करते रहे हैं, उनको परेशान करते रहे हैं और साथ ही उनको धमकी देते रहे हैं कि परीक्षा में फेल कर देंगे । यह शिकायतें हैं जो बेसिक शिक्षा महिला और बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों से दो बार जांच करायी गयी ।

श्री दयाराम भास्कर—

मान्यवर, दो पत्र रजिस्टर्ड भेजे गये । दूसरा पत्र मैंने भेजा था । लेकिन इन रजिस्टर्ड पत्रों को अधिकारियों ने छिपाया है । आज भी हरिजन छात्र बाहर रहते हैं । बाल्टी को लेकर वहां छुआछूत की गयी । हरिजन छात्रों को गन्दे नापदान पर बैठाया गया । हरिजनों में क्षोभ है । पिछली सरकार में भी जिन बातों को करने का साहस नहीं होता था वह आज हो रही हैं । क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री काली चरण—

माननीय सदस्य इस तरह की सूचना दे रहे हैं तो यहां निदेशालय से किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी पुनः जांच करा लेंगे । जो दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री गुलाब सेहरा—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में । मंत्री जी ने स्वीकार किया कि छुआछूत के आरोप में अधीक्षक को उस पद से हटा दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि अनटचएबिलिटी ऐक्ट जो कागनेजेबुल आफेन्स है उसके अन्तर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री काली चरण—

मैंने यह बताया कि अब तक जो जांच हुई है उसमें यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ । चूंकि कुछ छात्रों को असंतोष था इसलिये उनके असंतोष को देखकर उनके पद से अधीक्षक को हटा दिया गया । अब पुनः जांच कराने के बाद यदि आरोप सही पाये जायेंगे तो विधिक दृष्टि से जो उचित कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा जगत में हरिजन छात्रों के साथ उत्पीड़न की शिकायतें बराबर आती जा रही हैं तो उनके समाधान के बारे में प्रदेश के पैमाने पर कोई योजना बना रहे हैं या इस पर विचार कर रहे हैं !

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता । आप कैसे मानते हैं कि यह सब जगह है । यह केवल आजमगढ़ की शिकायत है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन तो दिया है लेकिन क्या इस बात की भी जांच करेंगे जसा माननीय सदस्य ने कहा ह कि शिकायती पत्र भेजा गया है और उस शिका-

यती पत्र पर अधिकारियों ने गौर नहीं किया रद्दी की टोकरी में डाल दिया । इस बात की भी जांच करेंगे कि शिकायती पत्र जो है वह अधिकारियों तक पहुंचाया नहीं और उस पर अधिकारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इस की भी जांच करा ली जायगी ।

जिला फर्रुखाबाद, ग्राम रशीदपुर के श्री राम दयाल की भुमि का इंदराज

*6—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम रशीदपुर, डाकखाना रसीदाबाद तिवारियान, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के श्री राम दयाल से प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ में यह शिकायत दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई है कि उनके खेतों की आब-पाशी पतरौल एवं अमीन ने बिना जांच किये हुये गलत अंकित किया है ? क्या यह भी शिका-यत मिला है कि कुछ काश्तकारों की सिंचित भूमि को असिंचित दिखा दिया है ? यदि हां, तो मामले की जांच किसके द्वारा करवाई गई है और क्या तथ्य सही पाये गये और क्या कार्य-वाही की गयी ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

जी हां । मामले की जांच उप राजस्व अधिकारी के माध्यम से जिलेदार रिमाडिलिंग डिवीजन, लोअर गंगा कैनाल, एटा द्वारा की गई तथा यह तथ्य पाया गया कि श्री राम दयाल के खेतों को शामिल बरहा होने के कारण रबी 1384 फसली में इन्द्राज किया गया, जो सही है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई के बाद इन्द्राज करने के बाद पहले एक नोटिस जाता था जो अब बन्द कर दिया गया है । क्या मंत्री जी नोटिस फिर जारी करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, जहां तक श्री राम दयाल, जो कृषक है इनका प्रश्न है इन्होंने 1978 में लिख कर यह दे दिया था कि मेरा जो भ्रम था वह दूर हो गया है और शामिल बरहा में आबपासी दर्ज थी इसकी जांच हुई थी । इस सम्बन्ध में 13 जनवरी, 1978 को एसिस्टेन्ट इंजीनियर ने जांच कर के माननीय विधायक को स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

प्रदेश में राजकीय संस्कृत विद्यालय तथा महाविद्यालय तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान

*7—श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय तथा महाविद्यालय हैं और उन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है साथ ही यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाध्यापकों का वेतन-क्रम सहायक अध्यापकों से कम क्यों है ? क्या सरकार उसे ठीक करेगी ?

श्री काली चरण—

राजकीय संस्कृत विद्यालय—6
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय—2

(क) एल0टी0 (रु0 300–550)
(ख) सी0टी0 (रु0 250–425)
(ग) जे0टी0सी0 (रु0 200–320)

प्रधानाध्यापक पद नाम से कोई पद सृजित नही है । अत: उनका वेतनक्रम कम होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बी० ए० और बी० एस० सी० की उत्तीर्ण छात्राओं को छात्रवृत्ति

*8—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशिका, गृह कला एवं गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी रोड़, आगरा द्वारा मैरीटोरियस छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये बी0ए0 और बी0एस–सी0 की उत्तीर्ण छात्राओं के प्रार्थना पत्र संस्तुति होकर, दिसम्बर, 1976 तथा जनवरी व फरवरी, 1977 में अतिरिक्त सहायक शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा (वित्त–3), इलाहाबाद को भेजे गये ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति के कितने फार्म प्राप्त हुये और उन प्रार्थियों के नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान पर आने वाली छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी छात्रवृत्ति ऐसी छात्रा को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

छात्रवृत्ति के लिये कुल चार फार्म निदेशालय में प्राप्त हुये और प्रार्थियों के नाम ये हैं:–

1—कुमारी रजनी बंसल, बी0ए0(गृह कला)
2—कुमारी निरूपमा नागर, बी0ए0 (गृह कला)
3—कुमारी आभा दीक्षित, बी0एस–सी0
4—कुमारी शरद प्यारी अरोरा, बी0एस–सी0 (गृह विज्ञान)

प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान पर आने वाली छात्रा कुमारी रजनी बंसल को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति दिये जाने के कब आदेश किये गये हैं और कब तक मिल जायगी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है ।

त्रिसूत्री लाभ योजना के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल के अवकाशप्राप्त अध्यापको की पेशन की राशि

*9–श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के लिए 1 अक्तूबर, 1964 को लागू की गई त्रिसूत्री लाभ योजना के अन्तर्गत पेंशन देने की दर रखी गई थी तथा पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए कोई फार्मूला निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या वर्तमान समय में बढ़ी हुई महंगाई व बढ़े हुए वेतन–क्रम को देखते हुए उक्त पेंशन के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा 100 रुपया या उससे अधिक निर्धारित करने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा ?

श्री काली चरण––

जी हां ।

फार्मूला—अर्ह सेवायें (वर्ष) × 36 मास का औसत वेतन
———————————————
120

विधान सभा

राजाज्ञा दिनांक 10 मार्च, 1978 के द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया है कि जूनियर हाई स्कूलों के 1 मार्च, 1977 को या उसके बाद सेवा निवृत्त स्थायी पूर्णकालिक एवं नियमित शिक्षकों को भी उसी दर पर पेंशन देय होगी जिस दर पर वह राजकीय विद्यालयों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षकों को अनुमन्य हैं।

श्री ओंकार नाथ—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि त्रि–सूत्रीय योजना के 1 अक्तूबर, 1964 से लागू होने से राजाज्ञा की अवधि दिनांक 10 मार्च, 1978 तक जो अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं इस अवधि के बीच उनको भी इसी फार्मूं ले के अनुसार शासन पेंशन देने का विचार कर रहा है ?

श्री काली चरण—

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वर्तमान मंहगाई को देखते हुए क्या शिक्षा मन्त्री कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेंशन की न्यूनतम दर 100 रुपए प्रति माह होगी ?

श्री काली चरण—

इस तरह का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री ओंकार नाथ—

राजकीय विद्यालयों के समान स्तर पर जो अन्य शिक्षकों को पेंशन दी जायगी, उसकी क्या दरें हैं ?

श्री काली चरण—

उनके सेवाकाल का अन्तिम वेतन गुणे सेवा काल की अवधि बटा 80।

उसका–थानी रोड को पक्का बनाने का विचार

*10—श्री मथुरा प्रसाद पण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका–थानी रोड का वह हिस्सा जो बस्ती जिले में पड़ता है उसकी हालत बहुत खराब है ? क्या सरकार इस रोड को तारकोल रोड बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब पूर्ण होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (मोहम्मद मसूद खां)—

जी नहीं।

जी हां।

निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

[बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल, 1978 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रियासत हुसैन—

[22 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित।]

सिंचाई विभाग में कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स संगठन का गठन

*2—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि सिंचाई विभाग में कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स संगठन के गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

शारदा प्रसाद रावत—

जी हां। अभी विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन—

यह विषय बहुत गम्भीर है और सन् 75 से विचाराधीन है तो क्या माननीय मन्त्री बतला सकेंगे कि शासन कब तक फाइनल निर्णय इस पर लेलेगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

वर्ष 1975–76 के बाद बजट के समय तत्कालिक सिंचाई मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। उसके पश्चात् इस समय सिंचाई विभाग के पुनर्गठन का जो मामला शासन के विचाराधीन है उसमें इसे स्वीकार कर लिया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है। इस महीने की 3–4 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है और इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम करके एक एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय खोलने की मांग

*3—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम करके एक एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं खोलने की मांग विभिन्न वर्गों, संगठनों, संस्थाओं ने शासन से वर्ष 1976–77 में की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री काली चरण—

इस प्रकार की मांग शासन से की गई है। यह नीति विषयक मामला है जो शासन के विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कितने महाविद्यालय हैं और किन–किन वर्ग तथा संगठनों ने एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है ?

श्री काली चरण—

इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 93 महाविद्यालय हैं। कब–कब और किस–किस ने मांग की है उसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बतलाएगी कि सिद्धान्त रूप में उसने स्वीकार कर लिया है कि गोरखपुर में एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाय और अगर स्वीकार कर लिया गया है तो क्या टर्म्स आफ रिफरेंस हैं और उनके किन–किन पहलुओं पर विचार हो रहा है ?

श्री काली चरण—

ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अगर स्वीकार कर लिया गया है तो विचाराधीन हो ही नहीं सकता। अगर विचाराधीन है तो अभी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं विचाराधीन है।

श्री जानर्दन प्रसाद ओझा—

मैंने इस में दो चीजें अर्ज की थीं। जब शासन किसी चीज पर विचार करता है तभी तो वह चीज सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जाती है। तो जब उसे सिद्धान्त रूप में शासन ने स्वीकार कर लिया तो उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स के सम्बन्ध में . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह नहीं कहा है कि सिद्धान्त रूप में हमने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह भी विचाराधीन है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय ही ऐसा है जिसमें 50 से अधिक यानी 93 एफिलियेटिंग कालेजेज हैं? क्या यह बात भी सही है कि हर डिवीजन में एफिलियेटिंग कालेजेज और यूनिवर्सिटी है? वाराणसी डिवीजन में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या ऐसी मांग की गई है कि ज्ञानपुर में भी एक यूनिवर्सिटी बनायी जाय ४

श्री काली चरण—

श्रीमन्. पूर्वांचल के जितने जिले हैं उनमें प्रत्येक जिले से मांग की गई है कि हमारे यहां एक विश्वविद्यालय खोला जाय। ज्ञानपुर से भी यह मांग की गई है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वाराणसी की हर तहसील में एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाय।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक विश्वविद्यालय के अधीन 93 एफिलियेटिंग कालेजेज हैं, जिसके चलते परीक्षा आयोजित करने, उनके रिजल्ट्स आउट करने, विद्यार्थियों के एडमिशन करने आदि में विलम्ब होता है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर कोई निर्णय लेगी?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह बात सही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय आवासीय और सम्बद्ध दोनों तरह का है। उससे सम्बद्ध जो महाविद्यालय हैं उनकी संख्या भी वहां अधिक है जिनके कारण ये कठिनाइयां आती हैं। इसका समाधान कैसे निकाला जाय, यह प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है।

राजकीय इण्टर कालेज, फतेहगढ़ के अध्यापकों द्वारा बच्चों के साथ दुराचरण

*4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें राजकीय इण्टर कालेज, फतेहगढ़ के छोटे बच्चों के साथ दुराचरण करने की गम्भीर शिकायतें अध्यापकों के विरुद्ध माह अगस्त–सितम्बर, 1977 में मिली हैं? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा और कब करवाई गई है? क्या यह सही है एक सम्बन्धित दुराचारी अध्यापक का स्थानान्तरण फतेहगढ़ से 3 मील दूर फर्रुखाबाद कर दिया गया है? क्या शिक्षा मन्त्री ऐसे दुराचारी अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री काली चरण—

केवल एक अध्यापक के विरुद्ध इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को की गई।

तत्पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने भी इस प्रकारण में जांच की। प्रसंगत अध्यापक का स्थानान्तरण फर्रुखाबाद में लगभग आठ किलोमीटर दूरी पर स्थति एक अन्य राजकीय इंटर कालेज में कर दिया गया है। दुराचरण का आरोप सिद्ध न होने के कारण कोई अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि वहां एक 9वीं कक्षा के छोटे बच्चे के साथ एक गम्भीर दुराचरण की शिकायत थी और दण्ड स्वरूप उस अध्यापक का फतेह-गढ़ से फर्रुखाबाद स्थानान्तरण कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि वह साबित नहीं हुआ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

माननीय मंत्री जी कह दें कि इन्क्वायरी के समय शिकायत-कर्त्ता को अपनी बात कहने का मौका दिया गया था!

श्री काली चरण--

श्रीमन्, शिकायतकर्त्ता ने भी दुराचरण के प्रयास की शिकायत की है और उस में अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनसे पूछा गया या नहीं लेकिन सम्बन्धित प्रधानाचार्या और जिला निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि उनके मां-बाप से नहीं पूछा गया और न उस बच्चे से ही पूछा गया। बिना उन से पूछे सम्बन्धित अध्यापक का ट्रांसफर 4 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे और तब हमें उत्तर देंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसमें जांच हो चुकी है और अब कोई नई जांच का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

यह जांच कहां हुई ? उसके मां बाप से नहीं पूछा गया।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि प्रधानाचार्य की आख्या पर इसे समाप्त कर दिया गया। एक छोटे लड़के के साथ अध्यापक द्वारा दुराचरण की शिकायत है क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीकालीचरण--

श्रीमन्, मैंने कहा कि इसकी जांच प्रधानाचार्य ने तथा जिला विद्यालय निरीक्षक ने की। किसी की आख्या पर समाप्त नहीं किया गया। दोनों ने जांच की और जांच-रिपोर्ट पर यह किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, एक छोटे बच्चे ने शिकायत की है कि उसके लिए कोई चश्मदीद गवाह मिलना असंभव है। यह एक गंभीर आरोप लगाया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य की

सूचना है उस बच्चे से पूछताछ तक नहीं की गई। अध्यापक को केवल इतनी सजा दी गई कि उसे 4 कि0 मी0 दूर ट्रांसफर कर दिया गया। इतने गम्भीर आरोप को देखते हुए और उस भोले-भाले बच्चे की शिकायत को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी द्वारा जांच करायेंगे और संबंधित अध्यापक को कठोरतम दंड देंगे ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, जिला विद्यालय निरीक्षक जब जांच में गये थे माननीय सदस्य की एक शिकायत है कि संबंधित व्यक्ति से पूछा नहीं गया, जांच के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक के बार-बार प्रयास करने पर वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये। जिन्होंने शिकायत की थी वह उपस्थित नहीं हुए। अब जो शिकायत की जा रही है यदि माननीय सदस्य जिम्मेदारी लें कि वह उनको उपस्थित करेंगे .....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तेजित मत होईये।

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)--

मैं, शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूंकि प्रधानाचार्य और जिला विद्यालय निरीक्षक दोनों ऐसा लगता है कि उस अध्यापक से सहानुभूति रखते हैं। तो क्या शिक्षा मंत्री जी उसकी उच्चस्तरीय जांच डायरेक्टर स्तर पर या डिप्टी डायरेक्टर स्तर पर या इंटेलिजेंस से करायेंगे क्योंकि यह गंभीर मसला है ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, मैं पुनः कह दूं कि एक तो प्रिंसिपल ने जांच की और दूसरा जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें। मंत्री जी ने, अपना उत्तर दिया है और उससे आपको संतोष नहीं है तो उसकी प्रक्रिया नियमावली में और तरीका है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

श्रीमन्, प्रधानाचार्य ने जांच नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी आप दूसरा प्रश्न कीजिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक की जो रिपोर्ट है वह असंतोषजनक है। या ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी निदेशक द्वारा या किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा पुनः जांच करायेंगे ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, जांच करा ली जायेगी।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जांच कराई जायेगी। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि यह जांच पुलिस द्वारा कराई जायेगी और शिक्षा विभाग द्वारा नहीं कराई जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह हो गया कि जांच उच्च अधिकारी द्वारा होगी।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

यह जानकारी मिली है कि अध्यापक का प्रधानाचार्य से काफी निकट का संबंध है .....

अध्यक्ष—

यह तो आपका आरोप है ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

माननीय मंत्री जी ने दुबारा जांच का आश्वासन दिया है । तो क्या वह आश्वासन देंगे कि उस वक्त तक उस छात्र को उसी जगह पढ़ने दिया जायगा ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, उस छात्र को वहां से हटाया नहीं गया है ।

कालविन इंटर कालेज, महमूदाबाद सीतापुर में छात्रों की संचाइका की जमा धनराशि

*5—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालविन इंटर कालेज, महमूदाबाद जनपद सीतापुर में सन् 1975 में छात्रों की संचाइका की जमा धनराशि छात्रों में नहीं बाटी गई ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रधानाचार्य ने उक्त धन को किसी मद में खर्च कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूरा विवरण देने की कृपा करेगी?

श्री काली चरण—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में तटबन्ध बनाने की योजना

*6 श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि पिछले शासन ने वर्ष 1974–75 में गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में आमी नदी के दोनों तरफ तटबन्ध बनाने की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

वर्ष 1975 में आमी नदी के दोनों किनारे पर मगहर से लेकर राप्ती नदी के संगम तक बांध बनाने की परियोजना बनाई गई थी जिसे मई, 1976 में राजकीय बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था ।

वर्तमान समय में पुनः आमी नदी के मगहर से राप्ती नदी के संगम तक तट बांध योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष औपचारिकताएं पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आपातकाल में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कालविन ईंटर कालेज, महमूदाबाद की जमीन खरीद कर भवन निर्माण कराना

*7—श्री रामनरायन वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि आपातकाल स्थिति में भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री अम्मार रिजवी ने कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद जनपद सीतापुर की जमीन खरीद कर भवन निर्माण करवा लिया है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी तथा किस खाते में जमा है ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रदर्शन

*8—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के सहायक अभियन्ताओं का एक प्रदर्शन दिनांक 30 अगस्त, 1977 को लखनऊ की मुख्य-मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ उनके निवास स्थान पर पहुंचा और एकमांग-पत्र पेश किया ? यदि हां, तो उस मांग के मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं का एक प्रदर्शन 20 अगस्त, 1977 को हुआ था । इनकी मांग के मुख्य मुद्दे निम्नांकित हैं:—

(1) तदर्थ नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का नियमितीकरण तथा

(2) सनवाल समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर के विद्यार्थियों द्वारा प्रदशन तथा ज्ञापन

*9—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकरी है कि हाल ही में जिला अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर के विद्यार्थियों ने एक जलूस मऊरानीपुर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर निकाला जिसमें उन्होंने बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा0 मलिक क इस्तीफे की मांग की और अपना एक ज्ञापन वहां के परगनाधिकारी महोदय को प्रेषित किया? यदि हां, तो उन छात्रों के ज्ञापन के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री काली चरण—

जी हां । अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर के विद्यार्थियों ने 25 अक्तूबर, 1977 को एक जलूस निकाला और अपना एक ज्ञापन परगनाधिकारी, मऊरानीपुर को दिया था। छात्रों ने कुलपति, डा0 मलिक के इस्तीफे की मांग नहीं की थी । छात्रों के ज्ञापन में मुख्यतया उनके महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कराये जाने की मांग थी ।

जनपद गोंडा यें मसकनवा से बभनान तथा बस्ती में बभनान- हरैया मार्ग का निर्माण

*10—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मसकनवा से बभनान, जिला गोंडा, बभनान से हरैया, जिला बस्ती उपरोक्त दोनों सड़कों पर, नवम्बर, सन् 1977 तक सरकार द्वारा

कितना धन व्यय किया जा चुका, यह सड़क कितनी बनकर तैयार हुई और कितनी बनना शेष है और उपरोक्त दोनों सड़कों के कब तक बनकर तैयार होने की सभावना है ? उक्त दोनों सड़कों के संबध में 1973 से नवम्बर, 1977 तक कितने प्रार्थना-पत्र निर्माण कराने के लिये शासन को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनपद गोंडा में मसकनवा से बभनान मार्ग के प्रथम 1.650 कि0 मी0 लम्बा भाग पर नवम्बर, 1977 तक कुल 93,904 रुपये 20 पैसे व्यय किये गये। जनपद बस्ती में हर्रैया-बभनान मार्ग सी0 सी0 ट्रैक है जिसके पुनर्निर्माण स्वीकृत नहीं है। वार्षिक मरम्मत के अनुदान से इस मार्ग की मरम्मत की जाती है।

जनपद गोंडा में मसकनवा से बभनान मार्ग का प्रथम 1.650 कि0 मी0 भाग बन कर तैयार है। 15.350 कि0 मी0 भाग बनना शेष है। जो अभी स्वीकृत नहीं है। जनपद बस्ती में हर्रैया-बभनान मार्ग 17 कि0मी0 की लम्बाई में सी0 सी0 ट्रैक है। यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

दोनों सड़कों के बन कर तैयार होने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

जनपद गोंडा की उपरोक्त मार्ग के संबंध में 6 प्रार्थना-पत्र एवं जनपद बस्ती की उपरोक्त मार्ग के संबंध में 4 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। धनाभाव के कारण इन मार्गों का निर्माण अभी स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

अधिशासी अभियन्ता पर कैश क्रेडिट का प्रतिबन्ध

*11--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता पर कैश क्रैडिट का प्रतिबन्ध सन् 1973-74 से लगा है ? यदि हां, तो कितना रुपया प्रत्येक माह में खर्च कर सकते हैं ? क्या सरकार 1973-74 से पहले जिस प्रकार कार्य हो रहे थे उसी प्रकार सरकार कार्य कराने का आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

अधिशासी अभियन्ताओं पर कैश क्रैडिट प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 1974 से लगा है। अधिशासी अभियन्ता मुकर्रर कैश क्रैडिट लिमिट के मुताबिक ही खर्च कर सकते हैं। कैश क्रैडिट लिमिट सिस्टम से खर्च को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफलता मिली है। इसको हटाने का अभी इरादा नहीं है।

सिचाई विभाग के मिस्त्रियों की अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये परीक्षा

*12--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-31 मई, 1977 को सिचाई विभाग के मिस्त्रियों की अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये जो परीक्षा बरेली केन्द्र पर हुई थी, उसमें नकल किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा अवैध करार दी गई ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई। जांच आख्या के अनुसार शिकायत सही नहीं पाई गई, अतएव प्रश्नगत परीक्षा को अवैध घोषित नहीं किया गया।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) तथा श्री दव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अपनी मांगों को लेकर 3 दिसम्बर, 1977 से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनको स्वीकार किये जाने के बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री काली चरण---

इन अध्यापकों ने 3 दिसम्बर, 1977 से नहीं, अपितु 2 दिसम्बर, 1977 से हड़ताल की थी । इनकी मांगें संलग्नक में अंकित है । शासन की नीति राज्य की आर्थिक सीमाओं के अन्दर उचित मांगों को स्वीकार करने के पक्ष में हैं ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 733 पर)

शारदा सहायक परियोजनान्तर्गत गोमती नदी पर पुल निर्माण में गोलमाल

*14---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के सम्बन्ध में गोमती नदी पर नहर पुल के निर्माण के लिये योजना लागू करते समय कितने रुपये व्यय का अनुमान था तथा वर्ष 1977 तक अनुमान बढ़कर कितने रुपया हो गया ? क्या इस व्यय वृद्धि के पूर्व स्वीकृति ली गयी ? यदि नहीं, तो इस गोल माल की सरकार द्वारा कोई जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आया ?

श्री बलवीर सिंह---

जी हां । न्यूनतम निविदा के आधार पर इस कार्य की अनुमानित लागत 419.20 लाख रुपये थी । वर्ष 1977 तक कुल लागत 1450 लाख रु0 हो गई । संशोधित लागत के आधार पर अनुबन्ध करने की स्वीकृति शासन से नही मांगी गई थी । इस मामले में जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त ही सही तथ्य प्रकाश में आयेंगे ।

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज लखनऊ की अध्यापिकाओं का वेतनमान

*15---श्री शिवानन्द नौटियाल---

विधान सभा के 31 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ की अध्यापिकाओं को "अब वह वेतन देने को तैयार हो गये हैं और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी शासन से ले ली है" ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 7 दिसम्बर, 1977 तक गत 6 माह का वेतन उनको अभी तक क्यों नही मिल पाया और वह कब तक मिल पायेगा ?

श्री काली चरण---

जी हां ।

संस्था की शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का है । अगस्त, 1977 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है । वेतन भुगतान में बिलम्ब का कारण प्रबन्धक की अनियमितता के कारण धनाभाव है ।

*16---श्री ऊदल---

[29 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 23 द्वारा उत्तरित]

जिला पूर्ति विभाग, आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा पिछड़ी जाति का कोटा

*17---श्री दया राम भास्कर---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला पूर्ति विभाग में प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें पिछड़े वर्ग व हरिजनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी

में क्या है ? यदि कोटा पूरा नहीं है तो पिछड़ी जाति का 15 प्रतिशत व हरिजनों का 18 प्रतिशत कोटा कैसे और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जिलापूर्ति कार्यालय आजमगढ़, में तृतीय श्रेणी के कुल 44 तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 8 कर्मचारी कार्यरत हैं । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 7 तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या--3 है । चतुर्थ श्रेणी में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या--4 तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या--1 है । तृतीय श्रेणी में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का कोटा 16 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में 50 प्रतिशत है, जो उनके लिये निर्धारित आरक्षण से अधिक है । तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का कोटा क्रमश: 6--8 प्रतिशत तथा 12--5 प्रतिशत है । इस प्रकार तृतीय श्रेणी में पिछड़ीजाति तथा अनुसूचित जाति का कोटा मिलाकर 22.8 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में 62.5 प्रतिशत है । भविष्य में रिक्तियां होने पर ही आरक्षण के अनुसार समायोजन किया जा सकता है ।

लखनऊ पालीटेक्निक के छात्र लिपिक की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी

*18--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1977 में लखनऊ स्थित कृष्णानगर पालिटेकनिक स्कूल का कोई छात्र लिपिक सतर्कता विभाग द्वारा घूस लेते हुये अपने निवास स्थान पर रंगे हाथ पकड़ा गया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

लखनऊ पालीटेक्निक, जो एक स्वशासी संस्था है, के एक छात्र लिपिक को सतर्कता विभाग ने अगस्त, 1977 में रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया था । संस्था ने सतर्कता विभाग से सूचना की पुष्टि होने पर लिपिक को निलम्बित कर दिया है ।

गन्डक नहर के समीपस्थ खेतों में सिंचाई की असुविधा तथा भूगर्भ जल स्तर बढ़ने का निराकरण

*19--श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुख्य गण्डक नहर के समीपस्थ खेतों में सिंचाई की सुविधा न होने से किसानों को गम्भीर क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या समीपस्थ खेतों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

गण्डक नहर के समीपस्थ खेतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इतनी बड़ी नहर में एवं लाइन्ड नहर में कुलाबे नहीं दिये जाते बहुत थोड़े भाग में जहां से उप-शाखायें बड़ी नहर से निकलती हैं कुलाबों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ।

2--उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन तथा गंडक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि गण्डक नहर के समीपस्थ क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति है । इसके निराकरण हेतु इस क्षेत्र में 250 आगमेन्टेशन--कम--कन्ट्रोल नलकूप, जिनकी प्रत्येक की क्षमता लगभग 3 क्यूसेक होगी, तुरन्त लगाना प्रस्तावित है । भविष्य में इस प्रकार के और नलकूपों के लगाने की भी योजना है जिससे कि जल स्तर बढ़ने नहीं पायेगा तथा अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी ।

*20—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मंत्री को यह भी जानकारी है कि मुख्य गन्डक नहर के समीप जलस्तर अत्यधिक ऊपर होने से भूगर्भीय लवण व क्षार वाष्प रूप में ऊपर आ रहे है, जिससे लाखों एकड़ भूमि भू भाग के ऊसर होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

जैसा कि प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के पैरा—2 में कहा गया है ।

*21–22—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[तीसरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46–47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।] ।

महात्मा गांधी इण्टर कालेज, सफीपुर को संस्कृत विषय में दी गई मान्यता

*23—श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के महात्मा गांधी इन्टर कालेज, सफीपुर को वर्ष 1974 में शासन द्वारा इन्टर कक्षा के लिये जीव–विज्ञान की मान्यता प्रदान किए जाने का आदेश किया गया था ? और वर्ष 1975 में जब आदेश निर्गत किया गया तो जीव–विज्ञान के बदले संस्कृत की मान्यता प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को जीव–विज्ञान की मान्यता प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। वर्ष 1974 में शासन द्वारा इस विद्यालय को इन्टर में जीव विज्ञान की मान्यता हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये थे । वर्ष 1975 में इस विद्यालय को इन्टर वैज्ञानिक वर्ग के अन्तर्गत केवल एक अतिरिक्त विषय संस्कृत की मान्यता दी गई थी । विद्यालय द्वारा जीव विज्ञान विषय की मान्यता हेतु गत वर्ष दिया गया प्रार्थना-पत्र अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है ।

राजेन्द्र प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम औसिया के नाम ग्राम समाज द्वारा किया गया पट्टा

*24—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के ग्राम औसिया में राजेन्द्र प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ग्राम समाज ने लगभग 30 बीघा कृषि योग्य भूमि का पट्टा किया था ? किन्तु उक्त भूमि पर विद्यालय के प्रबन्धक का कब्जा है और उस भूमि से होने वाली समस्त आय प्रबन्धक महोदय के निजी उपयोग में आती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी हां, ग्राम औसिया में राजेन्द्र प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम ग्राम समाज ने लगभग 30 बीघा भूमि का पट्टा किया था परन्तु प्रबन्धक के कथनानुसार समस्त भूमि कृषि योग्य नहीं है ।

जी हां, प्रबन्धक का कब्जा है प्रबन्धक के कथनानुसार भूमि से उपलब्ध आय विद्यालय के उपयोग में आती है । इस बारे में विभागीय जांच की जा रही है ।

इस संबंध में विभागीय जांच चल रही है ।

नेशनल इण्टर कालेज, पिन्डरा, वाराणसी को अनुदान

*25—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज, पिन्डरा, वाराणसी के लिये इधर पांच वर्षों से लाइब्रेरी , सेनेटरी, लैब एवं साइन्स विभाग के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो न देने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में प्रार्थना-पत्र भी कालेज की ओर से माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को भेजा गया है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। इसका कारण यह है कि वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक इस विद्यालय का इन अनुदानों हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 1976-77 में पुस्तकालय अनुदान हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु वह इसके लिये अनर्ह पाया गया। वर्ष 1977-78 में इस विद्यालय को 17,600 रु0 का अनुदान विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण हेतु एवं 14,400 रु0 का अनुदान अतिरिक्त छात्र संख्या एवं शौचालय की सुविधा हेतु स्वीकृत किया गया है।

जिला हमीरपुर, कुरारा कस्बा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग

*26—श्री ओंकार नाथ—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में कुरारा कस्बा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग करते हुए नागरिकों एवं कुछ विधायकों के अनुरोध-पत्र, वर्ष 1977 का विचाराधीन है ? क्या उक्त विद्यालय के लिए स्थानीय दानदाता एक प्लाट व 12 एकड़ भूमि दान करने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या शासन क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थानीय नागरिकों के पक्ष में शीघ्र निर्णय लेने को तैयार है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

कुरारा कस्बा में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने हेतु कुछ ग्रामवासियों का संयुक्त हस्ताक्षरित-पत्र तथा प्रश्न-कर्त्ता का एक पत्र वर्ष 1977 में प्राप्त हुए थे जिनमें श्रीमती कैलाश कुंवर द्वारा एक प्लाट व 12 एकड़ भूमि दान में दिये जाने का उल्लेख है किन्तु कथित प्लाट व भूमि का दान-पत्र तैयार कराने अथवा रजिस्ट्री कराने की दिशा में कार्यवाही हेतु उक्त दानदाता द्वारा विलम्ब से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सका है।

नई प्राइमरी पाठशालाएं अथवा मिडिल स्कूलों को खोलने का मापदण्ड

*27—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में नई प्राइमरी पाठशालाएं अथवा मिडिल स्कूलों को खोलते समय प्रदेश के हर जिले में मौजूद ऐसे स्कूलों की संख्या तथा उन जिलों की जन संख्या और शिक्षा के क्षेत्र में उनके पिछड़ेपन का ध्यान रक्खा गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या भविष्य में ऐसे नए स्कूलों को खोलते समय सरकार इन बातों का ध्यान रक्खेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाकों में नए स्कूल खोलने में विशेष प्राथमिकता प्रदान करने की नीति अपनाएगी ?

श्री काली चरण—

प्रदेश के मैदानी जनपदों में तृतीय शैक्षिक सवक्षण के अनुसार संलग्न विवरण पत्र में अंकित आधार पर स्कूलों के खोले जाने के लिये वर्ष 1977–78 में आदेश दिये गये हैं। भविष्य के लिये आधार अभी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 735 पर।)

*28—श्री दया राम भास्कर—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद खीरी, तहसील मोहम्मदी में खुदाई से प्राप्त देवी की प्रतिमा

*29—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी में देवी की एक अदभुत प्रतिमा खोदाई करने से प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक द्वारा दस लाख रुपया आंकी गयी है ? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। प्रतिमा पुरातात्विक खोदाई में नहीं बल्कि गांव वालों को हल जोतते समय अचानक प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशक द्वारा प्रतिमा का निरीक्षण अवश्य किया गया है। उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

प्रतिमा की सुरक्षा के लिये शुरू में एक गार्ड आर्म्ड लगाई गई थी परन्तु अब प्रतिमा के पूजित हो जाने के कारण गांव वालों ने उसके रख रखाव व सुरक्षा का भार स्वयं संभाल रखा है।

*30–31—श्री ईश्वर प्रसाद—

[5 अप्रैल, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 3–4 द्वारा उत्तरित]।

फैजाबाद जनपद म जिला परिषदीय प्राइमरी पाठशालाओं के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं निर्माण

*32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में जिला परिषदीय प्राइमरी पाठशालाओं की दयनीय दशा के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 का पत्र मिला ह ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और क्या बरसात शुरू होने के पहिले सभी जजर भवनों की मरम्मत तथा भवनहीन पाठशालाओं के भवन निर्माण का काम पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां। वर्ष 1977–78 के अन्त में प्रदेश में 1,000 प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हतु 2 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें से कुछ प्राइमरी स्कूलों क भवन जनपद फजाबाद क ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से बनवाये जायेंगे। वर्तमान जर्जर भवनों की मरम्मत के लिये 1977–78 के आय–व्ययक में कुल 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से जनपद फैजाबाद के प्राइमरी स्कूलों क भवनों की भी मरम्मत हेतु स्वीकृत की जायगी किन्तु नये भवनों का निर्माण और मरम्मत का कार्य बरसात शुरू होने से पूर्व पूरा होना संभव नहीं है।

कमला देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मन्दिर, सहारनपुर में आचार्यों का बकाया वेतन तथा क्षतिपूर्ति

*33—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमला देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मन्दिर, सहारनपुर के उन आचार्यों का साढ़े तीन माह का वेतन, जो मार्च, 1977 में शिशु मन्दिर को पुराने प्रबन्धकों के सुपुर्द करते समय काम कर रहे थे, नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यह कब तक दिया जायगा ?

श्री काली चरण—

जी हां। विद्यालय के खाते में धनाभाव के कारण वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। अध्यापकों के वेतन संदाय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरण का है।

*34—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उपरोक्त मन्दिर के उन आचार्यों की क्षति-पूर्ति कर दी है जिन्हें आपात स्थिति में हटा दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक की जाएगी ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं। इन अध्यापकों के वेतन संदाय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धाधिकरणों का है, अतः आवश्यकतानुसार उन्हीं के द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है।

वाराणसी सर्किल सिंचाई कर्मचारी संघ, लाल दरवाजा, गाजीपुर के अध्यक्ष का मांग-पत्र

*35—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी सर्किल सिंचाई कर्मचारी संघ, लाल दरवाजा, गाजीपुर के अध्यक्ष श्री राम सुन्दर शास्त्री का सिंचाई कर्मचारियों की समस्याओं के सिलसिले में 15 सूत्रीय मांग-पत्र आपको 11 जनवरी, 1978 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या मांगें उठाई गई हैं तथा उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या उत्तर शासन ने दिया है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। उक्त पत्र में उल्लिखित मांगों का विवरण संलग्न है। इन मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को लिखा गया है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 736 पर)

अधिसाशी अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोपों की जांच

*36—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय सरकार के विचाराधीन अधिशासी अभियन्ता अथवा उनसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों के कितने ऐसे मामले हैं जिन्हें भ्रष्टा-चार, पद के दुरुपयोग अथवा सत्य-निष्ठा के संदिग्ध होने के आरोप में ,अनिवार्य सेवा निवृत्त अथवा सेवा मुक्त कर दिया गया था ? इनमें से कितने मामले ऐसे हैं, जिनमें सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सर्विस ट्रिब्यूनल तथा उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हो

चुका है फिर भी सरकार द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो पुनः विचार किय जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने के आरोप में किसी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया था। केवल 2 ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं के मामले शासन के विचाराधीन हैं जिन्हें पदच्युत या सेवामुवत किया गया था।

उक्त दोनों मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है और उन पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

पुनर्विचार के कारणों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ..737.पर)

रामनगर--हल्द्वानी मोटर मार्ग के मध्य ढाबका काज-वे के ध्वस्त होने से अवर अभियन्ता का निलम्बन

*37--श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

दिनांक 30 अगस्त, 1977 के शून्य प्रहर में दी गई सूचना के उत्तर में दी गई सूचना के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिले में रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग के मध्य में ढाबका काज-वे के ध्वस्त हो जाने की घटना के सम्बन्ध में सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी को ही निलम्बित किया गया है परन्तु अन्य बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण करने पर प्रकट रूप से यह ज्ञात हुआ कि कार्य ठीक प्रकार से नहीं कराया गया है और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी अवर अभियन्ता की समझी गई इसलिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया। इसके बाद विस्तृत जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। अवर अभियन्ता को बहाल कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले वाला भू-खण्ड स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण विषयक पत्र

*38--श्री राम दत्त जोशी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1977 में उन्हें प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित कोई अनुरोध-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है जिसमें नैनीताल जिले के रामनगर कस्बे में अस्पताल भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले वाला भू-खण्ड स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय ? यदि हां, तो उसमें किस-किस कार्य के लिए वांछित भूमि हस्तान्तरित हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत विषय विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले में घुंघली--सिसवा सड़क पर हिरना नदी के पुल की जांच

*39--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में घुंघली--सिसवा सड़क पर हिरना नदी पर जो पुल है जिस पर अभी हाल में एक प्राइवेट बस दुर्घटना हुई एवं सात लोगों की जाने गयीं उस पुल की अनुपयुक्तता, कमजोरी एवं बस-भार के लिए अनुपयुक्तता की जांच विभागीय अधिकारियों ने की थी ? यदि हां, तो कब एवं रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। जांच में यह पाया गया कि उक्त पुल भरी हुई बसों तथा ट्रकों के लिए सुरक्षित है।

सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी के कुड़वार घाट पर पीपे का पुल

*40--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी के कुडवार घाट पर पीपे का पुल बनाने के आदेश कई माह पूर्व हो चुके हैं तथा तत्सम्बन्धी सारा सामान काफी दिनों से आकर पड़ा है किन्तु पुल के हस्तान्तरण के आदेश न प्राप्त होने के कारण अब तक निर्माण नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल आवश्यक आदेश देकर पुल का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां।

पुल के प्रान्तीयकरण के आदेश दिनांक 1 मार्च, 1978 को जारी कर दिए गए हैं। पुल दिनांक 1 अप्रैल, 1978 को बनकर तैयार हो गया है तथा दिनांक 3 अप्रैल, 1978 से पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है।

गोरखपुर--महाराजगंज सड़क पर बलिया नाले पर बने पुल की मरम्मत

*41--श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर से महराजगंज जाने वाली सड़क पर बलिया नाले पर बना हुआ पुल बहुत ही जीर्ण अवस्था में है ? क्या सरकार उक्त पुल को अविलम्ब बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

गोरखपुर--महराजगंज सड़क पर बलिया नाले पर बना हुआ पुल जीर्ण अवस्था में है। जी नहीं। धनाभाव के कारण इस पुल को बनवाने का विचार अभी नहीं है।

मेरठ जिले में बुक बैंक में इन्टर कक्षाओं के लिए क्रय की गयी पुस्तकें

*42--श्री सोहन बीर सिंह तोमर--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ जिले में शिक्षा सत्र 1977-78 के लिये बुक-बैंक में नागरिक शास्त्र, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के विषयों की इंटर कक्षाओं के लिये ऐसी पुस्तकें खरीदी गयीं, जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी

द्वारा आपातस्थिति की घोषणा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्री संजय गांधी तथा आपातकाल में कथित प्रगति की भरपूर प्रशंसा की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच कराई है कि ऐसी पुस्तकें किन परिस्थितियों तथा किन कारणों से खरीदी गईं हैं।

श्री काली चरण——

जी नहीं। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

सी० टी० ट्रेनिंग प्राप्त अभ्य थियों को सेवा में लिए जाने की योजना

*43——श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी——

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1975 में सी0 टी0 ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यर्थियों का सेवा में लिये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण——

जी नहीं, सी0 टी0 वेतन-क्रम के अध्यापकों की रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जाती हैं और पृथक् से ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

ग्राम परास खांड, जनपद देवरिया में प्राइमरी पाठशाला हेतु भवन निर्माण

*44——श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी——

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देसई ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम परास खांड में प्राइमरी पाठशाला (कन्या) के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1976 में शासन से हुई थी और अभी तक भवन नहीं बना जब कि भवन के निर्माण की धनराशि का भुगतान हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार इस घोटाले की जांच कराएगी ?

श्री काली चरण——

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति

*45——श्री राम आसरे वर्मा——

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 15/5/1973 रा0 एकी0 दिनांक 20 मार्च, 1974 के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के सन्दर्भ में सिंचाई विभाग में कार्य करने वाले ऐसे अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति हुई है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं

बीर सिंह——

जी हां। इस आदेशानुसार अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति छान-बीन की जा रही है।

बांदा जिले में पयस्वनी नहर परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

-श्री राम सजीवन (जिला बांदा)——

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में पयस्वनी नहर परियोजना के निर्माण के लिये प्रदेश सरकार के बजट में सन् 1976–77 और 1977–78 में आवंटित

धनराशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि इस योजना के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति तो सन् 1977 के प्रारम्भ में ले ली गई थी लेकिन राज्य सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कोई ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठाए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

1976–77 में 39.10 लाख रु0 एवं 1977–78 में 44.70 लाख रु0 व्यय हेतु प्राधिकृत थे परन्तु योजना के सेंट्रल वाटर कमीशन से स्वीकृत न होने के कारण वर्ष 1976–77 एवं 1977–78 में उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

योजना के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई केवल वर्ष 1977 के प्रारम्भ में पैसूनी नहर में उपलब्ध पानी के बटवारे पर समझौता हुआ था। भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भरसक प्रयन्न किये गये परन्तु पानी की उपलब्धता न होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं हो सकी।

दिलदार नगर, गाजीपुर में राजकीय महिला इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या के विरुद्ध शिकायतें तथा छात्रों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

*47—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताएगी कि गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर राजकीय महिला इंटर कालेज की प्रधानाचार्या (श्रीमती शीला उपाध्याय) के विरुद्ध जनता की गंभीर शिकायतें वर्ष 1977 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार शिकायत संबंधी अब तक की जांच रिपोर्ट से अवगत कराएगी?

श्री काली चरण—

जी हां।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*48—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त प्रधानाचार्या ने शिकायत करने वाले अभिभावकों के परिवार के 21 छात्राओं के विरुद्ध चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की है ? यदि हां, तो इसको निरस्त करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

छात्रापंजी में प्रधानाचार्या द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी जो उन्हीं के द्वारा निर कर दी गयी है।

अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*49—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमावली की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

†नियमावली की प्रतिलिपि है ।

नैपाल–बम्बई राजमार्ग में बहुबा––सिधांव, जिला फतेहपुर के बीच गलत मोड़ दिये जाने के संबंध में शिकायत

*50—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि नैपाल से बम्बई जाने वाले राजमार्ग को बहुबा–सिधांव, जिला फतेहपुर के बीच अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से मोड़ दिया गया है और पूर्ववर्ती सवशुदा स्थान को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपरी, आगरा में प्रवक्ताओं का वेतनमान

*51—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी आगरा में अब भी प्रवक्ताओं को रु0 300–25–600 वेतनमान मिल रहा है जब कि सम्पूर्ण प्रदेश में 1 जनवरी, 1973 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 700–1,600 प्रवक्ताओं को मिल रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा बकाया वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व किस का है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । क्योंकि यह महाविद्यालय केवल आंशिक रूप से ही सम्बद्ध महाविद्यालय है ।

बकाया वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का है ।

आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*52—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के लिये कोई समिति अथवा अधिकारी की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं । कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के विरुद्ध कतिपय शिकायतों पर उन्हें कुलाधिपति द्वारा निलम्बित किया गया और अनुशासनिक कार्यवाही हो रही है । कुलपति ने निलम्बन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर कर रखी है जो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

*53—श्री गुंजेश्वर, श्री दुक्खी प्रसाद, श्री बाबूलाल विद्यार्थी, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री जगदीश प्रसाद—

[दिनांक 23 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित ।]

---

†छापी नहीं गयी ।

सिचाई विभाग में नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारी

*54—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों न तीन साल से अधिक की सेवायें कर ली हैं, उनकी संख्या क्या है और क्या सरकार तीन वर्ष से अधिक सेवाओं पर कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के मामले पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

जहां तक सिंचाई विभाग में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न है यह सूचना विभिन्न मंडलों से एकत्र की जा रही है । जहां तक 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न है, शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जाती है ।

सानवाल समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

*55—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ताओं की सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार ने सानवाल समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब तक उसका क्रियान्वयन हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

सिफारिशें शासन के विचाराधीन है ।

आगरा जिले में रजबहा टर्मिनल से सिचाई

*56—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में रजबहा टर्मिनल इस वर्ष रबी की फसल म अक्तूबर, 1977 से फरवरी, 1978 तक किन-किन तारीखों में जारी रहा ? क्या रजबहा के बेतरतीब जारी करने से किसानों को महीनों तक पानी से वंचित रहना पड़ा ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

आगरा जिले में टर्मिनल वर्ष 1977–78 की रबी की फसल में माह अक्तूबर, 1977 से फरवरी, 1978 तक निम्न तिथियों में जारी रहा :—

1—दिनांक 7 नवम्बर, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक ।

2—दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 से 20 दिसम्बर, 1977 तक ।

3—दिनांक 3 जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1978 तक ।

4—दिनांक 7 फरवरी, 1978 से 28 फरवरी, 1978 तक ।

रजबहा बेतरतीब नहीं चलाया गया और न किसानों को महीनों तक पानी से वंचित रहना पड़ा । आगरा नहर पर पानी की उपलब्धता क अनुसार व सिंचाई की मांग को दृष्टिगत रखत हुये निर्धारित रोस्टर से इस रजबहा में पानी चलाया गया ।

मौजा कोसही, परगना बबेरू, जिला बाँदा के काश्तकारों से नाजायज तावान की वसूली

*57—श्री देव कुमार—

क्या यह सही है कि मौजा कोसही, परगना बबेरू, जिला बांदा के ईदू आदि सैकड़ों काश्तकारों से कन नहर विभाग द्वारा नाजायज तावान की वसूली की जा रही है जिसके खिलाफ काश्तकारों का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक 7 फरवरी, सन् 1978 से लेकर 10 फरवरी, सन् 1978 के बीच सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो काश्तकारों द्वारा लगाये गये आरोपों का पूरा विवरण क्या है ? और सरकार ने उनके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच की गयी और यह पाया गया कि तावान की कार्यवाही सही है, लेकिन यह भी जानकारी में आया कि यहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है तथा दैविक आपदाओं से इनका नुकसान हुआ है । अतः ग्राम को सही के काश्तकारों से ताबान की वसूली स्थगित करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

सराय दाऊद इन्टर कालेज, जिला मथुरा की अनियमितताओं की जांच

*58—श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद तहसील, जिला मथुरा के अन्तर्गत सराय दाऊद इंटर कालेज की अनियमितताओं की शिकायत पर दिनांक 6 फरवरी, 1978 को विभागीय अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया ? यदि हां, तो क्या–क्या अनियमितताएं जांच में पाई गई तथा यह भी बताऐंगे कि राजकीय अनुदान जो हरिजन छात्रों को मिलना चाहिए था उसको अपने हित में प्रबन्धक व प्रधानाचार्य ने उपयोग किया ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

जी हां। जांच में निम्नांकित मुख्य अनियमितताएं तथा हरिजन छात्रों को मिलने वाले धन का संस्थाधिकारियों द्वारा उपयोग करने के सम्बन्ध में शिकायतें पाई गई ।

1—अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य का अनुमोदन प्राप्त न करना ।

2—वेतन वितरण सम्बन्धी लेखा न रखना।

3—फर्जी वाउचर बना कर व्यय करना।

4—अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर एवं आय–व्यय में अंकित अध्यापकों के नाम भिन्न पाए गए।

5—विद्यालय भवन का कुछ भाग प्रबन्धक द्वारा निवास स्थान के रूप में प्रयोग करना ।

6—हरिजन छात्रों के फर्जी नाम दिखाकर राज्य से धन प्राप्त करना तथा उसका उपयोग प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा करना ।

अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिपिकों द्वारा फर्जी अध्यापक घोषित कर प्राप्त की गई उपाधियां

*59—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुल सचिव को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने अपने अनेक अ0 शासकीय पत्रों [अ–1/580/76–77 दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 तथा अ (1)–1/2904/77–78, दिनांक 29 जून, 1977

एवं अ (1)/6896/77–78, दिनांक 11–10–77 आदि] द्वारा यह सूचित किया है कि अनेक मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों ने अपने को फर्जी अध्यापक घोषित कर विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होकर उपाधियां प्राप्त कर लिया है, इसे निरस्त कर सूचित किया जाय ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण––

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने केवल स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशुनपुरा (गोरखपुर) के एक लिपिक, श्री प्रभुनाथ सिंह के सम्बन्ध में ऐसी सूचना दी है। विश्वविद्यालय इसकी छानबीन विद्यालय के प्रधानाचार्य से कर रहा है। इस मामले में विश्व-विद्यालय निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम है।

प्रथम उपखण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में गोलमाल की जांच

*60––श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)––

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के किसी सहायक अभियन्ता ने चार्ज लेने के उपरान्त 5 अक्तूबर, 1977 को अपने उच्चाधिकारियों को यह सूचित किया कि प्रथम उपखण्ड, शारदा नहर, लखनऊ में ड्रेनों की खुदाई तथा रजबहे की रिमाडलिंग में लाखों रुपये का गोलमाल है ? यदि हां, तो क्या उच्चाधिकारियों ने मौके का दौरा किया तथा छानबीन की ? यदि हां, तो परिणाम क्या निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह––

जी हां, लखनऊ खण्ड शारदा नहर के अधिशासी अभियन्ता ने मौके का दौरा भी किया। चूंकि सम्बन्धित अभिलेख प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पास है, अतः इस मामले की पूरी जांच नहीं की जा सकी। विस्तृत जांच अभिलेखों के प्राप्त होने पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

"सिंचाई खण्ड, बागेश्वर" में कार्यरत सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण

*61––श्री पूरन चन्द्र––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर सिंचाई परियोजना में कितने जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिन को 31 दिसम्बर, 1977 तक पांच साल से अधिक उसी स्थान पर हो गया है जब कि क्षेत्रीय जनता एवं प्रश्नकर्ता द्वारा 21 जुलाई, 1977 को उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण अब तक न करने का क्या कारण है ? और इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन कब तक विचार करेगी ?

श्री बलवीर सिंह––

बागेश्वर नामक कोई सिंचाई परियोजना नहीं है, किन्तु एक नया खण्ड "सिंचाई खण्ड बागेश्वर" का सृजन 1977–78 में हुआ है। इस खण्ड में 31 दिसम्बर, 1977 तक 5 वर्ष से अधिक उसी स्थान पर कार्यरत सहायक अभियन्ता कोई नहीं है परन्तु 4 अवर अभियन्ता ऐसे हैं जिनका कार्यकाल उसी स्थान पर 5 वर्ष से अधिक हो गया है। इनमें से एक निलम्बित है। समस्त ठेकेदारों, विकास खण्ड गड़ का एक हस्ताक्षर रहित प्रार्थना-पत्र, श्री पूरन चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 3, जुलाई, 1977 की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुआ था। जिसकी छानबीन की गई और शिकायत निराधार पाई गई।

उपर्युक्त अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की व्यवस्था की जा रही है । बागेश्वर खण्ड जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिये यथाशीघ्र अवर अभियन्ता उपलब्ध हो जायेंगे, स्थानान्तरण क्रियान्वित कर दिया जायेगा ।

*62––श्री मित्रसेन––

[तीसरे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नेशनल हाईवे खण्ड में दिये गये लेबर कान्ट्रैक्ट

*63––श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नेशनल हाईवे खण्ड में आवश्यक मशीनें होते हुए भी लेबर कान्ट्रैक्ट दिये जा रहे हैं जिसके कारण वहां के कर्मचारी बेकार बैठे हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

सम्बन्धित खण्ड ने ऐसा कोई कार्य लेबर कान्ट्रैक्ट से नहीं कराया जो कि मशीनों द्वारा किया जाना निर्धारित था । खण्ड में उपलब्ध विभिन्न मशीनों से, पूरी क्षमता से कार्य कराया गया जिससे कर्मचारियों के बेकार रहने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पब्लिक इन्टर कालेज स्यानां, जिला बुलन्दशहर का प्रबन्ध

*64––श्री आरिफ मोहम्मद खां––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इण्टर कालेज, स्यानां, जिला बुलन्दशहर कब से सरकारी प्रबन्ध में है ? क्या संस्था का प्रबन्ध कार्यकारिणी को लौटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण––

पब्लिक इण्टर कालेज, स्याना, बुलन्दशहर का प्रबन्ध दिनांक 19 मई, 1965 से उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रशासक के अधिकार में है ।

उक्त विद्यालय का प्रबन्ध कार्यकारिणी को लौटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*65––श्रीमती शारदा देवी––

[दिनांक 22 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 के द्वारा उत्तरित ।]

मोती लाल नेहरू रीजनन इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में अनियमिततायें व जांच

*66––श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में भ्रष्टाचार, गोलमाल, अनियमितताओं तथा आपात्कालीन स्थिति के दौरान की गयी ज्यादतियों की जांच उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा, गुप्तचर विभाग द्वारा कराई जा रही है ? क्या जांचकर्ताओं ने अब तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट की प्रति सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण––

जी हां । अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है । पर रिपोर्ट की प्रति सदन में रखना जनहित में नहीं है ।

*67--श्री राम सजीवन--

[22 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 37 द्वारा उत्तरित ।]

सूखाग्रस्त व बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के प्रभावित छात्रों को शुल्क माफी का आदेश

*68--श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सूखा ग्रस्त एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के प्रभावित परिवार के छात्रों के शुल्क माफ करने का आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं, तथा शुल्क न जमा कर पाने के कारण काफी छात्रों का अध्ययन कार्य अवरुद्ध हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री पुन: सूखा ग्रस्त जनपद के प्रभावित विद्यार्थियों का शुल्क माफ करने की घोषणा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जी हां, सूखाग्रस्त व बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के प्रभावित परिवार के छात्रों को शुल्क माफी के आदेश नहीं दिये गये हैं क्योंकि पूर्व की भांति इस प्रकार की शुल्क माफी हेतु भारत सरकार से जो सहायता प्राप्त होती थी, अब वह नहीं मिल रही है । अत: सम्प्रति यह सुविधा देना सम्भव नहीं है ।

एस0 आर0 के0 इण्टर कालेज, फिरोजाबाद, आगरा के सहायक अध्यापक का अवशेष वेतन

*69--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि एस0 आर0 के0 इण्टर कालेज, फिरोजाबाद (आगरा) के सहायक अध्यापक, श्री राम सनेही लाल शर्मा व श्री हरी सिंह यादव का वेतन जुलाई सन् 1975 से जून, 1977 तक का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री काली चरण--

जी हां । दोनों अध्यापकों को प्रश्नगत अवधि का वेतन भुगतान इसलिये नहीं हुआ कि जुलाई, 1975 से इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*70--श्री मोहन सिंह--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद सुल्तानपुर में मुसाफिरखाना से जामो को जोड़ती हुई नहर जौनपुर ब्रांच की पटरी को पक्का करने का विचार

*71--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद सुल्तानपुर में मुसाफिरखाना से जामो को जोड़ती हुई नहर जौनपुर ब्रांच की पटरी शारदा सहायक विस्तार योजना के पूर्व पक्की थी तथा क्या इस क्षेत्र की एक मात्र पक्की सड़क थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पटरी को नहर विभाग इस वित्तीय वर्ष में पक्की कर जनता को सौंपने की कृपा करेगी ? क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त पटरी को पक्का करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र माह नवम्बर, 1977 को सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 का प्राप्त हुआ था । पटरी पर खड़ंजा लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

हिन्दी-संस्थान, लखनऊ को यशपाल हाल बनाने के लिये अनुदान

*72--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1976-77 में हिन्दी संस्थान, लखनऊ को यशपाल हाल बनाने के लिये 5 लाख रुपए और काम चलाने के लिये 5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त संस्थान को यह धनराशि दी जा चुकी है ?

श्री काली करण--

जी नहीं ।

*73--श्री विद्याशंकर पांडेय--

[6ई बुधवार के लिये स्थगित ।]

जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज, गोरखपुर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध गबन का आरोप

*74--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज, गोरखपुर के प्रधानाध्यापक को धन के गबन के आरोप में जनवरी, 1978 में निलम्बित किया गया और फरवरी, 1978 में आरोप-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री कालीचरण--

जी हां, जनवरी, 1978 में नहीं बल्कि 26 दिसम्बर, 1977 में निलम्बित किया गया। तथा दिनांक 8 फरवरी, 1978 को आरोप-पत्र दिया गया ।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा जांच की जा रही है ।

मथुरा जिला परिषद् की सड़कों को पी0 डब्ल्यू0 डी0 को स्थानान्तरण

*75--श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई-अगस्त, सन् 1977 में मथुरा जिले के विधायकों व संसद सदस्यों ने यह प्रस्ताव भेजा था कि मथुरा जिला परिषद् की सड़कें पी0 डब्ल्यू0 डी0 को हस्तान्तरित की जायं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

छठी पंच वर्षीय योजना में विचार किया जायगा ।

जनपद मथुरा के गोबर्धन ड्रेन का ग्राम बरसाना में पुल का निर्माण

*76--श्री लक्खी सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन ड्रेन का ग्राम बरसाना पर पुल जोकि लगभग 12 साल पहले टूट गया था, पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह पुल बरसात से पहले बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित पुल का निर्माण अभी नहीं हुआ है । उसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया जाना है । इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग ने उन्हें 7.35 लाख रुपया दे दिया है । स्टाफ की कमी के कारण निगम ने निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया है । इस परिस्थिति में पुल का निर्माण कार्य वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण नहीं हो सकेगा ।

*77--श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री गजाधर प्रसाद आर्य--

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*78--श्री सन्तबक्श रावत, श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री राम नरायन वर्मा--

[दिनांक 23 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में छात्र असन्तोष हेतु आयोग का गठन

*79--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फरवरी मास में विभिन्न स्थानों में छात्र असन्तोष भड़काने के कारणों की जांच करने के लिए किसी आयोग के गठन का विचार कर रहे हैं या किसी गोल मेज सम्मेलन कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं । तथापि छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों तथा छात्र प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रश्न शासन के विचारधीन है ।

*80--श्री धर्मगज सिंह--

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

1--श्री श्रीनारायण--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष 1976-77 में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकार हुआ था और 31 अगस्त, 1677 तक कितनी-कितनी दूरी तक बनीं तथा अवशेष कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां --

वांछित सूचना संलग्न तालिका* में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 738 पर।)

बलिया जनपद में पक्की नालियों का निर्माण तथा निर्माण हेतु ईंटें

2--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या सरकार बताएगी कि बलिया जनपद में बहुत से ऐसे राजकीय नलकूप हैं जहां पर नलकूप लगने के दो वर्ष व्यतीत होने पर भी पक्की नालियों का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन ? क्यों ? और ऐसी नालियों के निर्माण के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

बलिया जनपद में 30 नवम्बर, 1975 तक चलित नलकूपों में से 68 राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिन पर फरवरी, 1978 तक पक्की नालियों का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है जिनकी सूची संलग्नक 'क' में दी है। पक्की नालियों का पूर्ण निर्माण ईंटों के कन्ट्रोल रेट पर न मिल सकने के कारण नहीं हो पाया है। इन नालियों को पूर्ण करने के लिए जिलाधिकारी, बलिया एवं जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं परमिट द्वारा ईंटों का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

3--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि उपरोक्त प्रकार की नालियों का शीघ्र निर्माण होने में विभागीय निश्चित दर 91 रु0 के करीब प्रति हजार ईंटा का खरीदारी का होना है, जबकि बाजार भाव 125 रु0 प्रति हजार है ? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां।

अब जिला पूर्ति अधिकारी बलिया ने प्रथम श्रेणी की ईंटों का मूल्य 96.30 रुपए प्रति हजार निर्धारित किया है जिससे ईंटों के मिलने की सम्भावना बढ़ गई है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 740 पर।)

नलकूप विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय नलकूपों के लगाने में नियमों की अवहेलना

4--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकीय नलकूपों के लगाने में नियमों और शासनादेशों की अवहेलना करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 नवम्बर, 1977 का शिकायती-पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो जांच में प्रदेश भर में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां। शिकायती-पत्र की जांच करने पर राजकीय नलकूपों के छिद्रण में नियमों की अवहेलना का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूलों का रोका गया अनुरक्षण अनुदान

5--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में कितने जूनियर हाई स्कूल हैं जिनका अनुरक्षण अनुदान इस वर्ष रोक दिया गया है ? अनुदान रोकने का क्या कारण है ? सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें जिन स्कूलों ने पूरी कर दी हैं क्या उनका संचालन सरकार अपने हाथ में लेने के लिए कोई विचार कर रही है ?

श्री कालीचरण--

जी हां, दो जूनियर हाई स्कूलों का अनुरक्षण अनुदान वर्ष 1977-78 में रोका गया है।

अनुदान रोकने का कारण गम्भीर अनियमितताएं तथा धन के दुरुपयोग हैं।

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी की योजनान्तर्गत पुल, बाई पास एवं निर्माणाधीन सड़कें

6--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 अगस्त, 1977 को ज़िलाधीश, वाराणसी के यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी की योजना बनाने हेतु कमेटी की बैठक हुई और उसमें प्राथमिकता देकर सड़कों को शामिल कर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सिधोरा से फूलपुर व कछवां-बड़ागांव मार्ग में कमसेठी से अनेई तक, व भोजबीर सिधोरा मार्ग, वाराणसी से पलही पट्टी में पुल तथा बाईपास, एवं जो अधूरी सड़क है उसको भी भेजा गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां।

वाराणसी जिले में रोजगार देने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनान्तर्गत सड़कों पर मिट्टी का कार्य

7--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार देने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ सड़कों पर मिट्टी का कार्य कराने की योजना प्रत्येक जिले के जिलाधीशों से बनाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में, सिधोरा से फूलपुर मार्ग, बड़ागांव वाया कुवार कठिरांव मार्ग, तथा रामेश्वर वाया हथिवार-वायतपुर मार्ग एवं रामपुर वाया कुवार-अनेई मार्ग तथा तेलारी से दादूपुर (धौकलगंज मार्ग) को उक्त योजना में शामिल किया गया है ? क्या सरकार ऐसी सड़कों को मिट्टी के कार्य के बाद पक्की कराने की भी योजना बना रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के कुछ मार्गों पर मिट्टी डालने के आदेश मुख्य अभियन्ता को दिये गये हैं। वाराणसी जिले के संदर्भित मार्गों में से सावंजनिक निर्माण विभाग ने कोई मार्ग बनाने का कार्य नहीं किया है। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जिन मार्गों पर मिट्टी का कार्य हो रहा है उनमें से कुछ मार्ग 1978-79 में पक्का करन पर विचार किया जा रहा है।

देवरिया जिले में खुंटही माइनर पर पक्के पुल का निर्माण

8—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के गण्डक नहर निर्माण खंड खाजुरिया शाखा के अन्तर्गत खुंटही माइनर पर ग्राम बरवाडीह कांटी (खुंटही) में गण्डक नदी पर जाने वाले रास्ते पर पक्के पुल का निर्माण अब तक किन कारणों से नहीं हुआ ? क्या सरकार निकट भविष्य में यह पुल निर्माण करने की कृपा करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

इस स्थान पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस स्थान से 300 मीटर ऊपर खुंटही नहर पर 6.60 कि0मी0 पर पुल पहले से ही बना हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

9—श्री रामआसरे वर्मा—

[दिनांक 28 सितम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी की नई योजनान्तर्गत निर्माणाधीन शिवदासपुर कप सेठी महराजगंज सड़क

10—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवदासपुर कपसेठी से बरवाँ होते हुए महराजगंज जाने वाली सड़क जिला वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी नई योजना में रखकर बनाने जा रहा है ? यदि हां, तो इस सड़क पर कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रीजनल इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स, बरेली के कार्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

11—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रीजनल इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स, बरेली के कार्यालय में इस समय कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से वहीं पर हैं और क्या शासन उनका तबादला शीघ्र करने का विचार कर रहा है ?

श्री काली चरण—

केवल 6

लिपिक वर्गीय ऐसे समस्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

नकीपुर, ढेला, नैपीपुर कुनेटा आदि ग्रामों में राजकीय नलकूपों के रखरखाव पर व्यय

12—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नकीपुर, ढेला, नैपीपुर, कुनेटा आदि ग्रामों में राजकीय नलकूपों की 1974, 1975, 1976 और 1977 में गूल निर्माण और नलकूपों

के रख-रखाव में सहायक अभियन्ता, नलकूप खंड, नगीना, जिला बिजनौर ने कितना धन व्यय किया है ? क्या यह सही है कि इन नलकूपों की गूले टूट रही हैं ? क्या सरकार इनकी जांच कराएगी ?

श्री बलबीर सिंह—

ग्राम नकीपुर, कुनेटा में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 496 व 524 धामपुर समूह पर वर्ष 1974, 1975, 1976 एवं 1977 में पक्की गूल निर्माण पर रुपये 1,02 500 तथा रखरखाव पर 1,350 रुपये व्यय किया गया। ग्राम ढेला में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 530 धामपुर समूह का छिद्रण माह फरवरी, 1977 में हुआ। इस नलकूप के उर्जीकरण के अभाव में पक्की गूल निर्माण का कार्य नहीं किया जा सका। इस राजकीय नलकूप के रख-रखाव पर कोई व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

परगना बढ़ापुर में तहसील नगीना से, नैपीपुर या नौमीपुर नाम का कोई ग्राम नहीं है।

राजकीय नलकूप संख्या 496 व 524 धामपुर समूह की गूलें ठीक दशा में हैं और ठीक कार्य कर रही हैं। अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

भूतपूव अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड, इलाहाबाद के विरुद्ध आरोप

13—श्री बेनीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार या मुख्य अभियन्ता को इस आशय का आरोप-पत्र प्राप्त हुआ कि शारदा सहायक खंड 30, इलाहाबाद के भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री ओम प्रकाश गुप्ता) व सहायक अभियन्ता (श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता) ने सरकारी गाड़ी यू0 एस0एस0 1207 द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को चित्रकूट का भ्रमण किया और बाद में श्री जगदीश प्रसाद गोयल, जूनियर इंजीनियर द्वारा उसी गाड़ी से उसी दिन इलाहाबाद ब्रांच का भ्रमण करना दिखलाया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त आरोप की जांच कराई गई, और क्या कार्यवाही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। प्रश्नगत आरोप की जांच हो रही है, जिसके पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जिला फर्रुखाबाद के भूमिहीन श्री पुरुषोत्तम लाल के विरुद्ध अंकित फर्जी आबपाशी

14—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम वारापुर, पोस्ट जनखत, परगना तिर्वा, जिला फर्रुखाबाद के भूमिहीन खेतिहर मजदूर पुरुषोत्तम लाल की यह शिकायत कि उसके नाम एक बिस्वा भी भूमि नहीं है किन्तु पतरौल और अमीन ने 20 नम्बरों की फर्जी आबपाशी अंकित की है जिसका उससे करीब रु0330 मांगा जा रहा है, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई है ? उसकी जांच किसके द्वारा और किनके आदेश से करवाई गई और कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई थी, की जांच मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेशानुसार संबंधित खंड के जिलेदार द्वारा करवायी गई तथा शिकायत को सही पाया गया। मामले में दोषी सींचपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही की जा रही है तथा श्री पुरुषोत्तम लाल पर लगाये गये कुल महसूल रुपये 328.40 की वसूली रोकने हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी, फरुखाबाद एवं तहसीलदार, कन्नौज को भी लिख दिया गया है।

बाल विद्यालय हायर सेकेन्ड्री स्कूल, आजाद नगर, कानपुर के अध्यापक द्वारा भेजा गया शिकायती-पत्र

15—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें बाल विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, आजाद नगर, कानपुर के अध्यापक (हरिश्चन्द्र दीक्षित) का 10 जुलाई, 1977 का भेजा हुआ आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन न करने, आर0 एस0 एस0 के सदस्य होने, जनसंघी और देशद्रोही कह कर सेवा से 14 अक्टूबर, 1976 से सेवा मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उनके आवेदन-पत्र पर कोई जांच करवाई गई ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं। विद्यालय निरीक्षक, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरिश्चन्द्र दीक्षित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा निर्णय लिया गया था जिसकी अपील मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के पास विचाराधीन है।

उप जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के कार्यालय के किराये का अनियमित भुगतान

16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह ज्ञात है कि एटा जनपद में उप जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय जिस भवन में 16 मार्च, 1974 से चल रहा था और उस भवन का किराया 31 जनवरी, 1975 तक दिया जाता रहा ? फरवरी, 1975 से 31 अगस्त, 1975 तक का किराया का भुगतान नहीं किया गया है ? शेष किराए के भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या शासन को 24 मार्च, 1976 को भेजा हुआ नोटिस मकान मालिक का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कालीचरण—

जी हां, प्रारम्भ में प्रसंगगत किराए का अनियमित भुगतान किये जाने के कारण बाद में भुगतान रोक देना पड़ा। इस बीच नियमान्तर्गत किराए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकरण में जो नोटिस प्राप्त हुआ था उसका भी विधिवत् निस्तारण किया जा चुका है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ के प्रधानाचार्या के विरुद्ध आरोप

17—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें राजकीय बालिका इंटर कालेज, फतेहगढ़ से उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्या के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत दिनांक 22 जुलाई, 1977 को भेजी हुई मिली है ? यदि हां, तो क्या उक्त आरोपों की जांच करवाई गई ? कौन-कौन से तथ्य सही पाए गए ? और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की औरंगनगर---अम्नावां मार्ग तथा मार्ग की नदियों पर पुल का निर्माण

18--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद फैजाबाद की औरंगनगर–अम्नावां मार्ग को पक्की कराने और उस पर पड़ने वाली नदियों पर पुल बनवाने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 नवम्बर, 1977 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

(क) जी हां।

(ख) यह मार्ग स्वीकृत और निर्माणाधीन है परन्तु पुल स्वीकृत नहीं है। उसके स्वीकृत संरेखण पर क्षेत्रीय जनता द्वारा आपत्ति होने के कारण मार्ग का निर्माण अभी तक पूरा न हो सका, पुल का निर्माण विचाराधीन है।

नन्दीपुर बाजार, जनपद फैजाबाद के निवासियों का सड़क निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

19--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनपद फैजाबाद के नन्दीपुर बाजार के निवासियों का सड़क निर्माण के बारे में दिनांक 15 नवम्बर, 1977 का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 18 नवम्बर, 1977 के पत्र के साथ मिला है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं।

प्रश्न में कार्य का उल्लेख नहीं है।

20--श्री दया राम भास्कर--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बाम्बे प्लान के अन्तर्गत मेरठ के कथित विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

21--श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाम्बे प्लान को दृष्टि में रखते हुये विधान सभा क्षेत्र, छपरौली–बागपत तथा बरनावा, जिला मेरठ में सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश में सबसे कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों के निर्माण में उक्त दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बाम्बे प्लान जनपद को इकाई मानकर बनाया गया है। अतः विधान सभा क्षेत्रवार सूचना देना सम्भव नहीं है।

व्यक्तिगत विद्युत नलकूप हेतु नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की शर्त को समाप्त करना

22--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नहर सिंचाई कमाण्ड के अन्तर्गत व्यक्तिगत विद्युत् नलकूप के कनेक्शन के लिये सिंचाई विभाग से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की शर्त समाप्त करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो आदेश कब तक निर्गत होने की आशा है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

23--श्री देव कुमार--

[5 अप्रैल, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित ।]

कटरा श्रावस्ती, जिला बहराइच में बाई पास के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

24--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में कटरा श्रावस्ती गांव के पास बाई पास (आसाम रोड) के निर्माण के लिये वर्ष 1965 में उक्त गांव के किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी और जिसका मुआवजा अभी देना शेष है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1973 से अब तक अधिगृहण एवं मुआवजा देने तथा अधिगृहीत भूमि के काश्तकारों के नाम खारिज करने के सम्बन्ध में श्री श्यामता प्रसाद चौधरी, लाल जी आदि ग्राम वासियों ने शासन को कोई प्रार्थना-पत्र भेजे ? क्या इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक आख्या क्या थी ? अधिग्रहण व काश्तकारों के नाम खारिज करने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बहराइच के आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1965 के द्वारा बाईपास की भूमि अभ्याप्त (रिक्वीजिशन) की गयी थी । 89 काश्तकारों को 35,343 रु0 मुआवजा के रूप में दे दिया गया, 21 काश्तकार नोटिस के बाद भी मुआवजा लेने नहीं आये और उनसे सम्बन्धित रु0 2750.08 रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया ।

श्री श्यामता प्रसाद चौधरी का प्रार्थना-पत्र मुआवजा देने तथा अधिग्रहीत भूमि के काश्तकारों के नाम खारिज करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था । उस पर राजस्व परिषद से आख्या मांगी गयी थी । राजस्व परिषद् ने भूमि के अधिग्रहण में खामियां बतायी जो स्थायी अर्जन के लिये दुरुस्त प्रस्ताव न भेजने, प्रतिकर के रेट्स सही ढंग से निर्धारित न करने और रकबे में फर्क की बाबत थीं । इनको ठीक करने के लिये राजस्व विभाग ने जिलाधिकारी, बहराइच को निर्देश जारी कर दिये हैं । जिलाधिकारी से अर्जन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूचना में कुछ विरोवाभास था, उसे सही करने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं । उनका जबाब आना बाकी है ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव ठीक करके भेजने के बाद स्थायी अर्जन के लिये अधिसूचनायें जारी की जायेंगी और नियमानुसार पूरा मुआवजा के भुगतान के लिये कार्यवाही की जायगी और काश्तकारों के नाम खारिज कर दिये जायेंगे ।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल उ0 मा0 विद्यालय, बिलसन्डा, जिला पीलीभीत के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

25--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल उ0 मा0 विद्यालय, बिलसन्डा, जिला पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1977 के दूसरे पखवारे में मिला । यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री काली चरण--

जी हां। शिकायतों का विवरण संलग्न है । शिकायतों की जांच कराई गई। संस्था में व्याप्त आर्थिक अनियमितताओं के विरुद्ध 16-डी की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 742 पर।)

जनता जूनियर हाई स्कूल, बकहुंआ बाजार, जिला सीतापुर के अध्यापकों का बकाया वेतन

26--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता जूनियर हाई स्कूल, बकहुंआ बाजार, जिला सीतापुर के अध्यापकों को पिछले 11 माह से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो न देने का क्या कारण है तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री काली चरण--

इस विद्यालय के कर्मचारियों को प्रबन्धक द्वारा संपूर्ण वेतन का भुगतान जनवरी, 1978 तक किया जा चुका है । अब किसी कर्मचारी का वेतन अवशेष नहीं है ।

सफीपुर-परियर मार्ग को त्वरित योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

27--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनने वाले सफीपुर-परियर, मार्ग को जिला परिषद् ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक डामर रोड बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सफीपुर-परियर मार्ग त्वरित योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिला परिषद्, उन्नाव द्वारा मार्च, 1978 में हस्तान्तरित हुआ है। यह मार्ग जून, 1980 तक सतह लेपन तक पूर्ण कर दिया जायेगा ।

कतिपय विषय

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जैसा नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में आपने अभी-अभी खुद ही एक प्रश्न किया है, तो मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि क्या वह स्वत: आपका ही प्रश्न था या वह माननीय सदस्य, तिवारी जी का प्रश्न था ?

चुका है फिर भी सरकार द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो पुनः विचार किय जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने के आरोप में किसी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया था। केवल 2 ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं के मामले शासन के विचाराधीन हैं जिन्हें पदच्युत या सेवामुवत किया गया था।

२ उक्त दोनों मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है और उन पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

पुनर्विचार के कारणों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ..737.पर)

रामनगर--हल्द्वानी मोटर मार्ग के मध्य ढाबका काज-वे के ध्वस्त होने से अवर अभियन्ता का निलम्बन

*37--श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

दिनांक 30 अगस्त, 1977 के शून्य प्रहर में दी गई सूचना के उत्तर में दी गई सूचना के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिले में रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग के मध्य में ढाबका काज-वे के ध्वस्त हो जाने की घटना के सम्बन्ध में सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी को ही निलम्बित किया गया है परन्तु अन्य बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण करने पर प्रकट रूप से यह ज्ञात हुआ कि कार्य ठीक प्रकार से नहीं कराया गया है और इसकी ज्यादा जिम्मेदारी अवर अभियन्ता की समझी गई इसलिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया। इसके बाद विस्तृत जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। अवर अभियन्ता को बहाल कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले वाला भू-खण्ड स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण विषयक पत्र

*38--श्री राम दत्त जोशी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1977 में उन्हें प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित कोई अनुरोध-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है जिसमें नैनीताल जिले के रामनगर कस्बे में अस्पताल भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले वाला भू-खण्ड स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय ? यदि हां, तो उसमें किस-किस कार्य के लिए वांछित भूमि हस्तान्तरित हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

बलबीर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत विषय विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष--

आपने नहीं दिया है तो यह भूल है और आप लिखकर दे दें तो मैं अपने आफिस से पूछूंगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं यह व्यवस्था का प्रश्न आपसे कर रहा हूं, कोई मंत्री प्रश्नोत्तर काल में मौखिक रूप से और लिखित रूप से कोई उत्तर दे और उसके पूर्व उसी संदर्भ में कोई दूसरा मंत्री कोई विपरीत उत्तर दिये हो तो वह विशेषाधिकार की परिधि में आता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका काल्पनिक प्रश्न है आपका कोई विशेष प्रश्न आएगा तो देखूंगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैंने 10 तारीख को लोक सेवा आयोग से डाक्टरों के स्थायी करने के संदर्भ में नियम 51 में एक सूचना आपको दी थी और आपने उसे ग्राह्य भी किया था और आपने मंत्री जी को निर्देश भी दिया था और उन्होंने 12 तारीख तय किया था, लेकिन आज के एजेन्डे पर ऐसी किसी चर्चा का जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्देश दिया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज वक्तव्य देने में अपनी कठिनाई बताई । उनका कहना है कि यह प्रदेश व्यापी प्रश्न है, अतः सब जगह से सूचना प्राप्त करनी होगी । इसलिए अब इसके लिए 24 अप्रैल की तारीख मैंने मुकर्रर की है और उस समय पूरे विस्तार के साथ सूचना माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के पास आ जायगी । इस लिए आज की कार्य-सूची में नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

उपाध्यक्ष का आज चुनाव होगा ?

श्री अध्यक्ष--

अभी इसका आइटम आएगा । तब बतलायेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

इसको जल्दी करवा दें । छुट्टी मिले ।

कानपुर में मद्य निषेध लागू हो जाने से कच्ची शराब, स्प्रिट तथा टिंचर जिंजर की बिक्री के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

***श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान कानपुर महानगर में मद्य निषेध से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

कानपुर महानगर एवं जिला, उन सात जिलों में से एक है जिनमें 1 अप्रैल, 1978 से पूर्ण मद्यनिषेध कर दिया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि सरकार का यह एक साहसिक कदम है तथा इस निर्णय से जहां एक ओर समाज में अपराधों में कमी आएगी वहीं दूसरी और यह कदम देश मे गरीबी कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा । किन्तु मद्य निषेध के उक्त निर्णय को यदि सख्ती से लागू नहीं किया गया तो समाज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े बिना नहीं बचेगा । मैं इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान मद्य निषेध की घोषणा के बाद कानपुर महानगर में उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

कानपुर में मद्य निषेध लागू हो जाने से कच्ची शराब, स्प्रिट तथा टिंचर जिंजर की बिक्री के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

कानपुर महानगर में पहली अप्रैल को मद्य निषेध लागू होने के बाद से कुछ लोगों के भाग्य खुल गए और वे अनाप-शनाप रुपया कमाने में लग गए हैं। पूर्ण मद्य निषेध होते ही पियक्कड़ शराब की जगह नशीली वस्तुओं की खोज में लग गए और नगर में होम्योपैथिक दवा के नाम पर रेक्टीफाइड स्प्रिट घड़ल्ले से बेची जा रही है। कुछ दूकानों पर यह रेक्टीफाइड स्प्रिट शीशी पर अष्टगंधा की लेबिल लगा कर बेची जा रही है। इन दूकानों पर जहां पहली अप्रैल के पूर्व लोग झांकने तक नहीं जाते थे आज अपार भीड़ दिखायी देती है और यह दूकानदार धन कुबेर बनने के लालच में यह जघन्य अपराध कर रहे हैं। आश्चर्य एवं चिन्ता की बात यह है कि इन दूकानों पर भीड़ लगाने वाले लोग अधिकांश श्रमिक एवं निर्बल वर्ग के लोग हैं।

इसी प्रकार शहर के अनेक स्थानों पर खास तौर से गंगा कटरी इलाके में भारी संख्या में भट्टियां बनाई गई हैं जहां कच्ची शराब निकाल कर बड़े पैमाने पर बेची जाती है। महानगर की श्रमिक बस्तियों में कुछ ऐसी दूकानें भी खुल गई हैं जहां टिंचर, जिंजर धड़ल्ले से बिक रही है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि वह कानपुर महानगर के इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें जो धन के लालच में न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वरन् गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं शासन से यह भी कहना चाहता हूं कि उक्त अवैध धंधा बिना पुलिस की मदद के सम्भव नहीं हो सकता। अतः उन थानों के पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय जिनके क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टियां अथवा टिंचर जिंजर की दूकानें चलती हुई पाई जायं।

त्यागी होस्टल, मेरठ कालेज के एक छात्र श्री राम पाल त्यागी की हत्या से छात्रों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को त्यागी होस्टल, मेरठ में श्री रामपाल त्यागी नवयुवक छात्र की हत्या कर दी गई। श्री रामपाल त्यागी मेरठ कालेज का एम0 ए0 इतिहास का छात्र था। सुबह 8 बजे अपने कमरे में बैठा हुआ था जबकि 3 व्यक्ति उसके कमरे में आए बिलकुल निकट से पिस्तौल द्वारा गोली दाग दी तथा छुरों से भी घायल कर दिया। श्री रामपाल त्यागी ने उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए। हत्यारे घटना-स्थल से भाग निकले।

रामपाल त्यागी मेरठ कालेज यूनियन का कर्मठ सदस्य था। छात्रों में अत्यन्त रोष तथा आतंक का वातावरण फैला हुआ है। मेरठ कालेज के छात्र यूनियन के अध्यक्ष, श्री के0 के0 शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने मेरठ जिलाधीश के समक्ष प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषियों को तुरन्त पकड़ा जाय।

मान्यवर, केवल युवक छात्र की हत्या का सवाल नहीं बल्कि मेरठ के समूचे छात्र जगत में फैले असन्तोष को दूर करने का सवाल है, प्रदेश भर में छात्र वैसे ही असन्तुष्ट हैं। अतएव, अपने साथी छात्र की हत्या की छानबीन तुरन्त न होना उनके अन्दर आग के शोले खड़े कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध है कि इस घटना को गुप्तचर विभाग को देकर सम्पूर्ण छानबीन करायें तथा हत्यारों का ध्येय क्या था तथा उनको दंडित कराया जाय। मेरठ के छात्रों में असन्तोष इस तरह दूर किया जा सकता है।

स्थानीय किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा क्वीन मेरी अस्पताल में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष, लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा क्वीन मेरी अस्पताल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के कारण अत्यन्त विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अस्पताल, छात्रावासों तथा कार्यालयों में बिजली तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था काट दी गई है। टेक्निकल स्टाफ न होने के कारण इमर्जेन्सी तथा गम्भीर रोगियों के आपरेशन तक का काम ठप है। आपरेशन इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि थियेटर में औजार आदि साफ नहीं हो सके। सफाई के अभाव में क्षेत्र में गन्दगी एवं दुर्गन्ध आ रही है। चौकीदारों के अभाव में मरीजों विशेष रूप से महिला रोगियों के लिए सुरक्षा के लिए भी संकट उत्पन्न है। मान्यवर, यह हृदय विदारक एवं विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करने के लिए जहां कर्मचारी को दोष दिया जायगा वहीं इस बात को ओझल नहीं किया जा सकता कि कर्मचारियों द्वारा उचित समय पूर्व हड़ताल का नोटिस दिए जाने के बाद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों आने दी गई? कालेज अधिकारियों ने उनकी न्याय संगत मांग को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। उनकी यह मांग कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को वर्ष में एक माह का वेतन, बोनस अथवा आनरेरियम के रूप में दिया जाता है वह उन्हें भी दिया जाय, न्यायसंगत है क्योंकि असमानता का औचित्य समझ में नहीं आता।

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था रोगियों के संकट तथा अध्ययन–अध्यापन की असुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह इस अविलम्बनीय महत्व की समस्या के समाधान हेतु स्वयं हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य बनाने की कृपा करें।

उन्नाव जनपद में बढ़ते हुये अपराधों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन्नाव जिले में बढ़ रहे अपराध, अराजकता तथा इससे उत्पन्न भय, आतंक व असुरक्षा के कारण ग्रामीणों द्वारा गांव व घर छोड़कर भागने सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गत 6–7 अप्रैल की रात्रि लगभग डेढ़ दर्जन सशस्त्र डकैतों ने थाना बारासगवर के ग्राम चिलौली में जयन्त कुमार त्रिपाठी के यहां हमला बोलकर लूटपाट की और गृहस्वामी के पिता को गोलियों की बौछार से मौत का शिकार बना दिया। इसी प्रकार थाना अचलगंज के ग्राम बाबूखेड़ा मजरा बंथर में एक लोध के यहां सशस्त्र डकैती पड़ी तथा ग्राम रायपुर खौलामऊ थाना अजगैन के अन्तर्गत ग्राम मुइयांदीन सहित सात घरों में एक रात्रि डाका पड़ा। इसी घटनाक्रम में थाना बांगरमऊ के अन्तर्गत जोगीकोट निवासी शौकत अली के घर डकैती पड़ी तथा हसनगंज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के ग्राम निवादपुर में गजराज यादव के घर डकैती पड़ी और डकैतों ने गृहस्वामी की हत्या कर दी। इसके बाद एक बुढ़िया का घर भी लूटा गया। अराजक तत्वों व बदमाशों के भय से ग्रामवासी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें भय की भावना इतनी अधिक व्याप्त हो गई है कि वह अपना गांव व घर छोड़कर बाल–बच्चों समेत अन्य गांव में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं।

थाना हसनगंज के ग्राम निवादपुर तथा थाना फतेहपुर चौरासी के ग्राम बिघड़वा, मजरा लमानी यह दो गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं और इन गांव के लोग अपने बाल–बच्चों सहित अपने–अपने घर छोड़कर अन्य गांवों मेंजा चुके हैं। पुलिस की सारी शक्ति भले लोगों को परेशान करने व जनता सरकार की छवि धूमिल करने में लगी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि थाना बिहार के ग्राम बजोरा मजरा रघुनाथ खेड़ा में एक ऐसे व्यक्ति को भी धारा 151/107/117 में पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाया गया है जो लगभग 35 साल पहले स्वर्ग सिधार चुका है।

अति लोक महत्व की इस सूचना के माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उन्नाव जिले में जनता में फैल रही भय, असुरक्षा तथा पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी से असन्तोष पर रोक लगाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें ताकि जनता सरकार में जनता की आस्था दृढ़ हो सके।

यमुना नदी में ताजवाला बांध से अधिक मात्रा में पानी छोड़ दिए जाने से तटवर्ती किसानों की फसल नष्ट हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)––

महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विगत दिवस दिल्ली में यमुना नदी में पानी कम हो जाने के कारण उस क्षेत्र में मछली पकड़ने के ठेकेदारों ने ताजेवाला बांध के अधिकारियों से मिलकर यमुना में करीब 9 फीट पानी ताजेवाला बांध से छुड़वा दिया। इस कृत्रिम बाढ़ की कोई पूर्व सूचना अधिकारियों द्वारा नदी के किनारे वाले गांवों के लोगों को नहीं दी गई।

इस कृत्रिम व आकस्मिक बाढ़ से न केवल नदी तल में वरन्, नदी के किनारे खेतों में होने वाली तरबूज, खरबूजा सहित हरी शाक–सब्जी जिसकी कीमत लाखों रूपये होती है, मथुरा, आगरा तथा इलाहाबाद तक बह गई तथा बरबाद हो गयी। प्रदेश के हजारों कृषक जिनका जीवन-यापन इस एक मात्र फसल पर निर्भर करता था बिल्कुल बरबाद हो गये हैं तथा उनके व उनके परिवार के सामने गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। नदी के किनारे बसे शहरों में सब्जी की किल्लत उत्पन्न हो गई है।

विडम्बना तो यह है कि करोड़ों रुपये की धन हानि होने व हजारों कृषकों के तबाह हो जाने पर भी आज तक तथाकथित कृषकों की परम हितैषी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। निराश्रित कृषकों के जीवनयापन के लिए कोई सहायता आज तक शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई। मेरा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि हजारों कृषकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले जिन अधिकरियों व मछली के ठेकेदारों का इस षड़यंत्र में हाथ है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जावे तथा इस कृत्रिम बाढ़ से प्रभावित निराश्रित एवं असहाय कृषकों को अविलम्ब आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।

वाराणसी काशी विश्वविद्यालय के स्थित छात्र संघ के अध्यक्ष सहित नियम 301 के अंतर्गत छात्रों की गिरफ्तारी से छात्रों में असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में आज शून्य प्रहर की सूचनायें बहुत से माननीय सदस्यों से प्राप्त हुयी हैं। इस में राम अधार राय रवीन्द्र सिंह, विद्या शंकर पाण्डेय और जनार्दन प्रसाद ओझा ने भी दी थी। चूंकि माननीय शतरुद्ध प्रकाश और राम अधार राय की डिटेल में थी इसलिए इसको मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, में यह चाह रहा था कि इस पर शासन का वक्तव्य आप कर दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

***श्री शतरुद्ध प्रकाश** (जिला वाराणसी)--

दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई0 को वाराणसी स्थित काशी विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष सहित आठ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे विश्वविद्यालय में आतंक एव भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। 11 अप्रैल, 1978 ई0 को करीब 12 बजे मात्र दस छात्र, संघ के अध्यक्ष के साथ रेक्टर से बात करने उनके निवास पर गये, वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और नगर पुलिस अधीक्षक के कहने पर उन्हें लाठियों से मारने लगे और छात्र संघ के अध्यक्ष को गिराकर पुलिस और पी0 ए0 सी0 के द्वारा लाठियों और बूटों से मारा गया, जिसके फलस्वरूप उनके दाहिने हाथ में गम्भीर चोट आई हैं, उनके साथ युवा जनता के अध्यक्ष, श्री शिव कुमार को मारा गया, जिससे उनका पैर टूट गया और कान कट गया। इसके अतिरिक्त युवा जनता के सदस्य श्री प्रमोद मिश्र, राजेन्द्र सिंह, बद्री नाथ, सुभाष त्रिपाठी व अनिल चोपड़ा को गम्भीर चोट आई है और जब ये सभी छात्र विश्वविद्यालय स्थित सर सुन्दर लाल चिकित्सालय में चिकित्सा करा रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।

सम्पूर्ण विश्वविद्यालय पुलिस छावनी में परिवर्तित हो गया है। शैक्षणिक वातावरण रह नहीं गया है। दमन और आतंक का साम्राज्य है। करीब एक वर्ष से वहां कोई कुलपति नहीं है। सम्प्रति न तो कोई रजिस्ट्रार है, न चीफ प्रोक्टर है और न कोई जिम्मेदार अधिकारी है।

इस समूचे प्रकरण पर इस सूचना के माध्यम से आप से निवेदन है कि सरकार अविलम्ब वक्तव्य दे और गिरफ्तार छात्रों को रिहा कर शैक्षणिक वातावरण बनायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए, देने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, एक बात निवेदन कर दूं। जहां तक सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था का सम्बन्ध है उसको छोड़ कर बाकी विश्वविद्यालय का पूरा-पूरा सम्बन्ध भारत सरकार से है। (शोर होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप शांत रहें। यह प्रश्न शासन व्यवस्था से सम्बन्धित है। जैसे विद्यार्थियों को लाठियों से पीटा जाना, उन पर लाठी चार्ज होना, इस का सम्बन्ध शांति व्यवस्था से है। जैसे वहां पर कुलपति नहीं है, न रजिस्टार है, न कोई जिम्मेदार अधिकारी है इनका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वहां के सामान्य प्रशासन से तो आपका सम्बन्ध है। तो इस सम्बन्ध में आपको वक्तव्य देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनका सम्बन्ध शांति व्यवस्था से है वहां पर पी0 ए0 सी0 भी गयी है। अगर राज्य का शांति व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं था तो पी0 ए0 सी0 कैसे गयी ? अगर हमारे शिक्षा मंत्री न चाहे होते तो वह वहां पर कैसे जाती ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वयं ही निर्देश कर दिया है।

श्रीं काली चरण--

यह मैंने स्वीकार किया है। इनके सुनने में भ्रम हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष--

तो यह कब आप वक्तव्य दे देंगे ?

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

कहां-कहां पर आर0 एस0 एस0 और युवा जनता की लड़ाई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

यह शीघ्रातिशीघ्र कब तक सम्भव हो सकेगा ?

श्री कालीचरण--

कम से कम 4 दिन का समय अवश्य दिया जाय, श्रीमन्।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य, वाराणासी ने माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है, वहां की स्थिति बड़ी भयावह है और वहां ला एण्ड आर्डर की वस्तु कोई नहीं है। विश्वविद्यालय में 10 हजार छात्र रहते हैं, उन में उत्तेजना व्याप्त है। अगर 4 दिन का समय दिया जायगा, तो बनारस कहां से कहां चला जायगा। मान्यवर, मंत्री जी चाहेंगे, तो आज ही शाम को वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं भी वाराणसी का सदस्य हूं। आपके माध्यम से जो सदन को सूचना दी जा रही है, यह सदन को गुमराह किया जा रहा है, छोटी सी सूचना आई है और उसको बढ़-चढ़ा कर कहा जा रहा है। ऐसी कोई बनारस में ला एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं है, बच्चों ने वहां पर कुछ ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब किया था, लेकिन वह इस समय अब ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री, कृपया कल पूरी सूचना प्राप्त कर लें, बनारस से कल तक सूचना मंगाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं, कल की तारीख निश्चित करता हूं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरठ के माननीय सदस्य ने नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचना दी थी, "उस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह मृतक रामपाल त्यागी, सन् 63 से छात्र था, उसके ऊपर डकैती और कत्ल के कई मुकदमें थे, जिससे वह एम0 ए0 नहीं कर पाया . . . . . ।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचना आप दे रहे हैं, जो तथ्य आप बतला रहे हैं, यह सरकार को मालूम होगा और सरकार इस संबंध में माननीय सदस्य को सूचना दे देगी कि इस विद्यार्थी का किन स्थितियों में कत्ल हुआ। इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। शून्य प्रहर की उनकी सूचना है और आपकी भी सूचना है, मैंने इसको सरकार के पास भेजा है।

उपाध्यक्ष पद के लिये आज होने वाले चुनाव का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

आज उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना था. मैंने इसको माननीय सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित कर दिया है और पुनः उसकी तारीख निश्चित की जायगी।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइये। सब लोग एक साथ नहीं बोलें। आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइये, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठ जाइये ।

श्री मधुकर दिघे (वित्त मंत्री)—

माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के सभी पक्षों की राय को मानकर आज उसको आपने स्थगित किया है। मैं अपने शासकीय दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें हमको विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगना चाहिये कि हम उनके बीच में पड़कर कुछ प्ले करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह अपना निर्णय स्वयं लें। अगर इधर से सर्वसम्मत निर्णय आता है तो ठीक है वरना सदन अपना फैसला लेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

एक निवेदन है मान्यवर, कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही सदन के सामने तो . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जब तक मैं अनुमति न दूं वह अपने स्थान पर खड़े रहें। इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है, सदन का अनावश्यक समय नष्ट होता है। आप कोई प्रश्न उपस्थित करना चाहते हैं तो आपको खड़े होना चाहिय। सब सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कार्यवाही नहीं चल सकती है, श्री जनार्दन ओझा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं एक बात....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैंने जनार्दन प्रसाद जी को बुलाया है।

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

माननीय संसदीय मंत्री जी ने जो बात कही है सदन के सामने मैं उससे सहमत हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह सदन कैसे चलेगा? जनतंत्रीय मान्यताओं की एक सीमा होती है और विरोधी पक्ष को एक अवसर दिया गया, दो दिये गये, आखिर यह कब तब चलेगा? वे यही लिखकर दें दें कि पूरे सत्र नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ही सदन को चलाने का भार रहेगा। हम तो समझते हैं कि वह अब भी कोई निश्चित डेट तय नहीं कर पायेंगे, इसलिये मेरी निश्चित राय है कि उनकी बात को मानते हुए यह भी एक डेड-लाइन बना दी जाय, उसके बाद कोई अवसर नहीं होना चाहिये। साथ ही जिस प्रकार से आपके ऊपर भार पड़ रहा है, उससे आपके स्वास्थ्य और क्षमता को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जल्दी ही आपका कोई सब्स्टीट्यूट, माफ कीजिए, मैं शब्द "सब्स्टीट्यूट" वापस लेता हूं, आपके साथ एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाय जिससे सदन का कार्य कुछ तेजी से चले, नये लोगों को मौका मिले, उसमें गति आये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक आश्वासन आपको लेना चाहिये कि यही आखिरी अवसर होगा, कोई निश्चित तिथि होनी चाहियें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात आ चुकी।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपने जो अभी आज्ञा सुनाई, यह बात सही है कि हम लोगों के निवेदन पर सुनाई है, लेकिन एक धारणा ऐसी लगती है खासतोर से उधर से जैसा कहा गया, मैं समझता था कि आप हम लोगों के कारण को भी बता देंगे। जो हमने आप से बताया था जब कि हम आपके पास गये थे, वह क्योंकि आपने नहीं बताया, इसलिये हम सदन के सामने रख देना चाहते हैं। श्री नारायण दत्त जी तिवारी आज कल नहीं थे और हम उनसे मिल नहीं सके। एक दल के वह नेता हैं उनकी राय भी हमारे लिये महा जरूरी है। हम उनकी राय के बिना कैसे कोई मत पर पहुंचे? और यह नतीजा निकालना कि विरोधी दल एक मत नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है। वह नहीं हो रहा है, ये गलत तरीके से गलत नतीजे पर न आयें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा पुरूषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर।)।

श्री अध्यक्ष—

जनार्दन जी, पुरुषोत्तम जी, आप बैठ जाइये।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कहा कि विरोधी दल मान्यता प्राप्त को मिलेगा मौका, यह सही है, लेकिन हम लोगों को आपस में बैठकर राय करना है। कल तिवारी जी नहीं थे। आज भी उपलब्ध नही है। इसलिये आपके पास गये और कोई बात उसमें नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री विजयराज सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री नेगी जी। विजयराज जी, बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई बहस का विषय है ?

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, कल आपके कक्ष में हम लोग आपसे मिले थे। तमाम नेताओं की बैठक हुई और कोशिश हुई कि हम लोग किसी एक राय पर पहुंच जायें, 9 बजे आज फिर मिले, मगर एक व्यावहारिक कठिनाई यह थी कि माननीय नारायण दत्त तिवारी, जो विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता हैं, वे उपलब्ध नहीं हुए। हम उनकी राय भी लेना चाहते थे। इसमें न कोई इसका सवाल है कि विरोधी पक्ष में कोई इस विषय पर मतभेद है, न और कोई बात ही है। ('व्यवधान) यह सही है कि इसमें विलम्ब हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि यह आप अंतिम समय दीजिए। इस दौरान हम लोग आपस में बात करके कोई नाम आपको दे देंगे। (व्यवधान) अगर नाम न दें तो आप जो ठीक समझें, करें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं विवाद की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे खेद है कि माननीय तिवारी जी को यह मालूम होते हुए भी कि आज इस पर चुनाव होना है, वे यहां नहीं हैं। उनको इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये थी, मैं उनके बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। लेकिन चूंकि आप सभी विरोधी पक्ष के नेताओं का अनुरोध था और आप चाहते थे कि इसको स्थगित कर दिया जाय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी इससे सहमत थे, मैंने इसको स्थगित कर दिया। बस यही अंतिम अवसर है। इसके बाद जितने नामांकन हैं उन पर ही चुनाव करा दूंगा अगर सहमति से कोई नाम नहीं आता है, तो। आप परामर्श करके निर्णय से शीघ्र ही मुझे सूचित कीजिएगा।

एक सदस्य—

कोई तारीख निश्चित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

तारीख मैं बाद में निश्चित करूंगा।

(व्यवधान)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

बिक्री–कर में संशोधन की घोषणा बिक्री–कर आयुक्त द्वारा किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—**

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न दिया था और मैं इंतजार कर रहा था कि आप शायद उसे लेंगे। मेरा निवेदन यह है कि बिक्री–कर आयुक्त, श्री सुब्रामन्यम ने, सदन का सत्र चलते रहने के बावजूद, यही लखनऊ के बिक्री-कर वकील संघ की एक सभा को संबोधित करते हुए जो अध्यादेश बिक्रीकर के संबंध में था उसमें व्यापक संशोधन होने की बात कही। वे इसके लिये अधिकृत व्यक्ति नहीं थे और कोई घोषणा सदन के चलते रहते सदन के बाहर नहीं की जा सकती थी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह जो विधेयक है वह कल ही माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा। उसको अगर आप देखें तो आज यह विधेयक, जो पहले अध्यादेश जारी किया गया था, उससे भिन्न है। इसका जिक्र ज्ञापन-पत्र में किया गया है। इस विधेयक में मान्यवर, 15 अन्य नयी बातों का जिक्र किया गया है जो अध्यादेश में नहीं थीं। तो इस प्रकार की बिक्री-कर सचिव घोषणा करें, मान्यवर, यह कर से सम्बन्धित है और नीति से सम्बन्धित बातें इसमें अन्तर्निहित हैं। इसमें ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने पिछले सप्ताह घोषणा की, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा प्रश्न व्यवस्था से सम्बन्धित था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न जब होता जब किसी नियम का उल्लंघन होता, आचरण के बारे में कोई बात होती तो इसमें अगर आप नियम का हवाला देते तो मेरी समझ में आता और आप इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में बात करते। आप विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देते। यह औचित्य का प्रश्न नहीं हो सकता है। औचित्य का प्रश्न तो नियमावली के किसी नियम के उल्लंघन का होता है। आप किस नियम का हवाला देना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ठीक है, कल मैं इसको फिर नियमानुसार उठाऊंगा।

दैनिक हिन्दूस्तान के सम्पादक तथा गोरखपुर स्थित सम्वाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा गोरखपुर स्थित सम्वाददाता के विरुद्ध दी है।

मैं इस सूचना पर अपना निर्णय करने से पहले हिन्दुस्तान के सम्पादक और हिन्दुस्तान के सम्वाददाता से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, इस सदन में काफी गम्भीरतापूर्वक विचार होने के बाद, गरमागरम बहस होने के बाद, एक विधायक श्री राम गोविन के साथ जो व्यवहार हुआ था उस सम्बन्ध में मामले को अपने विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। जो हमारे संविधान की प्रक्रिया है उसमें दो ऐसी शक्तियां मानी जाती हैं जो अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, एक ऐसी उनकी स्थिति है जिसका विशेष महत्व हमारे संविधान में हैं। जिस तरह से कोई मामला सबजुडिस होता है, न्यायालय के विचाराधीन होता है उसी तरह से इस सदन में जब किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया हो तो यह माना जाता है कि उस प्रश्न पर कोई व्यक्ति, कोई अखबार ऐसा प्रचार नहीं कर सकता जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यहां पर सारी चर्चा होने के बाद मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। आपके निर्देश पर एस0एस0पी0 के ट्रांसफर के आदेश दिए गए। इस सारे सदन की भावना उससे सम्बन्धित थी।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे निर्देश पर नहीं, मुख्य मंत्री जी ने स्वयं वहां पर शासकीय त्रुटि को समझ कर किया ह। मैं किसी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश नहीं दे सकता।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, ठीक है, मैं अपने कथन में संशोधन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की भावनाओं का आदर करते हुए, स्वयं भी मामले के महत्व को देखते हुए तबादला कर दिया उसके बाद नवीन घटना हुई है। अखबारों में निकला है कि पुलिस कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो गया है कि क्या जो महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सम्मुख विचाराधीन हो, जिस महत्वपूर्ण विषय पर, प्राइमाफेसी केस सदन ने मान लिया है, क्या कोई समाचार-पत्र, कोई व्यक्ति उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्रचार करने के लिए अधिकारी है ?

मान्यवर, जब कोई घटना कोर्ट के सामने सबजुडिस है तो प्रचार नहीं होगा। इसी तरह जो प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने है उसकी मेरिट के बारे में, औचित्य के बारे में किसी को चर्चा करने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में नेशनल हैराल्ड में निकला है, कल

विशपाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

और छपेगा जो वह केवल विशेषाधिकार का सवाल नहीं है। यह इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर न्यायापूर्ण निर्णय हो।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जैसा तोमर जी ने इशारा किया कि गम्भीर है इसलिए यदि वह अंश पढ़कर सारांश में सुना दे कि करस्पान्डेन्ट में क्या छापा है ?

श्री अध्यक्ष—

तोमर जी ने कहा है कि विधायक श्री राम गोविन केप्रति गोरखपुर पुलिस के दुर्व्यवहार का एक मामला माननीय सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौपा गया। प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित तथ्यों को सदन में तथा सदन के बाहर समाचार–पत्र, रेडियो आदि द्वारा व्यापक रूप से प्रचार किया गया। दिनांक 10–4–78 को दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान के पृष्ठ 6 पर है कि पत्र के गोरखपुर स्थित सम्वाददाता द्वारा भेजा गया एक समाचार 'विधायक को क्यों रोका' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है। समाचार पढ़ने से स्पष्ट है कि गोरखपुर पुलिस के सूत्र उक्त सम्वाददाता के द्वारा माननीय सदन द्वारा प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किए जाने के बाद समिति को प्रिजुडिस करने की कुचेष्टा कर रहे हैं इसलिए पत्र के सम्पादक तथा गोरखपुर स्थित सम्वाददाता दोनों सदन तथा विशेषाधिकार समिति के घोर अपमान के दोषी हैं। समाचार–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। समाचार–पत्र भी भेजा है। इसमें लिखा है कि विधायक को क्यों रोका। इसलिए मैंने कहा।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो शीर्षक है कि क्यों रोका। उसमें आगे क्या है वह पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

हमने जवाब मांगा है संवाददाता से और संपादक से भी। उसके बाद फिर देखा जायेगा। यदि प्रादर्शन में केस बनता है तो इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जायेगा।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देव बहादुर सिंह ने दिया है कि दिनांक 10 अप्रैल, 1978 को आजमगढ़ में आयोजित जनता पार्टी की चुनाव सभा में छात्रों की भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज इसको मैंने अस्वीकार किया है, चूंकि यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है यह तो एक ऐसा विषय है जो आजमगढ़ की स्थानीय घटना हो सकती है। कार्य–स्थगन करके इस प्रस्ताव को लेना मैं अनावश्यक समझता हूं। इसलिए इस सम्बन्ध में आप प्रश्न दे दें। प्रश्नों के द्वारा सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, न्यायालयों में पुलिस ने घुसकर पीटा है। उसकी कुछ परम्परायें होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रश्न का प्रतिपादन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न द्वारा आप जानकारी मांग सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैंने नियम 51 में दिया है यदि उसको स्वीकार करने में असमर्थ हों तो वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

जब नियम 51 का समय आयेगा, तब मैं विचार करूंगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि 20 लड़के घायल हैं और 7 बार लाठीचार्ज हुआ है।

मुख्य मंत्री जी मौजूद थे । मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस प्रस्ताव को नियम 51 में स्वीकार कर लें । सदन में वक्तव्य तो आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जब आपने नियम 51 में स्वीकार करने के प्रश्न को मुझ पर छोड़ दिया तो आप यहां कह कर मेरे विवेक पर दबाव क्यों डाल रहे हैं ?

1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं इस पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। बहुत से लोग बोलने वाले हैं । मैंने निश्चित किया है कि मैं उन्हीं सदस्यों पर अपनी दृष्टि डालूंगा जो गवर्नर के भाषण पर भी नहीं बोले हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आज अन्तिम दिन है बजट के ऊपर सामान्य चर्चा का । मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस सारी चर्चा का जवाब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस सदन में आना चाहिये । अभी से आप ऐसी व्यवस्था करें कि माननीय मुख्य मंत्री जी समय से पहले ही आ जाएं, तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा अच्छा हो कि सामान्य चर्चा म अवश्य मुख्य मंत्री को भाग लेना चाहिये । यदि माननीय मुख्य मंत्री जी हों तो उनसे कहियेगा कि इस विषय पर विवाद के अन्दर भाग लें ।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । कई दिनों से मैंने प्रतिपक्ष के लोगों की बात सुनी । भूतपूर्व मुख्य मंत्री, नारायण दत्त तिवारी की बातों को सुना । उनके मन में बहुत पीड़ा और कसक थी और उन्होंने जनता पार्टी पर बड़ी करारी चोटें की । मान्यवर एक शेर है :

साहिल के तमाशायी अफसोस तो करते हैं,
पर डूबने वालों की इमदाद नहीं करते ।

वह भी सत्ता में थे और उन्होंने हुकूमत चलायी थी। लेकिन आपने इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिये कौन से कदम उठाये । आपको देखना चाहिये था कि हमारी खेती और ग्राम का विकास हो । इस बजट में उनके लिये कुछ किया गया है । कृषि के लिये 111 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिये 168 करोड़, लघु उद्योगों के लिये 13 करोड़ रखा गया है । उन लोगों

---

†11 अप्रैल, 1978 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिये भी प्राविधान किया गया है जो अब तक उपेक्षित थे । सफाई कर्मचारियों के बच्चों की देख–रेख की बात इसमें रखी गयी है । उनके बच्चों के लिये कोचिंग की व्यवस्था है जो निःशुल्क होगी । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जनता सरकार को एक बहुत कमजोर और जर्जर आर्थिक ढांचा प्राप्त हुआ । दिशाहीन अर्थनीति एवं गलत प्राथमिकताओं के कारण भी प्रदेश को नुकसान पहुंचा है । वर्तमान सरकार ने खेती और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है । लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब जनता को भाषण नहीं चाहिये, वह अपनी समस्याओं का निदान चाहती है । मैं इस अवसर पर कुछ विभागों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

शिक्षा विभाग को लें । स्कूल, पाठशाला और परिवार नागरिक के निर्माण की असली जगह है । प्रारम्भिक शिक्षा बुनियादी है नये नागरिक पैदा करने के लिये । माननीय शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो नारा उन्होंने दिया था कि खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा । मैं जानना चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा की तरफ आपने क्या किया बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने दर्शाया है कि 2,100 और कुछ नये प्राइमरी स्कूल और 700 और कुछ नये मिडिल स्कूल खोले जायेंगे । लेकिन, मान्यवर, केवल नये प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोल देने से प्राइमरी शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला । माननीय वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि जो आज हजारों प्राइमरी और मिडिल स्कूल पड़े हैं, जिनमें न इमारत है, न टाट–पट्टी है और न कोई दूसरी साज-सज्जा है, पहले उनकी व्यवस्था करते । इसी तरह से विश्वविद्यालयों के बारे में बात है । वहां के छात्रों के लिये आज कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में गया था । वहां का मैं छात्र था । आज वहां कानून के पहले साल में 5 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं । लेकिन न इमारत है, न फर्नीचर है और न कोई साज-सज्जा । इस तरह से शिक्षा जगत में कोई सुधार लाना असम्भव है ।

मान्यवर, पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि विद्यार्थियों के लिये छात्रावास और वहां पर भोजन आदि सुलभ कराने का इन्तजाम किया जायेगा । लेकिन प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में सरकार के सहयोग से लड़कों के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया ।

अब मैं, मान्यवर, बेरोजगारी की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज पढ़े–लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या एक भीषण समस्या बन गयी है । मान्यवर, मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जेल गया था और वहां पर उनसे इस पर विचार-विमर्श हुआ था कि बेकारों को या तो काम दो या उनको बेकारी का भत्ता दो । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे वित्त मंत्री जी शायद बजट बनाते समय बेरोजगारी भत्ते के सवाल को भूल गये । मान्यवर, पश्चिमी बंगाल ने बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला जब ले लिया है, तो हमारी सरकार यह फैसला क्यों नहीं ले सकती ? मान्यवर, प्रदेश में 4/5 लाख बेरोजगारों को काम देने की बात कही गयी है । मेरा निवेदन है कि सूबे में तमाम मोहकमें हैं जिनमें इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । सूबे के तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बात का ऐलान कर दें कि पढ़े-लिखे और इस योग्यता के लायक इतनी नौकरियां खाली हैं । लिहाजा विद्यार्थी कोशिश करें अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिये । मुझे अफसोस है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये सूबे की अवाम को हमारी इस सरकार से जो अपेक्षा थी, उस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कर सकी ।

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं । अब कृषि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कृषि के लिये खाद मिल जाय, बिजली मिल जाय, ट्रैक्टर मिल जाय और दूसरी सहूलियतें मिल जाय, तो कृषि को उन्नति हो सकती है । लेकिन इन सारी रियायतों के साथ–साथ किसानों के लिये जो सबसे अहम मसला है कि वह जो कृषि की चीज का उत्पादन करता है, उसको कीमत उनको ठीक हिसाब से मिलनी चाहिये । इस सम्बन्ध में

[श्री रवीन्द्र सिंह]

मैं मौजूदा गन्ने की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने भी इस माननीय सदन में इस बात की घोषणाकी थी कि काश्तकारों का एक-एक गन्ना वगैर पेरे चीनी मिलें नहीं बन्द करेंगे । इस पर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से मेजों की थपथपाहट हुयी। लेकिन फिर गन्ना मंत्री जी ने कहा कि पहली अप्रैल से चीनी मिलों को रियायत दी जायेगी । मान्यवर, मेरी गन्ने के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि जो वजन गन्ने का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रहता है, वह वजन जून और जुलाई में नहीं होता । गन्ने का वजन घट जाता है । आपका इन्तजाम न होने के कारण काश्तकार का गन्ना अगर वह 100 क्विन्टल होता, तो वह घटकर 80/90 क्विन्टल हो गया । भारत सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पटेल आयोग का गठन किया था । उस आयोग की संस्तुति में लिखा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है । भारत सरकार ने सर्वे करायी । सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के 52 जिले पिछड़े हुये हैं उन 52 जिलों में से 28 जिले उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये हैं और उन 28 जिलों में से 11 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये हैं । मान्यवर, पटेल आयोग की संस्तुति थी उद्योग लगाने के लिये, पेपर इण्डस्ट्री लगाने के लिये, कार्ड बोर्ड की इण्डस्ट्री लगाने के लिये । जब तक इस तरह का कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जायगा तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता ।

जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ से एक अरब तक का नुकसान बाढ़ से हो जाता है । इसे रोकने के लिये . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक मिनट । जिस तहसील से मैं चुन कर आता हूं उस तहसील की आबादी का दबाव प्रति वर्ग मील अधिक है और एक ऐसा उद्योग तीस साल में और जनता पार्टी के शासन के एक साल में बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया । मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस क्षेत्र में जहां आबादी का भार अधिक है, लोग गरीब हैं, वहां पर बेरोजगारी है, कोई न कोई उद्योग लगाने की कृपा करें ताकि हमारे क्षेत्र में गरीबी दूर की जा सके ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग राज्यपाल के भाषण में भाग ले चुके हैं कृपया वे खड़े होने का कष्ट न करें ताकि अन्य लोगों को मौका मिल सके ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के सामान्य चर्चा में पांच मिनट का समय कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

. . . अन्य सदस्यों को राज्यपाल के भाषण में मौका नहीं मिला । आप बैठिये ।

बी शंकर सिंह—

मैं आपका आभारी हूं कि आप ने बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मैं बजट गा समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मुझे आज भी वह दिन भूला नहीं है जबकि सात–आठ महीन पहले माननीय वित्त मन्त्री जी ने पिछला बजट इस सदन में पेश किया था और उस वक्त सदन को आश्वासन दिया था कि यह बजट जल्दी में बनाया गया है तथा जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके अनुरूप हम इसको नहीं बना सके और यह आश्वासन दिया था कि अगले बजट को पेश करेंगे तो जनता पार्टी की नीति के अनुसार उसको बनायेंगे। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि जैसा वित्त मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि अगला बजट जनता पार्टी की नीति के अनुसार बनेगा इसे उन्होंने बहुत हद तक पूरा किया है।

श्रीमन्, जो प्रदेश में आर्थिक पिछड़ापन रहा है उसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि उसके लिये जो पिछली सरकार थी वही बहुत हद तक जिम्मेदार थी, लेकिन यह कहते–कहते एक वर्ष निकल गया। ऐसा कहने से प्रदेश को जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता यह सुनना नहीं चाहती कि पिछड़ेपन के लिये कौन जिम्मेदार है। सही इम्तहान हमारा अब होने वाला है, जनता पार्टी का होने वाला है कि प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये कुछ कर रहे हैं या नहीं। श्रीमन्, जैसा कि इस बजट को देखने से पता लगता है इसमें प्राथमिकता ग्रामीण विकास को दी गयी है, जो हमारी पार्टी का नारा भी रहा है, राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि गांवों की ओर चलो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उद्देश्य है वह बहुत पवित्र है और गांव को उपेक्षा इतने दिनों से होती आ रही है वह हक गांवों का उनको मिलना चाहिये। लेकिन गांव तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिये सड़कें चाहिये। अब वह जमाना नहीं है कि हाथी या ऊंट पर बैठ कर गांव पहुंच गये। कुछ गधे जरूर मिल जाते हैं लेकिन वह ज्यादातर शहर में मिलते हैं और उन लोगों के लिये छोड़ दिये गये हैं जो इतने दिनों तक शासन चलाते रहे। गांव तक पहुंचने के लिये हमारी सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ महीनों में उसने सम्पर्क मार्ग के लिये एक योजना चालू की है लेकिन जो सम्पर्क मार्ग बनाये गये वे पर्याप्त नहीं है। हर मंडी क्षेत्र में जितने सम्पर्क मार्ग बनाये गये हैं उससे अधिक सम्पर्क बनाये जाने चाहिये।

एक बात का मैं उल्लेख करूंगा कि हम लोगों का क्षेत्र बुन्देलखण्ड है, जो पिछड़ा इलाका है, जालौन जिला ले लें तो भी वहां पूरी तहसील में एक मंडी क्षेत्र आता है, जब कि पश्चिमी जिलों में एक–एक तहसील में चार–चार मंडी क्षेत्र आते हैं। वहां पर 12 किलोमीटर का एरिया सम्पर्क मार्ग के लिये रखा गया है। लेकिन शेष उत्तर प्रदेश में खास कर हमारे बुन्देलखण्ड में जहां एक तहसील में एक मंडी क्षेत्र आता है वहां पर 12 किलीमीटर सम्पर्क मार्ग के लिये रखना पर्याप्त नहीं होगा, बुन्देखण्ड के क्षेत्र में इसे कुछ और बढ़ा दिया जाय। गांव तक पहुंचने के लिये पर्याप्त रास्ते नहीं हैं। गांव के अन्दर भी आसानी से नहीं घुसा जा सकता। जाने के लिये अन्दर एक भी रास्ता ठीक नहीं है। वहां पर जब से पेयजल योजना लागू हो गयी है तब से स्थिति और गंभीर हो गयी है। पूरे रास्तों में पानी भरा रहता है, पनाले बहते रहते हैं। पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा गांव तक पहुंचने के लिये ऐसे रास्ते बनाने की आवश्यकता है ताकि किसान अपने घर तक पहुंच सके।

इसके अलावा रास्ता बनाने के लिये, नाली अथवा तालाब निर्माण के लिये, कुआं निर्माण के लिये सरकार की ओर से जो व्यवस्था की जाती है और धन उपलब्ध कराया जाता है। वह सब कार्य सभापति के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये सब पुराने सभापति हैं, आदतें उनको वही हैं। होता फिर क्या है ? आधा से ज्यादा रुपया सभापति की जेब में तथा ब्लाक के जो कर्मचारी हैं उनकी जेब में चला जाता है। सभापतियों को कोई तजुर्बा भी नहीं होता कैसे रास्ते बनाये जांय, कैसे कुएं बनवाये जांय, कैसे पंचायत भवन बनवाया जाय। उसका नतीजा यह होता है कि सारे का सारा निर्माण कार्य गलत हो जाता है और सारा पैसा बरबाद हो

[श्री शंकर सिंह]

जाता है, उसका दुरुपयोग होता है । इसलिये गांव के रास्तों के लिये सरकार प्राथमिकता दे । खास तौर से इसके लिये रुपया दिया जाय और वह पैसा सभापति को न देकर ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग जो है उसे सौंपा जाय और वहीं गांव के रास्ते बनवाये ।

जहां तक शिक्षा का सवाल है शहर में कालेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं लेकिन गांवों में अधिकतर प्राइमरी स्कूल हैं या थोड़े से ऐसे गांव हो सकते हैं जहां जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा दी जाती है ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुये ।)

आज पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में जो असन्तोष व्याप्त है उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी नींव है, वही कमजोर है । जो हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं उनमें जो सबक सिखाया जाता है उसी से विद्यार्थी आगे बढ़ता है । साथ ही इन प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में जो अध्यापक हैं वे महीनों तक और यहां तक कि पूरा का पूरा सत्र बीत जाता है, वे स्कूल के दर्शन नहीं करते हैं । यही हालत हर जिले की है । मैं चाहता हूं कि इन स्कूलों में जो अध्यापक हैं और जो इस तरह से स्कूलों के दर्शन तक नहीं करते, जो हमारे छोटे-छोटे बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।

अब स्कूलों के भवनों की बात आती है । मान्यवर, अगर आप निरीक्षण करें तो हजारों स्कूल प्रदेश में ऐसे मिल जायेंगे जिनके पास भवन नहीं हैं । बच्चे पेड़ों के नीचे, छप्परों के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं । मैं चाहता हूं कि एक योजना बनायी जाय और यह देखा जाय कि प्रदेश में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं और उनके लिये भवन बनायें जांय जिसमें वह स्कूल चल सकें । जब तक स्कूल का भवन नहीं बनाया जाता तब तक स्कूल खोलते रहने से कोई भला होने वाला नहीं है । दूसरी चीज यह है कि जो ऐसे अध्यापक हैं जो गैरहाजिर रहते हैं, मौके पर नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।

देहातों में चिकित्सा की हालत बहुत खराब है । ऐसा मालूम होत है कि उनको जिन्दा रहने का हक नहीं है । गांवों में अस्पताल नहीं है जिस कारण उन लोगों को छोटे-छोटे इलाज के लिये शहरों में जाना पड़ता है । मैं जानता हूं कि सरकार के सामने आर्थिक संकट हो सकता है । (लाल बत्ती जलने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जब तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब तक कृपा करके उठने का कष्ट न करें ।

श्री शंकर सिंह—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि गांवों में कम से कम छोटे-छोटे आयुर्वेदिक या होमियोपैथिक अस्पताल खोले जा सकते हैं ।

अब मैं अपने क्षेत्र बुन्देलखण्ड के बारे में दो–एक सुझाव दे देना उचित समझता हूं श्रीमन्, जहां तक बुन्देलखण्ड का प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहां पर होड़ मची रहती है और हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहता है । लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि प्रदेश में कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वह बुन्देलखण्ड है और प्रदेश में उपेक्षा यदि किसी क्षेत्र की होती रही है तो वह बुन्देलखण्ड की होती रही है ।

मान्यवर, इसमें मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है कि पहाड़ों के लिये अलग से एक मंत्रालय बनाया गया । बहुत अच्छा है । करोड़ों रुपयों की योजनायें उसमें बनायीं जांय, ठीक है उसकी तरक्की होनी चाहिये । लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश का जो पिछड़ा हुआ हिस्सा

बुन्देलखण्ड का है उसको उसका हिस्सा तो मिलना ही चाहिये । इस उपेक्षा से बुन्देलखण्ड के लोगों में एक अलगाव की भावना पनपती चली जा रही है । वहां का किसान केवल एक रबी की फसल पैदा करता है और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है । जैसा कि आज माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा है कि हम 125 रुपये उन्हें देंगे । यह 125 रुपया रहेगा भी या नहीं, पता नहीं है । लेकिन अगर रहता भी है तो कम से कम इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि जो किसानों की उत्पादन की कास्ट आती है, उसे क्या आप किसान को दे सकेंगे ? मैं, श्रीमन् अनुरोध करता हूं कि किसान के लिये बेचने की सही दर होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त जो वहां पर सिंचाई के काम हैं जितने भी ट्यूबवेल वहां पर लगे हुये हैं वे सफल रहे हैं और ट्यूबवेल लगना आवश्यक है । जहां तक सड़कों के निर्माण और उद्योगों का सवाल है उसके सम्बन्ध में हमारे उद्योग मंत्री उस क्षेत्र में जा चुके हैं और उन्होंने देखा है वहां पर कालीन उद्योग के दो ट्रेनिंग सेन्टर खुल चुके हैं और औद्योगिक स्टेट भी स्वीकृत हो चुकी है । मुझे विश्वास है कि दूसरे मार्गों को भी सरकार पूरा करेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ. . .

(श्री सुमेर चन्द्र गोयल का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

हम यहां खड़े हैं और आप वहां देखते हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

जहां दृष्टि पड़ेगी, उन्हीं को बुलाया जायेगा । धैर्य रखिये, आपको अवसर मिलेगा ।

श्री सुमेरचन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सन् 1978–79 के बजट का समर्थन करते हुए मैं उसकी सराहना करता हूं। गरीब, मजदूर, किसान और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है । मगर कुछ सुझाव देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । हिन्दुस्तान देश ग्रामों का है और कृषि प्रधान देश है। किसानों की उन्नति का ध्यान इसमें रखा गया है। मगर यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर पाई कि वह चीनी का निर्यात गैर मुल्कों को करे । जब यह मालूम था कि 15 लाख टन शुगर हमारे देश में शेष है तो यह जरूरी था कि चाहे कम कीमत पर ही सही वह हमारी चीनी को दूसरे मुल्कों को भेजती । इससे किसानों को गन्ने की कीमत मिल जाती और आज जो त्राहि–त्राहि किसानों में मची हुई है वह न मचती । अब भी जैसा खाद्य मंत्री जी ने कहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि 125 रु0 प्रति क्विन्टल गेहूं का दाम निश्चित होगा । हमारी सरकार की खास तौर से यह जिम्मेदारी है कि अब आने वाली फसलें गेहूं वगैरह में किसान को हानि न हो । इस साल जैसा कि गेहूं ऐसा लगता है ज्यादा होगा, हम केन्द्र सरकार को बाध्य करें कि वह गेहूं का निर्यात करें ।

किसान की भलाई के लिये फैशर वगैरह में सुविधा देने की बात की गई है कि उनके टैक्स कम कर दिये जायेंगे । सरकार चाहती है कि किसान का भला हो । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि शायद इससे किसानों का भला नहीं होगा । अच्छा यह होता कि जो 10, 15 लाख या एक करोड़ रुपया टैक्स के रूप में माफ किया जायेगा उसके बदले किसान की मालगुजारी या कर्ज माफ कर देते या खाद बटवा दी जाती ।

मान्यवर, मद्य निषेध की बात भी बजट में कहीं गई है । यह बहुत खुशी की बात है । पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग महापुरुषों का नाम लेकर मद्य निषेध की बात करते रहे और इलेक्शन जीतते रहे लेकिन इस काम में कामयाब नहीं हुए ।

[श्री सुमेर चन्द्र गोयल]

बल्कि यह देखने में आया है कि सन् 1947 में जितनी शराब की दुकानें थीं उससे 50 गुना या 100 गुना ज्यादा दुकानें खुल गयीं। अब जनता सरकार ने आह्वान किया है और मद्य निषेध लागू किया है। मगर मैं समझता हूं कि सिर्फ कानून से हल नहीं होगा बल्कि आम लोगों को शिक्षा देनी भी जरूरी है। हम देखते हैं कि कुछ कांग्रेस जन यह कहते सुने गये हैं कि अच्छा साहब यह मद्य निषेध लागू किया गया है पहले मजदूर दिन भर मेहनत करता था और शाम को थोड़ी शराब पी लेता था तो थकान दूर हो जाती थी। इस किस्म की चीज फैलाई जा रही है। तो सिर्फ कानून से ही शराब बन्दी नहीं होगी। मैं निवदन करूंगा हमारे देश में राजनीतिक, एम0 एल0एज0 मिनिस्टर, और बड़े-बड़े लोग यह नियम बना लें कि जहां पर शराब चल रही होगी ऐसी दावतों का बहिष्कार करेंगे और वहां पर बैठेंगे भी नहीं। एक इस तरह का वातावरण देश में होना चाहिये कि अगर एक बोतल शराब दी जाय और उसके साथ 10 रु0का नोट किसी को दिया जाय। तो वह 10 रु0 के नोट को फाड़ दे और शराब में मक्खी भिनके। इसके लिये जरूरी होगा कि नागरिकों को ऐसी शिक्षा दी जाय ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसके दिमाग से शराब पीने की बात उड़ जाय।

शिक्षा के उत्थान की बात बजट में की गई है, हजारों स्कूल खोलने की बात हुई है, जो कि अच्छी बात है। किन्तु इसमें मेरा सुझाव यह है कि जो हमारी संस्थायें हैं,उनको टैकनिकल स्कूलों में परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हमारे यहां इंटर, बी0ए0, एम0 ए0 पास व ट्रेन्ड अध्यापक लाखों की संख्या में खाली (बेरोजगार) मौजूद हैं, लेकिन अच्छे किस्म के कारपेन्टर, लोहार, पेन्टर आदि मुश्किल से उपलब्ध हैं, जो कि 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी बाजार में मिलते नहीं हैं। अतः आवश्यकता है कि आठवीं पास करने के बाद ज्यादा से ज्यादा तवज्जह इस पर दी जाये कि वे टेकनिकल स्कूलों में पढ़ कर लोहार, बढ़ई और मिस्त्री बनें। ट्रेनिंग कालेज—आई0 टी0 आईज0 के बारे में मालूम हुआ है कि ये भी दाखिले में यह देखते हैं कि विद्यार्थी बी0 ए0 पास है या क्या पास है या उसको क्या डिवीजन है। इंटर पास दाखिला पा जाते हैं और आठवीं पास विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। जब वहां पर उन्हें धंधे की ट्रेनिंग प्राप्त करनी है और आगे चल कर शारीरिक श्रम करना है, शिल्पकारी करना है, तो वहां पर शिक्षा का इतनी कैद लगाना ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि वहां आठवां पास ज्यादा दक्षता के साथ काम कर सकते हैं, कई साल तक कालेजों में शिक्षा पाये लड़कों के हाथ या कलाई इस तरह के काम को नहीं कर सकते हैं। जो लोग ऐसे परिवार से आये हैं, जो पढ़ने में पीछे रहे हैं, वह वहां सब प्रकार का कार्य कर सकते हैं—रंदा चला सकते हैं और हथौड़ा चला सकते हैं। इसलिये मैं टेक्निकल शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें। रेलवे में जहां 10वीं क्लास क्वालीफिकेशन है, तो वह फर्स्ट क्लास मैट्रिक लेंगे, बी0ए0, एम0ए0वाले को नहीं लेंगे। इसलिये इन स्कूलों में जहां आठवीं कक्षा की शिक्षा निर्धारित है, ऐसा ही होना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज ला एन्ड आर्डर की पोजीशन बड़ी खराब बताई जाती है। पहले श्रीमती इंदरा गांधी और उनके कार्यकर्त्ता महंगाई का बहाना कर देश के लोगों को बर गलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब देखा कि महंगाई कम होने के कारण उनको अब इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आवश्यक चीजों के दाम पिछले सालों के मुकाबिले में काफी मात्रा में कम हैं, इन्होंने ला एन्ड आर्डर का नाम लेकर लोगों को बहकाना, बर गलाना शुरू कर दिया है। यह बड़ी नाजुक समस्या है और खासकर उस दशा में जब राजनीतिक पार्टियों के लोग इस बात का फायदा उठाकर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे कानून विभाग वाले ऐसा कानून बनावें कि वह राजनैतिक लोग जो अराजकता करते हैं और खासकर लखनऊ की सड़कों पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर उनको कड़ी सजा दी जाए।

श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बोलने का समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

एक समय पर कुल सदस्य नहीं बोल सकते। आप भी यहां बैठेंगे तो आप मुझसे सहमत होंगे। धैर्य रखिए। कोशिश की जायगी कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जिनका नाम जानते हैं उन्हीं को बोलने के लिए कहते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह यादव (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा बजट उस बजट से भी ज्यादा अच्छा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बड़ा अफ़शोस रहा कि हम लोगों में आपस में इतनी भिन्नता रही, सरकारी मशीनरी कुछ ढीली रही। हमारी मंशा जितनी नेक थी उतना अच्छा काम हुआ नहीं। इस बजट में भी मंशा बहुत अच्छी है। बड़ी कोशिश की गई है गांव की भलाई की। लेकिन गांव की भलाई कहने वाली बात अब तक होती रही और अब भी हो रही है। जनता पार्टी से आशा थी, इतना सब कुछ किया लेकिन आज भी शासन की जो सत्ता तब थी उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। ज्यों कि त्यों चल रही है।

हमारे बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने न्याय की बात कही है। लेकिन न्याय देने के लिए कोई समय नहीं दिया है। 12–12, 14–14 साल मुकदमा चलने पर भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सका है। कहा गया है कि अदालतें बढ़ायेंगे। तहसील में परगना अधिकारी बैठने लगा। पहले तहसील में अगर 15 दलाल थे तो तहसील में परगना अधिकारी के आने पर 25 का इजाफा हो गया। जो और अदालतें बैठेंगी उनका ढर्रा यही चलेगा। दलाल बढ़ेंगे। हमारे जो आयोग हैं, जितने अफसर हैं, कभी सुन लेते हैं कि कोई पकड़ लिया गया या तो सक्षम नहीं है या उनका मन नहीं है काम करने का।

जो मुल्क में और प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था का काम होता रहा है, साथ–साथ रिश्वत का बवाल बढ़ रहा है।

शिक्षा की बात है। हमारे वित्त मंत्री जी ने पहले भी कोशिश की, प्राइमरी स्कूल बढ़े, जूनियर हाई स्कूल बढ़े। अब की बार भी बहुत कुछ संकेत हैं। ठीक है बढ़ेंगे। हमने बहुत सी बार अपने क्षेत्र के लिए और भी जगह के लिए यह संकेत किया शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा बढ़ाने में इतना लाभ नहीं है जब तक उसका सुधार न हो। बेसिक एजूकेशन की ऐसी स्थिति है कि वहां पर फारमलिटी पूरी की जाती है। दस बारह साल हो गये हैं, क्लास नहीं पढ़ाते हैं, दस्तखत कर देते हैं। जूनियर बेसिक हाई स्कूल की हालत यह है कि एक काष्ठकला शुरू की गई है। आज दिन तक वहां न हथौड़ा है न बसुला है, न आरी है। बच्चों के इम्तहान के समय, पट्टा बेलना खरीदवा लिया जाता है और बच्चे पास कर दिए जाते हैं। इसके बाद वह सामान हजारों की तादाद में बेच दिया जाता है। प्राइमरी स्कूलों में इमारतें नहीं हैं। कहीं अध्यापिकाएं रख दी गई हैं। ऐसी धांधली चल रही है। जब कभी अपने यहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिला तो वह कहते हैं कि आधा हिस्सा जिला परिषद् में देते हैं और आधा हमको देते हैं। हमारे पास न साधन है न वाहन है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करें कि बेसिक शिक्षा पर नियन्त्रण करें कि अधिकारी उसे देख सकें इसके बिना शिक्षा बढ़ेगी नहीं।

[श्री महेन्द्र सिंह यादव]

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सिंचाई के साधन दिए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता है। दूसरे कार्य जिस समय हम लोग निर्धारित करते हैं उस समय यह नहीं देखते हैं कि उसमें प्रयोग की जाने वाली मशीनरी है अथवा नहीं और हम उससे उतना काम पूरा कर भी पावेंगे या नहीं। इससे बना बनाया प्लान अधूरा रह जाता है। तो मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि वह लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध करावें।

मान्यवर, रुपया वापस चला जाता है। यह सब गलतियां शासन की ढिलाई के कारण होती हैं। इसी तरह से हमारे यहां सुरक्षा की बात है। हमारे यहां की आबादी बढ़ी है। अंग्रेजों के जमाने में एक हजार की आबादी पर एक कांस्टेबिल होता था लेकिन अब आबादी उसकी कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर थाने न बढ़ाए जा सकें तो कम से कम चौकियों की संख्या तो बढ़ानी ही चाहिए। शान्ति और व्यवस्था के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारी सरकार इस सम्बन्ध में ढिलाई किए हुए है। उसे सख्ती के साथ कार्य करना चाहिए। हमारी सरकार ने हरिजनों की समस्या पर बहुत अच्छा कन्ट्रोल किया है। हमारे क्षेत्र में बड़ी शान्ति है।

मान्यवर, एक बात पिछड़े वर्ग के रिजरवेशन की कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के लोग अपने घोषणा-पत्र को देखें कि जनता के सामने क्या कहकर आए थे। अगर वह विरोध करना चाहते हैं तो विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दें और जनता के सामने कहें कि मैं इस आरक्षण के विरोध में हूं और आप हमें वोट दें। तब सब मालूम हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई इस पर विचार करें। हजारों साल से पिछड़े और कुचले जाने वाले लोग जो बहुत परिश्रम करते हैं और उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता है उनके हक को दिलाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में 425 सदस्य हैं और 17 सौ करोड़ रुपया हम से पास करवाया जाता है और हमें 5-10 मिनट उस पर बोलने का अवसर दिया जाता है। 10 मिनट में हम क्या बोलें तो मेरा निवेदन उन लोगों से खासकर जो नियमावली बनाते हैं उनको इस ढंग का काम कर देना चाहिए कि जिससे हर सदस्य अपनी-अपनी बात को यहां पर रख सके।

जहां तक प्रस्तुत बजट का सम्बन्ध है किसी भी पार्टी को जब जनतन्त्र में शासन करने का अवसर मिलता है तो बजट उसके कार्य-कलापों का दर्पण होता है। जो वायदे उसने जनता से किए हैं, उनको निबाहने का एक मेजरमेन्ट या उसके कार्यान्वयन करने का एक तरीका होता है। प्रस्तुत बजट में मैंने वर्ष 1976-77 और वर्ष 1977-78 का जनता पार्टी का बजट देखा और इस वर्ष का भी जनता पार्टी का बजट देखा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस वाले भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हैं क्योंकि सारा बजट तो वैसा ही है जैसा कांग्रेस वालों का हुआ करता था। इसमें केवल थोड़ा सा फर्क है। एक तो इस में मद्यनिषेध हुआ है और एक सवा 3 एकड़ जमीन की लगान माफी हुई है। (व्यवधान)

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो ये लोग (कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) बैठे-बैठे टोकते रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी—

इस बजट में जनता पार्टी की सरकार ने सवा 3 एकड़ लगान माफी की है और विकास कर को माफ किया है और इस वर्ष प्राप्तियों में ही जो इसको शराब की आमदनी 20 करोड़ की होती थी, उसका नुकसान उठाया है। तो मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूं जो यहां पर शोर मचाते हैं, क्या वे शराब का प्रचार करना चाहते हैं या सवा 3 एकड़ की लगान माफी के पक्ष में नहीं हैं ? उन्हें जनता के सामने साफ पिक्चर रखनी चाहिए। धूमिल पिक्चर से कोई भला नहीं होने वाला है। इस सरकार ने इस बजट में 120 करोड़ रुपया बढ़ाया है जिसमें से इस वर्ष में 14 करोड़ रुपया हमारी पिछड़ी जातियों पर खर्च होगा। अगर इस सरकार ने इस बजट में कुछ रुपया बढ़ाया है तो वह भी पिछड़ी जातियों पर खर्च होगा तो फिर हल्ला करने की बात क्या रही ? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, इस बजट पर गहनता से चिन्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाल बत्ती आपकी जल जायगी और मुझे बैठना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार से भी मेरे कुछ सुझाव हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बजट जो यहां पर, विधान सभा में पास होता है, उसके पास हो जाने के बाद जिलों में ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल और विभागीय स्वीकृति जाती है। गत वर्ष तो वह दिसम्बर और जनवरी में पहुंचा थी जबकि मार्च तक वह रुपया खर्च होना था। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि बजट पास हो जाने के बाद 1 महीने के उपरान्त सब औपचारिकताएं हो जाने के पश्चात जिस-जिस चीज के लिए विभिन्न मदें हों उनके अनुसार विभागीय एप्रूवल नीचे के स्तर पर चला जाना चाहिए ताकि समय से उनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो सके।

हमारे साथी पर्वतीय जिलों के बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि पबतीय जिलों की समस्या केवल उन जिलों की ही नहीं है बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश की होती है। उदाहरण स्वरूप यदि वहां पर वनों का कटाव होता है या बाढ़ आती है तो सारा प्रदेश प्रभावित होता है। अगर वहां पर सूखा पड़ता है तो प्रदेश भर का पानी बन्द हो जायगा और आपको बिजली नहीं मिल पाएगी। पहाड़ों के टूटने से वहां के कटान से या गलत प्लानिंग से सारा प्रदेश बरबाद हो सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि पर्वतीय जिलों की समस्याओं को बड़ी उदारता से समझना चाहिए। सरकार ने पर्वतीय जिलों के लिए कुछ पैसा दिया है रुपया दिया है हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही उसका जो कार्यान्वयन है, वह वहां के लोगों के फायदे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह बात देखने की है। साथ ही हमारे पर्वतीय जिले में जो काम करते थे, उनको बड़ी परेशानी थी, इस शासन ने पर्वतीय जिले में जो काम करने वाले हैं, उनको पर्वतीय भत्ता दिया है, लेकिन उसके साथ ही उसमें 1500 फीट की बात रख दी।

अब सवाल यह है कि देहरादून में तो पर्वतीय भत्ता मिलेगा, लेकिन जो उसके आगे विकास क्षेत्र हैं, उनमें भत्ता नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार और उसी तरह जो जिला परिषद् में आपके शिक्षक है, यूनिवर्सिटी के लोग है, हम कहते हैं, कि जब आपने पर्वतीय भत्ता देना स्वीकार कर लिया है तो उन सभी कर्मचारियों को चाहिए जो जिला परिषद् के हों, यूनिवर्सिटी के हों, पंचायतों के हों उन सभी को पर्बतीय भत्ता मिलना चाहिए। उसके साथ ही एक निवेदन और कर दूं कि पर्वतीय जिलो में यह भी देखना होगा टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी आदि जिलों में प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है, समस्त भारत में बहुत कम हैं। इसलिए पर्वतीय जिलों के लिए जो धन दिया जाता है उसमें यह देखना जरूरी है कि जो जिला इन जिलों में पिछड़ा हुआ है, उसको देखने की जरूरत है, पर्वतीय जिलों में कुछ जिले ऐसे है, जिसमें 50 प्रतिशत शिक्षा है, कुछ ऐसे जिले है जिसमें बहुत कम

[श्री इन्द्रमणी बड़ोनी]

शिक्षा है, टेहरी गढ़वाल जैसे जिला है, उसमें 19 प्रतिशत शिक्षार्थी का प्रतिशत नहीं है। अगर सबका साथ बराबर बंटवारा हुआ, तो इससे फायदा होने वाला नहीं है। जो पर्वतीय क्षेत्र में, जो जिला जिस चीज में पिछड़ा हुआ हो, उस जिले में उसी हिसाब से पैसा देना होगा। हमारी 400-400 मील की कंट्रोल्ड एरिया है ऋषिकेश से केदारनाथ तक। अब हम लोगों को इतनी कठिनाई होती है कि जिसकी कोई बात नहीं। तो वहां कम से कम आने-जाने की जो सुविधा है, जैसे वहां पर बस नहीं चलती है, वह प्रदान की जाय। मेरा आप से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमारी समस्याओं को पर्वतीय समस्यायें न मानें, बल्कि उत्तर प्रदेश की समस्यायें मानें।

इस बजट में जैसा मैंने कहा है खासकर शिक्षा मन्त्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम रहा, उनको पेंशन वगैरह देने की भी बात रही है। लेकिन अधिष्टाता महोदय, मेरा आप से निवेदन है, यह जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना, इसका जन्म इसलिए हुआ कि इस देश में प्रजातन्त्र जीवित रहे और यह बात सही है कि जनता ने जनतन्त्र की रखवाली के लिए इस जनता पार्टी को भेजा है। लेकिन बड़ी विकट समस्या है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री कहती हैं, कि इस देश में इमर्जेन्सी ठीक थी। जो जनता पार्टी आज शासन में है, वह आज कुर्सी की लड़ाई में लगी है, इस देश का जनतन्त्र का क्या होगा? तो इन शब्दों के साथ मैं खासकर जनता पार्टी के विधायकों से मेरा निवेदन है, 1 वर्ष पहले आपने वादा किया है कि इस जनतन्त्र की रक्षा के लिए हमको वोट दो और आज आप जनतन्त्र की बात भूल गए, कुर्सी के लिए आपस में इतना ज्यादा लड़ रहे हो कि हर रोज नई-नई बातें अखबार में देखने को मिलती हैं। तो आप भूल न जाइये। जो आपने वादा किया है अगर उसके खिलाफ जायेंगे तो जनता आपको भी जीवित नहीं रखेगी—यह मेरा आपसे निवेदन है (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट और दें।

रहा सवाल कांग्रेस वालों का वह तो बेचारे अपने आप ही बंट गये हैं और वह दोषी हैं बुराइयों के, उसका फल भोग रहे हैं। कम्युनिस्ट लोग हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। जहां चाहें वहां चले जाते हैं जिसकी सरकार देखो। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि सारे देश में राजनीतिक जो ऐनेलेसिस है वह किस तरह से है। चारों तरफ से संकट में देश गुजर रहा है। तो वास्तविक परिस्थिति को देखें और जो गांव में बैठा हुआ वोटर है उसकी बात को सोचें—जिस वादे को लेकर इस विधान सभा में आये हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

बाबा राम अधार यादव। (अन्य सदस्यों के खड़े रहने पर) मेरी दृष्टि में एक सज्जन पड़ चुके हैं। आप सब बैठें।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने सोच लिया कि आपकी दृष्टि बाबाओं पर है। अब बाबाओं को मौका मिलेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मधुकर दिघे, वित्त मंत्री जी ने 1978-79 का बजट पेश किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने 20 करोड़ बचत की बात फिजूली खर्ची से बचाने की कहा है। तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि सबसे पहले जो हमारी सरकार में मंत्रि-परिषद् में बैठे हुये हैं मंत्रिगण वह अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिजूल खर्ची को रोकें तब उसके बाद हमारे यहां जो नौकरशाह हैं जो बहुत बड़ी फिजूल खर्ची कर रहे हैं उसके ऊपर आवेंगे । हम तो चाहेंगे कि सदन के अन्दर आंकड़ा रखा जाय । जो पूर्व तत्कालीन कांग्रेसी सरकार रही और इस वक्त के मंत्रियों पर कितना जायज खर्चा है । इस तरह से आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद् जितना खर्चा अपनी ओर कर रही है उसकी कोई इन्तहा नहीं है । आप जहां जायेंगे, चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो आप देखें कि नौकरशाह अपनी सरकारी गाड़ियों का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं । हमारे बजट में कहा गया है, राज्यपाल महोदय ने भी कहा "गांव की ओर चलो" । ठीक है, गांव की ओर कौन जायेगा ? ये हमारे मंत्री जायेंगे, कौन जायेंगे ? आप गौर करें। गांव के अन्दर जो डिप्टी कलेक्टर लोग हैं जिनके पास डिवीजन है, परगनाधिकारी कहलाते हैं, उनकी हालत देखिये कि गांव में उनके कार्यालय खोले गये हैं, लेकिन जीप लेकर अपने परगने से अपनी तहसील से 50–60 किलोमीटर दूर अपने घर रोज शाम को जाते हैं और रोज आते हैं । आप गौर करें, जहां गांव की ओर ले जाने की बात है वहां गांव की कोई बात नहीं है, कैसे गांव की ओर जायेंगे ? इन शब्दों के साथ मैं आगाह करना चाहूंगा सरकार को कि अगर यही रवैया रहा तो हम लोग कांग्रेसियों से बदतर ठहरेंगे, इतना याद कर लेने की आप कृपा करें । और जिस तरह से वे 30 साल तक जनता को चकमा देते रहे तो अब जनता बरदाश्त नहीं करेगी, आपको भी नहीं करेगी जिस तरह से आप गांव की ओर चल रहे हैं।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि मैं प्रति दिन देखता हूं, 23 मार्च को डा0 लोहिया के जन्म दिवस पर मैं पुरुषोत्तम दास टण्डन पार्क में बैठा हुआ था । देखते–देखते मुझे यह आया कि रोज तो मुझको मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी गाड़ियां जो थीं उस पर उनके बच्चे स्कूल जायें, उनके घर की बहू-बेटियां बाजार, सिनेमा जायं, यह हमारी फिजूल खर्ची है । तो इसलिये माफ करेंगे, क्षमा करेंगे हमें अगर हमारी मंत्रि–परिषद् के सरकार के लोगों को यह मेरी बात बुरी लगी हो, तो माफी भी मांगता हूं ।

हरिजनों की यहां बड़ी दुहाई दी जाती है । मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं कि जहां 1,200 एकड़ भूमि का इसलिये बन्दोबस्त नहीं हुआ क्योंकि जो समिति गठित की गयी थी उसको घूंस नही दी गयी । हमारे यहां का जिलाधिकारी भले ही ईमानदार हो, मगर नीचे के अफसरों में बड़ा भ्रष्टाचार है । नीचे के कर्मचारियों में भी बहुत भ्रष्टाचार है । कारों में बैठकर या दो-चार जगह देख कर, दो चार कार्यालयों का मुआयना करके या सर्किट हाऊस में बैठकर, मैं बताना चाहता हूं कि उससे गांव की समस्या हल नहीं होगी । गांव की ओर चलो, यह तो ठीक है, लेकिन शहर की ओर भी तो निगाह रखो । शहरों के अन्दर भी आज 80 प्रतिशत जनता वह रहती है जो रिक्शा चलाती है, मजदूरी करती है या अन्य किसी तरह से अपनी गुजर बशर करती है । नगरपालिका द्वारा जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं वह 20 प्रतिशत के लिये होती हैं, इन 80 फीसदी का भी तो ख्याल कीजिये । यह 80 फीसदी गरीब जो शहरों में रहते है इनके लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

हमारे क्षेत्र में, इलाहाबाद में, विश्वविद्यालय पड़ता है, ए0 जी0 का कार्यालय है, और बहुत से केन्द्रीय कार्यालय पड़ते हैं । सिविल लाइन्स का बहुत बड़ा हिस्सा आता है । नगर महापालिका के दो वार्ड उसके अन्तर्गत आते हैं । मैं वहीं की स्थिति बताना चाहता हूं, बंगलों की । एक एक बंगला 3–3, 4–4 एकड़ में है । एक–एक में बीसों–पचीसों कमरे हैं । एक ओर यह हालत है, दूसरी ओर गरीब लोगों के लिये, हरिजनों के लिये, रहने के लिये जगह नहीं है । वे लोग एक आठ बाइ आठ की कोठरी में ही 10–12 आदमियों की तादाद में रहते हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी इलाहाबाद के ही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की सुविधाओं की ओर भी वे ध्यान दें । हमारे यहां नजूल की बहुत सारी भमि

(लाल बत्ती जलने पर) मुझे 5 मिनट का समय और दे दें, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्षता—

आपके 2 मिनट हैं, 2 मिनट और दूंगा । 4 मिनट बोल लें ।

[बाबा राम अधार यादव]

मैं यह कहना चाहता हूं नजूल की जो भूमि पड़ी हुई है वह आवास के लिये छोटे लोगों को उपलब्ध करायी जाये । हम हरिजनों की बड़ी दुहाई देते हैं, उनके लिये वहां आवास की सुविधा प्रदान करायी जानी चाहिये । बड़े-बड़े मकान तो आज बनते चले जा रहे हैं, मगर गरीब हरिजनों के लिये कोई व्यवस्था नहीं करायी जा रही है । आवास विकास परिषद् द्वारा अगर मकान बनते भी हैं तो उनकी लागत 20–20 हजार रुपये आती है । उसका लाभ छोटे हरिजन व मजदूर लोगों को नहीं पहुंच पाता । सरकार को एक हरिजन परिवार के लिये कम से कम 50 स्क्वायर मीटर जमीन अवश्य देनी चाहिये और मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये ।

एक निवेदन मैं शिक्षा के बारे में करना चाहता हूं । जो नगरपालिका और जिला परिषद् के स्कूल रहे हैं उनको बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत ले लिया गया है । आज इन स्कूलों की दशा बहुत खराब है । चाहे नगरपालिका के स्कूल हों, चाहे महानगर पालिका के स्कूल हों या जिला परिषद् के हों उनकी दशा अत्यन्त खराब है । आप कहते हैं कि आज असंतोष फैल रहा है । जब आपकी बुनियादी शिक्षा ही दूषित है तो यही स्थिति होगी । चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिये एक बात को मैं और कहना चाहता हूं । आज बड़ा विरोध हो रहा है आरक्षण के सम्बन्ध में ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय एक मिनट और रह गया है ।

बाबा राम अधार यादव—

आरक्षण का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यह घोषणा-पत्र जनता पार्टी ने भेजा था आप लोगों के बीच में उसी वक्त आपको चाहिये था कि कहते कि हम इस घोषणा-पत्र पर चुनाव नहीं लड़ेंगे । दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट सन् 1956 में भारत सरकार को दी थी । उस वक्त के मौजूदा गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने, उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया । मैं कहना चाहूंगा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट में जो है, उसमें यदि जातिगत है या आर्थिक आधार पर है तो उसी आधार पर आरक्षण किया जाय । उसमें साफ-साफ लिखा है कि सामाजिक और शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण यह सब होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

बाबा राम अधार यादव—

मैं दो मिनट के अन्दर खत्म करता हूं । मैं आपको बतला रहा हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर काले और गोरों की लड़ाई शुरू होगी । कान खोल कर सुन लें अब यह बर्दाश्त नहीं हो पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

बाबा राम अधार यादव—

अब हिन्दुस्तान में काले और गोरों की लड़ाई शुरू हो रही है । यह इतना बड़ा दंगा होगा कि इसको कोई संभाल नहीं पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

एक सदस्य—

माननीय, आप जिनके नाम जानते हैं उनको समय देते हैं । मुझे भी समय मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय मिलेगा । हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों के नाम मुझे नहीं मालूम हैं । आपको समय मिलेगा ।

***श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)**—

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सामान्य बजट पर चर्चा के अवसर पर आपने समय दिया । माननीय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जनता पार्टी की सरकार ने गांवों की ओर बढ़ो का नारा दिया है । इससे इस प्रदेश के किसानों में एक अच्छी भावना उत्पन्न हुई है ।

आज हमारी सरकार के सामने बहुत सी समस्यायें हैं । आज 30 साल के बिगड़े हुये अफसर मनमानी सारे जिलों में कर रहे हैं । मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं । मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । सरकार ने जो सुरक्षा की व्यवस्था की है यह अच्छी बात है । सरकार ने यह जो व्यवस्था सुरक्षा के सम्बन्ध में चलायी है तो यह कार्यक्रम मुझे लगता है कि केवल कागज पर है । इस व्यवस्था के अन्दर मैं देख रहा हूं कि सुरक्षा समितियों की बात की गयी है । तमाम ऐसे गांव हैं, जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं वह रिंद और जमुना नदी, बुन्देलखण्ड से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है । मैं देख रहा हूं कि वहां पर एक भी सुरक्षा समिति नहीं है । वहां अपराध बढ़ रहे हैं । सुरक्षा समितियों के माध्यम से सरकार ने यह व्यवस्था की है तो इसका दृष्टिकोण और इरादा अच्छा है कि अपराध कम हों । लेकिन माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सुरक्षा समितियों की व्यवस्था की कोई नियमित प्रणाली नहीं है ।

मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आया हूं उस क्षेत्र के बारे में मेरे कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं ।

एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि रिन्द और यमुना नदी के किनारे के क्षेत्र, जो बुन्देलखण्ड से लगा है, को वही सुविधायें दी जांय जो बुन्देलखण्ड को दी जांय क्योंकि यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड से लगा है । हमारा यह क्षेत्र बीहड़ का क्षेत्र है । यहां डाकू आते-जाते हैं । एक तरफ फतेहपुर जिला, दूसरी तरफ हमीरपुर जिला और यह कानपुर का बारडर पड़ता है । बीहड़ क्षेत्र होने से वहां असुरक्षा की लोगों में भावना व्याप्त है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में चौकी साण को थाना बनाया जाय और वहां पुलिस बढ़ाई जाय । सजेती, घाटमपुर चौकियां भी हमारे क्षेत्र में हैं । लेकिन जिस तरह का यह बीहड़ क्षेत्र है उसको देखते हुये वहां पुलिस कम है इसलिये उसको बढ़ाया जाय ।

माननीय, अब मैं शिक्षा के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । पिछले वर्ष के बजट में नये प्रारम्भिक विद्यालय खोले गये थे लेकिन विद्यालय खोलने में मनमानी की गयी है । इसलिये जिन गांवों में विद्यालय खोलने चाहिये थे वहां नही खोले गये । इसलिये मैं शासन का ध्यान कानपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां शिक्षा में जो अव्यवस्था व्याप्त है उसको देखते हुये बड़े-बड़े शिक्षा विभाग के वहां के अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराई जाय और देखा जाय कि प्रतिनिधियों की राय से स्कूल खोले गये हैं कि नहीं ।

माननीय, सिंचाई के बारे में मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं । कानपुर जनपद गंगा और यमुना के बीच में बसा है । घाटमपुर और यमुना के किनारे का 16 किलोमीटर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे अग्निहोत्री]

का इलाका बीहड़ इलाका है । वहां आज तक सिंचाई के मामल में कोई ऐसे कदम नही उठाये गये जिससे वहां सिंचाई हो सकती । नाम मात्र के ट्यूबवेल वहां लगाये गये हैं जो कि असफल रहे हैं । उसक कारण जब हम कोई सुझाव सिंचाई विभाग को देते हैं तो वह भी मनमानी करते हैं । इसलिये हमारी सरकार की जो नीति है उसका पालन वह नहीं करते हैं । इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में कुछ नलकूप लगाने का एक सर्वे हुआ । हमने कहा कि जिन गांवों में ज्यादा असिंचित क्षेत्र है, जहां नलकूप की आवश्यकता है वहां ट्यूबवेल लगाये जांय । लेकिन कह तो देते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं लेकिन आज तक वहां कुछ काम नहीं हुआ है । वहां के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रतिनिधि तो कहा ही करते हैं जो हमारे मन में होगा वह हम करेंगे । इसलिये सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को देखना चाहिये । सरकार की जो जनहित की नीतियां चल रही हैं, 30 साल के बिगड़ैल अधिकारी, उनको वह एक तरह से बदनामी का रास्ता दे रहे हैं । इसलिये उनको देखना चाहिये ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकराल है । माननीय मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा और उनको घाटमपुर ले भी गया । उन्होंन वहां पर कुछ घोषणायें भी कीं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उन्होंने उसकी परवाह नहीं की । मैंने अपने क्षेत्र के पांच–सात गांवों का एक लेखा जोखा भी दिया था । वहां का सर्वे तो हुआ लेकिन उसके बाद आज तक मुझे पता नहीं कि इस योजना पर क्या हो रहा है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पेयजल की सुविधा वहां उपलब्ध करायें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा—

अधिष्ठाता महोदय, 30 वर्ष बाद आज इस प्रकार का बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम विकास और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात कही गयी है । बुन्देलखण्ड को छोड़कर कानपुर जनपद का डेरापुर क्षेत्र सबसे पिछड़ा इलाका है । न यहां सडकें हैं, न बिजली है और न ही सिंचाई की व्यवस्था है। यहां पर रूरा से मेलबेनीपारा, औरंगाबाद से मुनारी, झींझक से गुलवापुरी, किसोरा से कंचौसी की सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से बनने के लिये स्वीकृत हुई थीं लेकिन आज तक इन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि डेरापुर क्षेत्र प्रापर में जहां कि तहसील है, अस्पताल है, ब्लाक है, बहुत बड़ा बाजार लगता है वहां पर बस स्टेशन तक नहीं है । पीने के पानी तक की टंकी नहीं है जहां कि लोग पानी पी सकें। मंडी समिति के माध्यम से कुछ सड़कें बननी थीं जिसके अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री गणेशदत्त बाजपेयी थे। 12 किलोमीटर मण्डी समिति वाइज सड़कें बननी थीं । बाजपेयी जी ने हमसे कहा था कि जिन क्षेत्रों में पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से सड़कें नहीं बन पायीं वहां मंडी समिति के जरिये कुछ लम्बाई सड़कों की बढ़ा दी जायगी । एक प्रार्थना-पत्र भी माननीय श्रम मंत्री जी को दिया था ।

ऐसी तीन सड़कें थीं जिनका कि जिक्र किया था वे हैं---पहली सड़क मिण्डा कुआं से मेलावनी पारा, दूसरी सड़क है गलुआपुर से नोनारी, तीसरी सड़क है किसौरा से कंचौसी । माननीय बाजपेयी जी ने डी0 एम0 को आदेश दिये थे लेकिन डी0एम0, कानपुर ने बाजपेयी जी के आदेशों का पालन नहीं किया । मैंने डी0एम0, कानपुर से बात की । डी0 एम0 ने मुझसे कहा कि मुझको अधिकार नहीं है । मेरे पास उसके लिये बजट नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये इन सड़कों को मैं नहीं बना सकता ।" मैंने पुनः बाजपेयी जी को डी0एम0, कानपुर की बात से अवगत कराया । बाजपेयी जी ने नाराज होकर इस सम्बन्ध में सख्त आदेश किया, लेकिन इसके बाद भी डी0एम0, कानपुर ने उसका पालन नहीं किया । मैंने श्रम मंत्री जी को पुनः बतलाया तो माननीय श्रम मंत्री जी ने मण्डी डायरेक्टर को फोन किया और उनसे बात की । माननीय श्रम मंत्री जी ने पूछा तो डायरेक्टर ने कहा कि "इस सम्बन्ध में पूरे अधिकार डी0एम0, कानपुर को हैं । मैंने सारा बजट उनको भेज दिया है और सारे पैसे की व्यवस्था कर दी है । ये अधिकार अब डी0एम0 को ही हैं । लेकिन डी0एम0, कानपुर के कान में जूं तक नहीं रेंगी कि इन मण्डी सड़कों का निर्माण करातें ।" कल बाजपेयी जी से फिर मिला । उन्होंने बतलाया कि "मुख्य सचिव को मैंने लिख दिया कि वे मुझे स्थिति से अवगत करायें कि डी0एम0, कानपुर मेरे आदशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ।" बाजपेयी जी ने माननीय राज्य कृषि मंत्री जी को कल लिखित आदेश किया कि इन सड़कों का कार्य तुरन्त शुरू कराया जाय लेकिन अभी तक उन सड़कों का कार्य शुरू नहीं हो पाया है । अतः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन सड़कों का कार्य तुरन्त शुरू कराया जाय ।

इसी के साथ निवेदन है कि कानपुर महानगर में गंगा नदी है । गंगा जी का कानपुर से काफी दूर चले जाने से कानपुर महानगर में बिजली की खराब स्थिति हो गयी है तथा पानी की स्थिति भी खराब हो गयी है । बिठूर का बांध न बनने से वहां 1200 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है । तो मैं शासन से मांग करता हूं कि बिठूर में शीघ्र बांध बनाया जाय और कानपुर में गंगा नदी को कानपुर के नजदीक लाया जाय ।

साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग क्षेत्रों में प्रचार करते हैं, प्रदेश में प्रचार करते हैं कि यह जनता पार्टी के लोग जमीन जोतें हैं, जनता पार्टी के लोग हरिजनों को सताते हैं । लेकिन, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन को बता देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक पूर्व कांग्रेसी विधायक, जो कांग्रेस (आई) के हैं, चौधरी राम पाल सिंह यादव उन्होंने 110 बीघे जमीन, जोकि हरिजनों को मिलना चाहिये थी, स्वयं अपने नाम कराया है, अपनी बहिन गोमती के नाम कराया है, अपनी दूसरी छोटी बहिन शांति देवी .....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो व्यक्ति यहां है नहीं, यहां उपस्थित नहीं है, उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है । कृपया माननीय सदस्य उसका नाम निकाल कर बात करें ।

श्री अधिष्ठाता—

वह व्यक्तिगत आचरण पर आक्षेप नहीं है । वह स्थिति बता रहे हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस (आई) के श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव 110 बीघा जमीन जोते हैं जो कि हरिजनों को मिलनी चाहिये थी । उन्होंने उस जमीन को अपने भाई कृपाल सिंह, अपनी बहिन गोमती, अपनी छोटी बहन शांति देवी, अपने बहनोई प्रकाश चन्द्र तथा अपने अन्य नौकरों के नाम करा रखी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया किसी को नामांकित न करें तो अच्छा होगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

जांच करा लीजिए जांच गलत सिद्ध हो जाय तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा ·· (तालियां) जमीन न जोती हो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके पट्टे न कराये हों तो मैं सदन में कहता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा प्रमाण मैं और देना चाहता हूं। कांग्रेस (आई) के नेता रामेश्वर प्रधान जिन्होंने 65 बीघा जमीन अपनी मां, अपने नौकर, अपने रिश्तेदारों के नाम की है। जो स्वयं प्रधान हैं उन्होंने दो लाख रुपये का गबन किया है जिसमें कि जांच चल रही है। उसमें क्या हुआ यह जानकारी मुझे नहीं है। गांधी चबूतरा एलाटमेन्ट दूसरे के नाम करा दिया। कांग्रेस (आई) के नेता प्यारे लाल प्रधान जिन्होंने 65 हजार का गबन किया है, जिनको एस0 डी0 ओ0, डेरापुर ने सस्पेन्ड कर दिया है। मुकदमा कायम कर दिया गया है और चल रहा है। उन्होंने हरिजनों से एक–एक सौ रुपये लेकर उनके पट्टे किये हैं। 30–35 बीघा जमीन में पक्की फसल को उन्होंने स्वयं काट कर बेच दी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के नेता जगदीश प्रसाद अवस्थी ने एक गरीब हरिजन के चक को चकबन्दी अधिकारी से मिल कर जबरदस्ती अपने चक में ले आये हैं। श्रीमन्, भूतपूर्व विधायक राम पाल सिंह यादव ने इसी सदन में रामायण का पन्ना फाड़ दिया था और तभी से हमने उनका नाम रामायण फाड़ सिंह रख दिया था। उन्होंने शम्भू चमार की तीन बीघा जमीन जबरदस्ती जोत ली। इसकी जांच करा ली जाय अगर गलत सिद्ध हो गयी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय...

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

परम्परा के अनुसार तीन इधर के बोलेंगे। जरा सतर्कता आपने नहीं बरती और तब तक मेरी दृष्टि उधर पड़ गयी। आपको चान्स दिया जायगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, विरोधी दल के नताओं ने इस बजट के विषय में काफी विरोधाभास प्रस्तुत किया है। मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर उनकी उन बातों का खन्डन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, प्रस्तुत अनुमानों के अनुसर आगामी वर्ष में 79 करोड़ 36 लाख रुपये का घाटा बजट में दिखाया गया है जब कि 77–78 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार यह कहीं 112 करोड़ 67 लाख रुपये रहा। इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में नये वर्ष के अन्त तक उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है। 79 करोड़ 36 लाख के घाटे को पूरा करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने नये टैक्स लगाने का अधिक सहारा नहीं लिया है बल्कि अन्य स्रोतों में और किफायतों का मार्ग अपनाने का प्रयास किया है। टैक्स केवल 12 करोड़ 62 लाख रुपये के ही लगाने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों में किफायत और बकाया वसूली कर 40 करोड़ के घाटे को पूरा किया जायगा। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक घाटा 79 करोड़ 67 लाख रुपये के स्थान पर घटकर केवल 26 करोड़ 74 लाख रुपये ही रह जायगा। जिससे यह प्रतीत होता है कि पुराने घाटे की रकम जो बहुत ज्यादा थी उसे कम करने का प्रयास इस बजट के अन्दर किया गया है। 12 करोड़ 62 लाख के टैक्स लगाने के लिये जो प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री ने किये हैं उसका बोझ उत्तर प्रदेश के आम नागरिक पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि नए टैक्स डीजल, माम आयल, विदेशी शराब पर बिक्री–कर की दर बढ़ा कर, सिनेमा टिकटों में 20 परसेन्ट मनोरंजन

कर में वृद्धि करके या बिक्रीकर पंजीकरण शुल्क बढ़ाकर और बन्दूक रिवाल्वरों आदि के लाइसेन्स नवीनीकरण के आवेदन-पत्रों पर स्टाम्प फीस की दर बढ़ा कर यह घाटे पूरे किये गए हैं। इस प्रकार के अनुमान बजट में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त स्कूटर, मोटर साइकिल अथवा मोपेड को छोड़कर विभिन्न मोटर गाड़ियों के रोड टैक्स में 10 परसेन्ट की वृद्धि भी की गयी है। किन्तु ये सारी मदें ऐसी हैं जिनका भार प्रदेश की आम जनता पर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं यह कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घाटे की पूर्ति करने का प्रयास किया है वह अपने आप में एक अच्छा तथा ठोस कदम है। इस बजट के अन्दर जो बहुत सी अन्य बातों की चर्चा की गयी है उनके आधार पर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जायगा।

बजट में मद्य निषेध की चर्चा की गयी है। मेरा विचार है केवल कानून बना देने से यह मद्य निषेध का कार्यक्रम सफल नहीं हो पायेगा। जो समाजसेवी संस्थायें हैं जैसे आर्य समाज, नशाबन्दी परिषद् तथा अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संगठन उनका पूरा-पूरा सहयोग मद्यनिषेध की नीति को सफल बनाने के लिये सरकार को लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बजट भाषण में बजट की विशेषताओं का जो समन्वय प्रस्तुत किया गया है उससे यह आभास होगा कि यह बजट सुविधाजनक अधिक और असुविधाजनक कम है। किन आधारों पर एसा है इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्ण रूप से संबंधित कार्यक्रमों के लिये परिव्यय में 50 परसेन्ट की व्यवस्था की गयी है जो पूर्व से 10 प्रतिशत अधिक है। इसके लिये कुल 3 अरब 90 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है जिसमें कृषि, विद्युत् उत्पादन, ग्रामीण और लघु उद्योग तथा पेयजल पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संचार साधनों में वृद्धि के लिये सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिये व्यापक योजना बनाई गयी है। बजट की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि बेरोजगारों को और अधिक रोजगार देने के लिये श्रम प्रधान कार्यक्रम रखे गये हैं, उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिये पहली बार कृषि श्रमिकों की भूमि सेना बनाने का इस बजट में प्राविधान किया गया ह जिससे न कवल कृषि कार्य में लग हुए श्रमिकों को अधिक रोजगार ही मिलेगा बल्कि भमि का सुधार का कार्य भी होगा जिससे प्रदश क कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस समय बहुचर्चित विषय है पिछड़े वर्ग का नौकरियों में आरक्षण। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में 25 से लेकर 33 प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का प्राविधान है जिसके आधार पर हम लोगों ने वोट प्राप्त किया और हम लोग सरकार में आये। हम लोगों ने यह घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को संरक्षण देंगे लेकिन आज जो समाचार पत्रों में गृह युद्ध तथा शीतयुद्ध की चर्चा देखने को मिल रही है उस संबंध में मैं पिछड़ वर्ग तथा हरिजनों को आगाह कर देना चाहता हूं अगर समाज में ऐसी कोई सामन्तशाही व्यवस्था पनपती है तो उन्हें भी संघर्ष के लिये तैयार होना पड़ेगा जो वस्तु संविधान सम्मत है, तर्क एवं न्याय संगत है उसके ऊपर कुठाराघात करने के पहले संविधान को बदलना होगा। पं0 काका कालेलकर की रिपोर्ट जिसकी चर्चा अनेक मित्रों ने की है। 1956 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके पहले कि रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ कहूं, भारत के पवित्र संविधान के अन्दर उन बातों का उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझता हूं जो धारा 15 और धारा 16 के अन्तर्गत लिखा हुआ है। धारा 15 की उपधारा (4) में पिछड़े वर्ग की परिभाषा की गई है और धारा 41 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक आयोग बहाल करेगा जो देश के कोने-कोने में घूम-घूम कर यह तय करेगा

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

कि कौन-कौन सी जातियां सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और कौन-कौन सी सुविधायें इस वर्ग की उन्नति के लिए दी जायं।

श्रीमन्, काका कालेलकर की रिपोर्ट सन् 1956 में आई लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि जिस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था और उसने जब अपनी रिपोर्ट दी, इतने वर्षों के बाद भी उसको पूरा करने का प्रयास आज तक नहीं किया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो उस समय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त केन्द्र में गृह मन्त्री थे। वे एक उच्च वर्ण के नेता थे, फलतः रिपोर्ट को एक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और कहा गया कि प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने स्तर पर बैकवर्ड क्लास कमीशन बहाल करें और उसके अनुसार प्रान्त में काम करें। भारत के संविधान की धारा 15 और 16 के अन्दर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए प्राविधान किया गया। इन्हीं बैकवर्ड क्लास आयोगों के आधार पर कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल आदि में आरक्षण दिया गया जो कि सामाजिक और शैक्षिक आधार पर था।

श्रीमन्, कोई भी आरक्षण 3 बातों पर निर्भर करता है—सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। तीनों को कसौटी पर कसने की आप कोशिश करें। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी सवर्ण विरोधी नहीं सुन सकते। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसे नहीं सुन सकते। 30 वर्षों तक आपने उनके लिए क्या किया ? नौकरियों में उनके लिए आरक्षण होना चाहिए और वह सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर होना चाहिए। आज भी सवर्ण हरिजन के साथ बैठकर पानी नहीं पी सकता और उसके साथ चारपाई पर नहीं बैठना चाहता। दो वर्ष का बच्चा भी चाहता है कि हरिजन उससे सलाम करे। अतः जब तक उनका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक उसका भला होने वाला नहीं है। चूंकि समय कम है इसलिए अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर जो सुविधायें उन्हें प्रदत्त हैं, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया है, काका कालेलकर की जो रिपोर्ट है, जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा-पत्र में दिया है और जो राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में कहा है उसी के आधार पर हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और वह भी सामाजिक और शैक्षिक आधार पर होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर कदापि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम पिछले कई वर्षों से देखते आए हैं कि बजट का जो अन्तिम वर्ष, मार्च का महीना होता है इसी महीने में सब विभागों में बहुत सा रुपया इकट्ठा भेज दिया जाता है और वह रुपया सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है जिसका नतीजा यह होता है कि उससे बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ता है। जिस अफसर की जैसी तबियत आई उसी अनुसार उसने खर्च किया और उसमें गोलमाल किया। यह हम बहुत दिनों से देखते आए हैं। लेकिन इस वर्ष हम आशा करते थे कि यह परम्परा टूटेगी और सभी विभागों को मार्च से बहुत पहले रुपया दे दिया जाएगा, जिससे उसका सही सदुपयोग हो जाय।

लेकिन परम्परा टूटने के बजाय यह परम्परा और ज्यादा बिगड़ी और इस साल पहले तो रुपया दिया ही नहीं बाद में सब रुपया इकट्ठा भेज दिया गया और आलम यहां तक पहुंच गया कि अकेले लखनऊ खजाने से 29-30 और 31 मार्च को 7 करोड़ रुपया निकाला गया। यह लखनऊ खजाने की बात है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा इतना रुपया निकाला गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे प्रदेश में और खजानों में भी यही हुआ होगा। यह जो करोड़ों रुपया निकाला गया उसका किस तरह से गोलमाल होगा, इसको कैसे सरकार रोक पाएगी। मैं समझता हूं कि सरकार नहीं रोक पाएगी। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता ह। पूरे साल अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और बाद में इस प्रकार खर्च होता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बजट में कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि यह गलती बार–बार न दुहराई जाय और भ्रष्टाचार न बढ़।

पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी निवेदन कर दूं। प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं या समाज में जो पिछड़े लोग हैं, उसके लिए सरकार और समाज दोनों से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारे संविधान में भी संरक्षण की व्यवस्था है उसका पालन करने में अभी तक विलम्ब हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है कि नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 15 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में करने की घोषणा की थी। चाहे चलते–चलते की हो। इस सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ा मुद्दा जो आपको सोचना है वह यह है कि जिस प्रकार आज जनता पार्टी के लोग जो उन्हीं के बीच में बैठे हुए हैं सदन में आरक्षण का विरोध कर रहें हैं। यह शर्म की बात है। कांग्रेस में बैठे लोग उस पर अपनी जबान नहीं खोल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या हैं। लेकिन वह अभी तक अपनी जबान नहीं खोले। आपके बीच बैठे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वह पिछड़े वर्ग को कुचलना चाहते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप उन पर कड़ी निगाह रक्खें और उनकी ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करें। यह बड़ी भारी समस्या है कि यदि शासन पक्ष के लोग इसका विरोध करेंगे और जनता पार्टी के लोग इस सवाल को सड़कों पर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से शान्ति व्ययस्था को खतरा पैदा होगा, जिसको पैदा करने की जिम्मेदारी जनता पार्टी के लोगों पर जाएगी। क्योंकि जो भाषण यहां होते हैं उसका निश्चित रूप से बाहर जनता पर असर पड़ता है और इससे विरोधी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और जो सामन्ती तत्व हैं वह पिछड़े वर्ग के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों का मनोबल नीचा होता है। इसलिए यह आपकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस वाले इस काम को नहीं कर पाए तो उनको वोट भी नहीं मिला लेकिन आप तो इसी आधार को लेकर जीतकर आए हैं। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके बीच जो ऐसे विधायक हैं जो पिछड़े वर्गों कें आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे अगर यहां नहीं तो जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में कहिए और हिदायत दीजिए कि वह ऐसा करना छोड़े नहीं तो पार्टी छोड़कर भाग जायं।

जहां तक हमारे दल का सवाल है हम तो हमेशा हरिजनों, पिछड़े लोगों के साथ रहे हैं। यदि इसमें कुछ करना चाहते हैं तो यह जो आरक्षण है उसमें आर्थिक आधार को जोड़ दिया जाय कि हजार, डेढ़ हजार की या 8 सौ की आमदनी जितनी आप उचित समझें उसका प्रतिबन्ध लगा दें क्योंकि इससे लाभ बड़े–बड़े लोग उठा लेंगे। यह प्रतिबन्ध लगाकर आप उसे संशोधित करें—आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिणक सभी स्थितियों से सुधार सकते हैं।

अब मैं कुछ बेरोजगारी की बात करना चाहता हूं। दिघे जी समाजवादी रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता था कि बेरोजगारों के लिए भत्ते की बात वह स्वीकार करेंगे। वह पिछड़ी जातियों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण का नारा देते थे और यह भी नारा देते थे कि सभी जातियों के बेकार लोगों को भत्ता दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बेकारी भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि आप इस पर विचार करें और शीघ्र ही इस नीति को अपनाकर बेरोजगारों को भत्ता देने की व्यवस्था कीजिए।

हरिजनों के लिए आपने कहा है कि यदि कोई हरिजन अत्याचार के कारण मारा जाएगा, तो उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।

[श्री राम सजीवन]

लेकिन मेरे बांदा जिले में 5 हरिजन पिछली असेम्बली से इस असेम्बली तक उत्पीड़ित करके मार डाले गए, लेकिन आज तक इस सरकार ने उनके परिवार वालों को एक पैसे की भी आर्थिक सहायता नहीं की। इससे लोग यह भ्रम करने लगते हैं कि यह सरकार चूंकि पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करती है, उन्हीं को आगे बढ़ाती है और हरिजनों को दबाती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है। इसलिए जो 5 हजार रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा है, उसे उन परिवारों तथा ऐसे समस्त परिवारों को अविलम्ब पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि यह कोई शक न करे कि आप हरिजनों के विरोधी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह तो ऐसी बात है जो आप अवश्य और शीघ्र कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

बस दो मिनट का समय और है।

श्री राम सजीवन—

किसानों का लगान बढ़ा दिया गया और हम लोग जब दिघे जी के साथ थे तो इस बात के लिए लड़ाई करते थे कि लगान नहीं बढ़ना चाहिये किन्तु पहले यह 23 करोड़ था और अब बढ़कर 29 करोड़ हो गया है.... (व्यवधान) 29 करोड़ के लगान में बढ़ा हुआ लगान भी शामिल है, इसलिये बढ़ा हुआ लगान तुरन्त वापस लेना चाहिये, यह मेरा निवेदन है। मंत्री जी ऐसे-ऐसे आदेश देते हैं, जो कानून और नियम के विपरीत होते हैं....

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट केवल।

श्री राम सजीवन—

क्या मंत्रियों की बात आप नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे आदेश मंत्री जी देंगे तो अधिकारी लोग उनका कैसे पालन करेंगे? तो पहले आप कानून पढ़िये। आप जबरदस्ती अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं और काम लेकर विरोधी दल के लोगों के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, यह परम्परा ठीक नहीं है। मंत्रियों को सचेष्ट होकर आदेश देना चाहिये, ताकि उसका पालन हो सके। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने इधर भी दृष्टिपात करके मुझे बजट भाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं वित्त मंत्री जी को आशान्वित बजट प्रस्तुत करनेके लिये बधाई देना चाहता हूं।

श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं कितनी बार से खड़ा हो रहा हूं, लेकिन....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए, उन्हें बोलने दीजिए, माननीय सदस्य अपना भाषण चालू रखें।

श्री रणजीत सिंह—

उनका यह नारा है कि 'चलो गांवों की ओर', बड़ा ही अच्छा नारा है। ऐसे गांव जो अब तक पिछड़े हुए थे, उस ओर सरकार की निगाह गई, इसके लिये निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। पहले जो कांग्रेसी सरकार थी, उसने कुछ साल पहले नारा दिया था गरीबी हटाने का लेकिन जो अनुभव है, सारे इस प्रदेश के गरीबों का, वह है गरीबी हटाओ का नारा दे कर गरीब को हटाने की साजिश की गयी थी। गांवों के लोगों को "चलो गांव की ओर" के नारे के संबंध में कुछ शंका हुई लेकिन मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत हुआ है पिछले वर्ष और इस वर्ष, निश्चित रूप से जो धनराशि बजट में रखी गयी है गांवों के लिये उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इसलिये कहा जा सकता है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है। निश्चित रूप से गांवों के उत्थान का इरादा सरकार का है। इसी तरह से इस बजट में 3½ एकड़ तक लगान को माफ करने की घोषणा की गयी है, मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे इस प्रदेश के 70 प्रतिशत कृषक लाभान्वित होंगे। जहां कांग्रेस सरकार ने 63 करोड़ रुपये लगान लगाया था, इस प्रदेश के किसानों पर, हमारी सरकार ने उसको 29 करोड़ घटा कर कर दिया। इसके साथ ही साथ बिना दस गुना दिये, जो प्रदेश के बाकी किसान थे जो भूमिधर नहीं बन पाये थे, उनको भूमिधर बनाने की घोषणा की। इसी तरह से हमारी सरकार की मद्य विषेध की घोषणा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। गांधी जी के चेले कहलाने वाले हमारे पूर्ववर्ती सरकार के कांग्रेसी भाई मद्यनिषेध की बात कहते तो थे लेकिन कभी हिम्मत उनकी नहीं हुई मद्य निषेध करने की। निश्चित रूप से मद्य निषेध का कदम एक साहसिक कदम जनता पार्टी का है। सात जिलों में मद्य निषेध की जो घोषणा की गयी है इससे 20 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसके बावजूद यह घोषणा की गयी है और आने वाले चार वर्षों में समय निश्चित किया गया है कि निर्धारित समय के अन्दर पूरे प्रदेश भर में चाहे अरबों रुपये का नुकसान क्यों न हो फिर भी मद्य निषेध लागू कर दिया जायगा।

एक बात मैं कहना चाहूंगा। पर्वतों की रानी मसूरी पर्यटन क्षेत्र है। वहां पर ऐसे कर्मचारी हैं जो मद्य निषेध से प्रभावित होंगे। मेरा अनुरोध है सरकार से कि ऐसे कर्मचारी जो मद्य निषेध के कारण बेरोजगार हुये हैं मसूरी और दूसरे शहरों में उनको रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इसी तरह से जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें गांवों में सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना कार्यान्वित की गयी है और कई करोड़ रुपया का प्राविधान बजट में किया गया है। सड़कें बन रही हैं। इसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं।

कुछ सुझाव हैं मेरे। इस समय हमारे देहरादून में अपार भंडार खनिज पदार्थ का भरा पड़ा है। चूने का पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर और दूसरे प्रकार के खनिज पदार्थ वहां पर हैं। कई साल पहले सीमेंट फैक्टरी लगाने का एक प्रोपोजल सरकार से स्वीकृत हुआ था, लेकिन ऐसे लोग जिनका कब्जा उन खनिज पदार्थों पर है और उसके खनन का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों की साजिश से वह प्रोपोजल निरस्त कर दिया गया और सीमेंट फैक्टरी लग नहीं सकी। ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे देहरादून जिले में लगभग 30 मिलियन टन सीमेंट बनाने का पत्थर कालसी के मदरसू क्षेत्र में ह, बड़कोट क्षेत्र म 25 मिलियन टन सीमेंट बनाने का पत्थर है। इसी तरह से 100 मिलियन टन पत्थर मुनी की रेती के पास के पहाड़ में है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में स्थापित की जाय।

[श्री रणजीत सिंह]

जो हमारे प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी इलाका है जहां पर सीमेंट पहुंचने में काफी दिक्कत और व्यय होता है। वहां पर सीमेंट की फैक्टरी खोलने से लोगों की सीमेंट की दिक्कत समाप्त हो जायेगी। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिनी सीमेंट प्लान्ट इस क्षेत्र में लगाये जायें। इससे जो सरकार के सामने सीमेंट पूर्ति की परेशानी आती है, वह समाप्त हो जावेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इस तरह के मिनी प्रोजेक्ट तैयार करवाकर लगवाने की व्यवस्था की जाय जिससे उत्तरी–पश्चिमी इलाके में सीमेंट अच्छी तरह से सप्लाई हो सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान एक दूसरी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। देहरादून में मेडिकल कालेज खोलने की बात पिछली सरकार ने स्वीकार की थी, लेकिन वह खाली घोषणा ही हो सकी और मेडिकल कालेज की स्थापना देहरादून में नहीं हो सकी। मेरा अनुरोध है कि मेडिकल कालेज की स्थापना देहरादून में की जावे।

अब मैं मान्यवर, कानून और शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग अगर कहीं पर भी जरा सी बात हो जाती है। तो उसको सुलझाने के बजाय उसको उलझाना चाहते हैं। मैं देहरादून की बात कहना चाहता हूं। यह बड़ा ही शान्तिप्रिय जनपद है और यहां पर आज भी आपको ऐसे इलाके मिलेंगे जहां पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। ऐसा शान्तिप्रिय यह पर्वतीय अंचल है। लेकिन पिछले दिनों यहां पर दो घटनायें हो गयीं जो गोली मारकर हत्या करने की थीं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, शान्तिव्यवस्था बनाये रखने के लिये हमें सतर्क रहना होगा।

श्री अधिष्ठाता––

आपके दो मिनट और हैं।

श्री रणजीत सिंह––

मैं बजट चर्चा पर इससे पहले नहीं बोला हूं और अधिक समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता––

बोलिए।

श्री रणजीत सिंह––

मान्यवर, मैं अपनी सरकार का आभारी हूं कि हमारी सरकार ने पर्वतीय अंचलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दे दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षकों और विकास परिषद् के जो कर्मचारी हैं उनको सिद्धांतः यह स्वीकार कर लिया गया है कि पर्वतीय भत्ता दिया जाये। मेरा अनरोध है कि डिग्री कालेज के प्राध्यापकों व कर्मचारियों को भी पर्वतीय भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार करे। 15 सौ फिट की ऊंचाई की जो लिमिट पर्वतीय भत्ते के लिये लगायी गयी है वह ठीक नहीं है। इससे देहरादून जनपद एवं विकास नगर ऋषीकेश और जो दूसरे पर्वतीय इलाके हैं वहां पर कठिनाई उत्पन्न हो गयी है वहां के लोगों को पर्वतीय भत्ता नहीं मिल सकता है, मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको भी पर्वतीय भत्ता दिया जाना चाहिये।

अब मैं सिंचाई की बात कहना चाहता हूं । माननीय सिंचाई मंत्री जी यहां पर नहीं हैं । उनसे मैंने गत बजट भाषण के अवसर पर कहा था कि ड्रिलिंग मशीन देहरादून में नहीं है जिसके कारण नलकूप खोदने का कार्य नहीं हो पा रहा है और जितने कुओं का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ है, उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने ड्रिलिंग मशीन देहरादून के लिये उपलब्ध कराई । परन्तु मान्यवर, कम्प्रेशर मशीन न होने के कारण जो कुएं खुद गये हैं वह आज तक चालू नहीं हो सके हैं । मेरा अनुरोध है कि कम्प्रेशर मशीन उपलब्ध कराई जाय ।

इसी तरह से मान्यवर, मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में लोगों ने धरोहर राशि के रूप में बिजली लगवाने के लिये धनराशि जमा की थी, या तो वैसे केसेज को प्राथमिकता के आधार पर अगर सम्भव हो तो बिजली दी जानी चाहिये और यदि सम्भव न हो तो मैं यह मांग करता हूं कि उनकी वह रकम वापस करा दें ताकि वे कम से कम परेशान तो न हों । मैंने पिछले बजट भाषण के समय बात कही थी कि हमारे जनपद में डोइवाला और सहसपुर विकास खण्ड हैं जिनकी जन संख्या 2 1/2 लाख के लगभग है । मेरी प्रार्थना है कि इन विकास खण्डों का सरकारी नीति के अनुसार पुनर्गठन किया जाय ।

अन्त में मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बगट का समर्थन करता हूं । (व्यवधान) (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग कृपया बैठें, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)––

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1978–79 के बजट का मैं समर्थन करता हूं परन्तु एक बात यह कहना चाहता हूं कि अपने दिल में वह उत्साह और आशा नहीं पा रहा हूं जो मैं सोचता था । उसका कारण यह है कि जनता पार्टी ने चुनाव लड़ते समय अपने घोषणा पत्र में यह एलान किया था कि वे सम्पत्ति के अधिकार को हटाकर उसके स्थान पर कार्य करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनायेंगे । मैं यह मान सकता हूं कि शायद यह काम तुरन्त मुश्किल हो सकता है । दूसरी बात है कि प्रधान मंत्री जी ने जो पत्र 20 अक्तूबर, 1977 को सभी मुख्य मंत्रियों के नाम लिखा था, उसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी और आशा की थी कि उनकी सरकारें 10 वर्ष की अवधि में बेरोजगारी तथा जो अपूर्ण रोजगारी है उसको समाप्त करने की योजना बनायेंगे ।

एक अजीब सी बात मुझे दिखती है क्योंकि जब हम समाजवादी युवजन सभा में थे तब हम नारा लगाया करते थे कि बेकारी का भत्ता दो या काम दो । पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट पार्टी की सरकार है, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार है और पंजाब में अकाली डोमीनेटेड सरकार हैं । इन तीनों प्रदेशों में सरकार ने बेकारी भत्ता दे दिया लेकिन जहां जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर बेकारी भत्ता नहीं मिल सका है । मैं यह बात अवश्य मानता हूं कि बेकारी भत्ता देना मुश्किल हो सकता है और हमें कभी कभी यह लगता है कि सिद्धान्त गलत हो सकता है लेकिन काम है, काम करने वाले हैं, उनको दीजिये और कुछ काम उनसे अवश्य लीजिए । बेरोजगारी में तीन प्रकार के लोग आते हैं । एक तो जो गरीब होते हैं. उनको जो भी काम दिया जाय वे उसको करने के लिये तैयार हो जाते हैं, दूसरे बेरोजगार वे लोग हैं जो खाते पीते परिवारों से आते हैं. उनको हम फ्रस्टट्रेटेड बेरोजगार मानते हैं । वे काम नहीं करते हैं । तीसरे बेरोजगार वे लोग हैं जो वैस्टेड प्रोड्यूसर्स हैं । वे केवल उपभोग करते हैं जो व्यर्थ चला जाता है । धनी परिवारों के इन बच्चों

[श्री श्याम दत्त पालीवाल---]

के पालन पोषण और शिक्षा के लिये समाज में काफी खर्च होता है लेकिन समाज की जो संचित सम्पत्ति है उसको वे खाते हैं । हमने नारा दिया था कि कमाने वाले को मिलेगा और जो खून चूसने वाला है वह जायगा । तो चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, धनी से धनी हो, उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह काम करे । उसको काम करने के लिये मजबूर करें ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं क्यों कह रहा हूं यह बात ? कोई अपने पैसे से नहीं पढ़ता-लिखता है । सबके लिये समाज को खर्च करना पड़ता है । 25 साल का युवक सदस्य, उसको पढ़ाने-लिखाने, शिक्षा देने में समाज खर्च करता है । उसका यह फर्ज नहीं है कि वह केवल उपभोग ही करे, बल्कि उसका फर्ज बन जाता है कि उत्पादन करे । तो इसलिये आज सड़कें बननी हैं, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, बीमारी दूर करनी है, क्यों नहीं आप बेरोजगारों को इन कामों पर लगा देते ? वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि वह इस वर्ष 4 तथा 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे सकेंगे । वित्त मंत्री जी से हमें कहना है इस समय 26 लाख 53 हजार बेरोजगारों की संख्या है । हर वर्ष 6 लाख बेरोजगार बढ़ जाते हैं । तो इस प्रकार से किस प्रकार बेरोजगारी दूर होगी ? गम्भीरता से विचार किया जाय । प्रधान मंत्री जी के पत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1977 पर ध्यान दिया जाय, जो उन्होंने मुख्य मंत्रियों के नाम भेजा था । वह सम्पूर्ण योजना क्या दिमाग में है कि 10 वर्ष में हम बेरोजगारी दूर करेंगे ? आज 26 लाख 53 हजार कम करने पर, 34 लाख 18 हजार के करीब फिर आ जायगी ।

उत्तर प्रदेश जैसा अभागा प्रदेश, ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में कोई नहीं है, 1961 और 1971 के बीच भारत में 1961 में 57.12 प्रतिशत लोग काम करते थे, परन्तु वह घट कर 52.50 हो गया। तो इस तरह से 8.1 की कमी आई, जब कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, भारत का जो ऐवरेज था इस तरीके से, हमारे यहां 58.14 प्रतिशत देश के औसत से अधिक था । भारत का 52.12 था, लेकिन हमारा घट कर 52.09 हो गया । जो 61 में ज्यादा था, वह कम हो गया। 8.1 की कमी आई पूरे भारत की । तो हमारे उत्तर प्रदेश में 10.2 की कमी आई । महिलाओं का जहां तक सवाल है, पूरे भारत में महिलायें काम करती थीं, 1961 में 41.8, 71 में घट कर 18.1 रह गयीं । इस तरह से पूरे भारत में 68.1 प्रतिशत की कमी आई उत्तर प्रदेश में । हमारे प्रदेश में यह ऐवरेज अच्छा था, तब महिलाओं का प्रतिशत 47.8 था, लेकिन वह घट कर 6.7 रह गया । 93.3 प्रतिशत की कमी आई । तो इस तरीके से बेरोजगारी जिस हिसाब देश में बढ़ी, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में वह बेरोजगारी कहीं अधिक बढ़ी । जैसा मैंने पहले कहा, आप केवल 4 तथा 5 लाख के बीच रोजगार देने के लिये तैयार हैं । लेकिन यह संख्या कितनी होगी ? एक और देख लीजिए पंजीयित बेरोजगार 1969 में 2.92 लाख थी, 1974 में 8.08 लाख, वही 1977 में बढ़ कर 12.50 लाख हो गयी । तो आप 4-5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, जब कि केवल शिक्षित बेरोजगार आपके पास हैं 12.50 लाख । अपने प्रदेश की प्रगति भारत की तुलना में बहुत कम रही है ।

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबी के नीचे की जो रेखा होती है, जिसको हम कंगाली कहते हैं कि 10 साल में हम कंगाली समाप्त कर देंगे । आखिर किस तरह से समाप्त होगी ? मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक गांव में पूरे प्रदेश के प्रति वर्ष में, जो पांच सर्वाधिक परिवार हैं उनको आप छांट लीजिये और छांटने के बाद उन परिवारों से पूछिये कि उन्हें गाय चाहिये, बैल चाहिये, भैंस चाहिये, पड़ियां चाहिये, ऊंट चाहिये, घोड़ा चाहिये उन्हें क्या चाहिये ? इस प्रकार से प्रत्येक गांव में पूरे पूरे प्रदेश में 5-5 परिवार छांट लेंगे तो 10

सालों में उनकी संख्या 50 हो जायगी । इस तरीके से अगर कार्य शुरू करेंगे तो आप कंगाली समाप्त कर सकेंगे, नहीं तो कैसे समाप्त करेंगे ? इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का निदान नहीं हो सकता जब तक कि आप बेरोजगारी और कंगाली को समाप्त नहीं करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

समय समाप्त । श्री अशोक बाजपेयी ।

(गौरी शंकर भैया के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता

आप बैठें ।

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)––

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । आज सारे प्रदेश के अन्दर गन्ने की समस्या को लेकर किसानों के अन्दर एक भय व्याप्त हो गया है । ईश्वर की कृपा से या किन्हीं कारणों से गन्ने की फसल पिछले बहुत वर्षों की अपेक्षा अच्छी हुई लेकिन उसकी जितनी खुशी किसानों के मन में थी उस सारी पर तुषारापात हुआ । दो तिहाई गन्ना आज भी खेत में खड़ा हुआ है और किसान खेत को देखता और गन्ने को देखता है और अपने भविष्य को देखता है । अभी तक हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई व्यापक कदम नहीं उठाया । इसका निराकरण क्या होगा ? इससे किसानों में निराशा पैदा हो रही है और उसका भविष्य अन्धकारमय है । आगे गन्ने की खेती होगी या नहीं, किसान शंकित है । मैं उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई कड़ा कदम उठाये ।

हरदोई जनपद की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वहां केवल एक ही चीनी मिल है और उसकी पूरे जिले के किसानों पर मोनीपोली है । वह जब चाहती है जिस सेंटर से उतना गन्ना खरीदती है । कोई समिति न होने के कारण, किसानों की संस्था न होने के कारण इस वर्ष अधिकारियों का और मिल मालिकों का पूरा षडयन्त्र चल रहा है जिससे किसानों का गला घोंटा जा रहा है । तो मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में सरकार वहां पर कोई दूसरी गन्ने की मिल लगाने का प्रयास करें ताकि एक छत्र शासन मिल मालिक का समाप्त हो सके और किसानों को राहत मिल सके । बहुत से किसान हैं जिनको एक भी पर्ची नहीं दी गई है और बड़े-बड़े किसान अपना गन्ना डाल रहे हैं । गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं हैं । इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

आज जब शान्ति व्यवस्था की स्थिति जैसी हो रही है, विशेषकर हरदोई जनपद में जो कि 6 अपराध के प्रमुख जिलों में एक माना जाता है, उसकी बड़ी शोचनीय दशा है । वहां नित्य प्रति डकैती और खून-खराबा होना सामान्य सी चीज हो गई है । रोज सुनने को मिलता है अखबार में कि आज दो मरे, 3 मार दिए गए और शासन मूक है । जिलाधिकारियों ने कोई कठोर कार्यवाही नहीं की किस तरह से इसका निराकरण हो । नागरिकों में भय-सा व्याप्त हो गया है । आम आदमी अपने जीवन को सुरक्षित नहीं महसूस करता, जन-मानस त्रस्त है । अतः इस सम्बन्ध में शासन कड़ी कार्यवाही करे । अभी मुझे हरदोई जनपद की सूचना मिली है कि वहां के पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उस स्थान पर एक भ्रष्ट अधीक्षक लाया जा रहा है जिसपर लगातार जाति-पांति में पड़ने के आरोप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अशोक बाजपेयी—]

लगे हुए हैं और इसी आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा रहा है, इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नशाबन्दी लागू की गई उसका निश्चित रूप से सारे प्रदेश में स्वागत किया गया । यह क्रन्तिकारी कदम है । नए समाज की रचना में देश को नई दिशा देने में एक व्यापक कदम है । लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब चयन किया जा रहा था तो कौन सा आधार बनाया गया था । एक बार चयन आयोग बैठाया गया तो 7 जिले अपराध की दृष्टि से आगे पाए गए । तो जब नशाबन्दी लागू की गई थी तो पहले उन 7 जिलों को ही लिया जाता । अगर अपराधों की विवेचना की जाती है तो अधिकांश अपराध यह पाया जायगा, नशे की स्थिति में होते हैं । उन जिलों में हरदोई, उन्नाव, बांदा सरीखें जिलों में पहले नशाबन्दी लागू होनी चाहिए थी ताकि अपराध की स्थिति रुक सकती ।

मैं, माननीय आबकारी मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे कृपया हरदोई जिले में नशाबन्दी लागू करने की कृपा करें ।

तीसरी बात मैं ग्राम विकास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज जिला परिषदें भंग हैं, विभिन्न समितियां भंग हैं, जनतांत्रिक संस्थाएं भंग हैं, और इन सबके भंग होने से जिलो का सारा प्रशासन ठप्प है । जिलाधिकारी के पास इतना अधिक काम रहता है कि वह स्थानीय निकायों के कार्यों को देख ही नहीं पाता । वह इनके कार्यों में रुचि भी नहीं ले पाता । हमारी सरकार का लोकतंत्र में विश्वास है, जन मानस तक हम लोकतंत्र की जड़ों को पहुंचाना चाहते हैं, । तो यह तभी सम्भव होगा जब हम स्थानीय निकायों का जल्द से जल्द चुनाव करायें । आज सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति, नगरों में बड़ी दयनीय है । यह सब कार्य तभी ठीक तरह से होगें जब इन संस्थाओं के चुनाव हों और प्रशासन चुने हुए लोगों के हाथों में आए ।

गांव की ओर चलो, यह कहा गया है । सचमुच गांव की स्थिति आज बड़ी दयनीय है । पिछली सरकारों द्वारा भी कहा यही जाता रहा कि गांव का विकास हो । महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव खुशहाल नहीं होंगे, प्रदेश का विकास नहीं होगा । देश खुशहाल नहीं होगा । 30 वर्षों तक हमने गांधी जी की नीतियों पर चलने की बातें तो बहुत कहीं, मगर किया कुछ नहीं । यह देखकर बड़ी शर्म आती है, हंसी आती है कि पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया । हमें खुशी है कि इस सरकार ने आते ही एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । मैं यह भी चाहूंगा कि आज गांव और शहर के बीच की दूरी दूर की जाए । जो सुविधाएं शहरों मे उपलब्ध हैं, गांव में भी उपलब्ध करायी जाएं । शहरों में तो बड़े-बड़े मेडिकल कालेज वगैरह हैं, देहात में नहीं हैं । देहात में तो प्राथमिक चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था नहीं हैं । जिला अस्पतालों की दशा बड़ी शोचनीय रहती है । उनमें सुधार किया जाए और वहां ब्लड बैंक की भी स्थापना की जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वह मरीज को तुरन्त मिल सके, खून के अभाव में किसी की मौत न होने पाए । आज खून के लिए 200 किलोमीटर दूर भाग कर आना पड़ता है और जब तक खून की व्स्वस्था होती है, मरीज दम तोड़ देता है । इसलिए जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना होना चाहिए ।

शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है । आप बड़े-बड़े विश्वविद्यालय को भले ही रोक दें, पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार की ओर ध्यान दें, आज उन स्कूलों के लिए भवन तक नहीं हैं । बच्चों के बैठने के लिए स्कूलों में पट्टियां तक नहीं है । प्राथमिक स्कूलों से ही गांव के बच्चे पढ़कर ऊंची शिक्षा पाने के लिए शहरों में आते हैं । गांव में चलने वाले स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए ताकि गांव के किसान के लड़के अच्छी शिक्षा पा सके ।

औद्योगीकरण की ओर जब हम देखते हैं तो भी बड़ी निराशा होती है। हमारे हरदोई जिले में, संडीला के पास एक कारखाना लगाने के लिए कहा गया। उस कारखाने, की जमीन वगैरह निश्चित हो गई, दीवार आदि भी खुदकर बन गई, लोगों ने तमाम शेयर्स भी खरीद डाले, मगर आज न उस करखाने का कहीं पता है. न कारखाने के मालिक का, खाली दिवाल खड़ी हुई है।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हो गया है। आप बैठिए।

जो माननीय सदस्य खड़े हों वह कृपा करके बिल्कुल सीधे खड़े हों। (हंसी) ताकि नजर पड़ सके।

श्री गौरी शंकर 'भैय्या (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट की चर्चा पर आपने बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, विरोधी दल की तरफ से और सत्ता दल की तरफ से इस बजट के सम्बन्ध में तरह-तरह की समालोचनाएं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मुझको भी कुछ कहना है। मान्यवर, गांवों की ओर चलने की बात कही गई है। ग्राम्य विकास और गावों की 70 प्रतिशत् जनता को आगे बढ़ाने की बात की गई है। सबसे पहले जब कृषि पर 40 प्रतिशत खर्च करने की बात आती है तो निश्चित रूप से शहरों को दुल्हन की तरह सजाने वाले जो लोग हैं उनमें बेचैनी पैदा होती है। उनकी जो इस तरह की राजनीति थी वह इससे कमजोर पड़ेगी। जहां तक गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की बात है, वहां पर जोर शोर से कहा जाता है कि ऊंचे तबके के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी ऊंचे तबके का आदमी इस आरक्षण के विरोध में नहीं है। हम भी समर्थन करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि पिछड़े वर्ग में कौन-कौन से लोग आते हैं।

मान्यवर, यहां पर बार-बार एक आयोग का जिक्र किया गया है। जो पिछड़ी जातियों के बारे में रिपोर्ट दे चुका है। माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी जमाने में इस आयोग की स्थापना की गयी थी। इसमें दो सदस्य विरोध पक्ष के थे और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। इस तरह से मान्यवर, यह आयोग कांग्रेस आयोग हो गया था। यह बात दूसरी है कि यह सरकार भी उन्हीं की नीतियों पर चलना चाहती है तो मुझको कुछ नहीं कहना है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण का हम समर्थन करते हैं। चौधरी साहब ने अल्पसंख्यकों और पिछड़े लोगों के बारे में एक आयोग बनाने की घोषणा की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उस आयोग की संस्तुतियां सदन के पटल पर जनता पार्टी के विधायकों के सामने आ जातीं तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत होती। जब माननीय गृह मन्त्री ने घोषणा की है कि वह एक आयोग बैठा रहे हैं तो जल्दी-जल्दी लूटने की प्रवृत्ति के अनुसार कि पता नहीं उसमें कौन सी जाति रहेगी या नहीं रहेगी तो इस प्रवृत्ति की हम निन्दा करते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पुरुषों की बनिस्बत वरीयता मिलनी चाहिए। यह एक जो परम्परा रही है, देखा जाता है कि बार-बार एक ही वर्ग के लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस परिवार के जिस व्यक्ति को एक बार सहायता मिल जाय उसी व्यक्ति को दूसरी बार सहायता कतई न मिले।

[श्री गौरी शंकर 'मैय्या'—]

अब मैं बलिया जनपद की ओर आपके माध्यम से दिघे जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर जल में मैं दिघे जी के साथ में था। वहीं पर शारदा प्रसाद जी और लारी साहब भी थे। यह तमाम लोग जेल में हमारे साथ थे। मैं सोचता था कि माननीय सदस्य अब मन्त्री हो गए हैं अब मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूंगा तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जायगा। लेकिन मान्यवर, वह जमाना जेल का था और यह जमाना कुर्सी का है। वह भूल गए हैं अपने उन साथियों को जो जेल में थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बलिया के विकास की बात की जाय।

मान्यवर, मैं अपने जनपद की तरफ से कहना चाहता हूं कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका दल के नाते भले ही मैं समर्थन करता हूं लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि हमारे जनपद के लिए यह बजट निराशाजनक है अतः निराशा और दुख के साथ हम इस बजट का समर्थन करते हैं। अब मैं कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोपाचिट से चुनकर आया हूं जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हमारे यहां बाढ़ और कटान की समस्या है। सिंचाई की समस्या है। सिंचाई मन्त्री जी जब बलिया म गए थ तो मने उनको सुझाव दिया था कि हमारा पूरा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित ह इसलिए जितनी वहां नालियां और नहरें बनाई जाती हैं वह साल में बाढ़ आने पर नदी में चली जाती हैं इसलिए अन्डर ग्राउन्ड नालियां बनाने का विचार किया जाय। सिंचाई मन्त्री, श्री शारदा प्रसाद रावत ने इसके लिए बलिया के इंजीनियर को लिखा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ ?

मान्यवर, हमारे यहां जिस तरह हिन्दुस्तान और चीन के बार्डर पर सेनायें तैनात रहती हैं और एक समस्या बनी रहती है। उसी तरह हमारे वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बार्डर पर जमीन की एक समस्या बनी है। उत्तर प्रदेश की जमीन और बिहार की जमीन का बटवारा त्रिवेदी आयोग ने बैठकर कर दिया और एक सीमा बना दिया लेकिन उससे उत्तर प्रदेश की जमीन कुछ बिहार में चली गई और बिहार की जमीन कुछ उत्तर प्रदेश में चली आई। मैं चाहता हूं कि बिहार की जमीन जो यहां चली आई उस पर बह खेती करें और यहां की जमीन जो बिहार म चली गई उस पर यहां के लोग खती करें। लेकिन ला एन्ड आर्डर के नाम पर जब यहां के लोग बिहार में खेती काटन जाते हैं तो उसको यहां की पुलिस बन्द कर देती ह और बिहार की सरकार यहां खेती करवा रही है। इसलिए वहां हर समय लाठी चलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बार्डर पर हर साल एक–दो कत्ल हो जाते हैं। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो कटाई के समय में गोलियां चलने वाली हैं। इसलिए सरकार दियरा की समस्या पर ध्यान दे और जो हमारे वहां असिंचित क्षेत्र पड़ा है वहां सिंचाई की व्यवस्था करे।

मान्यवर, हमारे वहां एकीकृत विकास योजना चलती है जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना द्वारा ब्लाकों का विकास किया जाने वाला था, इस योजना में सारा पैसा गाजीपुर के ब्लाकों पर खर्च किया जा रहा है। गाजीपुर में इस योजना के अन्तर्गत 5 ब्लाकों को लिया गया है जबकि हमारे वहां केवल एक ब्लाक लिया गया है। यह इसलिए है चूंकि गाजीपुर के मन्त्री हैं इसलिए सारा काम वहीं हो रहा है और हमारे वहां नहीं। इसलिए मैं नियोजन मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि बजट में जो धन आवंटित करने की बात है उसमें हमारे जिले के साथ बेईमानी की जा रही है। चाहे स्कूल खोलने की बात हो या उद्योग या ट्यूबवेल लगाने की बात हो सभी में बलिया जिले की उपेक्षा की जाती है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह हमारे जिले के विकास के लिए धन दें।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, कई दिन से लगातार माननीय सदस्य जनता पार्टी के लोगों को जो सुना है उससे मालूम हुआ कि जैसे विरोधी दल के माननीय सदस्य बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही सरकारी पक्ष के। चूंकि वह सच बोल रहे थे तो जब सच बोलेंगे तो वही बात निकलेगी। वह बाद में भले ही कह देते हैं कि गांव की ओर बजट जा रहा है लेकिन हर एक सदस्य ने उसकी आलोचना की है। प्रदेश में अराजकता की बात कही है और किसानों के अत्याचार की बात कही है।

मान्यवर, मैं तो सोच रहा था कि जब जनता पार्टी के मुख्तलिफ घटक के सदस्यों ने ही इतनी आलोचना कर दी तो अब मैं क्या कहूं। फिर भी मौका मिला तो मन में आ गया कि बोलें। पता नहीं कि कल को जिन्दा रहें या न रहें। इन हालात में एक शायर का शेर जनता पार्टी के हवाले कर रहा हूं और उन लोगों के हवाले कर रहा हूं जो डा0 लोहिया का बार–बार नाम लेते हैं:

कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चन्द सांसों में फूल जाते हैं,

जब कमीने उरूज पाते हैं, तो अपनी औकात भूल जाते हैं।

ये कहते हैं गांव की ओर चलो। गांवों की तरफ तो सबसे पहले कदम इन्होंने बढ़ाया कि गल्ले के दामों में किसानों को पीटा। जब इधर बैठते थे तो 125 के दाम चाहे बादल साहब हों, चौधरी साहब हों या और हों उससे नीचे नहीं उतरने दिया। यही हाल गन्ने का है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 रुपया, चार रुपया और अब तो हालत यह है कि ढाई रुपए में क्रशर वाला गन्ना लेगा। इन्होंने पहले तो मिल वालों से सांठ–गांठ की और मिल को देर से चलवाया। फिर एक्साइज ड्यूटी छोड़ी और 15–16 करोड़ रुपए की छूट दी। काश्तकारों के साथ कितना दुराचार किया है इस सरकार ने। शायद ऐसी काश्तकार विरोधी सरकार नहीं रही। मजदूरों की दुश्मन तो यह सरकार है ही, देश के ही नहीं दुनियां के लोग जानते हैं कि यह पूंजीपतियों के साथ है और मजदूरों की दुश्मन है।

मेरठ जिले की बात कहना चाहता हूं। यह जात तोड़ो आन्दोलन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। मगर इनमें जात–बिरादरी कितनी है। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही टी0 एन0 मिश्रा, एस0 एस0 पी0 तीन महीने वहां रहे और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं फिर भी उनको हटा कर एक महेन्दर सिंह यादव जो पी0 ए0 सी0 में थे, उनको पोस्ट कर दिया। उनकी पत्नी मीरा यादव वहां डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर ह। इसी तरह श्याम लाल दौरे को हटाकर दूसरे आदमी को भेज दिया। रामबाबू को हटाकर सरोही में पोस्ट कर दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आयी कि प्रकाश सिंह, डी0 आई0 जी0 जिनको चौधरी साहब छांट कर ले गए थे उनको दो एस0 ओ0 ने दिल्ली जाकर ट्रान्सफर करा दिया। पहले वह मुरादाबाद गए, फिर फैजाबाद और अब लगता है उनको छुट्टी दे दी क्योंकि दूसरी जगह उनको मिली नहीं। हमारे यहां 24 थाने हैं, 19 में जाट हैं। लेकिन मान्यवर, उसमें क्या है? जो उनकी चौधराइन का आदेश हो जाता है, उसी को पोस्ट कर दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य किसी व्यक्ति पर, जोकि इस सदन में नहीं है, आक्षेप न करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, थोड़ा समय बांव दें। ये मंजूर साहब कब तक [* * *] करते रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

उनका समय समाप्त होने को आ रहा है, लेकिन यह जो आपने 'बकवास' शब्द का प्रयोग किया, यह कहां तक शोभनीय है ?

श्री शत्रुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, 'बकवास' शब्द संसदीय है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, इन लोगों को जैसी ट्रेनिग मिली है, वैसा ही तो बोलेंगे ? अच्छी ट्रेनिग मिली, अच्छे शब्द बोल रहे हैं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय सदस्य जो चौधरी साहब के बारे में इस तरह आरोप लगा रहे हैं, वह उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर आदेश हो चुके हैं ।

श्री मन्जूर अहमद—

[* * * * *]

यह तो आदत हो गई है इन लोगों की। ये जनतन्त्र की बात करने वाले हैं, लेकिन कितना जनतन्त्र के मानने वाले हैं। सबसे पहले चुनकर आए तो बोर्ड को भंग किया। माननीय सदस्य अभी जिला परिषद् की बात कह रहे थे। वह तो चुनाव हो गया, मनोनीत भी हो गए होंगे या होने जा रहे होंगे। ब्लाक तोड़ा, जिला परिषद् तोड़ा, नगरपालिकायें भंग कीं और सभी कुछ तोड़ने के बाद अब समय बढ़ाया है। जनतंत्र की दोहाई देने वाले इन लोगों ने सारी कोआपरेटिव सोसाइटीज में अपने लोगों को मनोनीत किया है, चुनाव नहीं किया, मनोनीत किया है। जिला परिषद् में अब नियुक्तियां हो रही हैं जिसमें अपने ही लोगों को भर रहे हैं। नगरपालिकाओं की हालत तो खराब ही है। ला ऐन्ड आर्डर की क्या हालत है ? गोलियां कितनी चलीं ? कितनी-कितनी जगहों पर रायट्स हुए ? मान्यवर, हजारों व्यक्तियों पर मजदूरों से लेकर छात्रों और अध्यापकों पर लाठियां बरसायी गयीं, कितनों की जानें गयीं। तो यह जनतंत्र को मानने वाली सरकार है? नहीं, मान्यवर, यह तो जनतंत्र की दुश्मन सरकार है।

इसके बाद, मान्यवर, मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

अभी क्या है कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना ।
अगर अहले जर्फ के हाथों में पैमाना नहीं आया ।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं भी एक शेर मन्जूर साहब को नजर करना चाहता हूं:—

निकलना खुल्द से आदम का सुनते आये थे लेकिन,
बहुत बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

अभी पिछले महीने 17 तारीख को इसी सदन में जो कुछ हुआ, उस बात का जिक्र नहीं किया, उसका हमारे मन्जूर साहब ने जिक्र नहीं किया। हम पठानों में यह बात बुरी समझी जाती है कि झगड़ा हो लेकिन अगर झगड़ा हो जाय और 10—20 आदमी न मरे, सौ दो सौ जख्मी न हों तो, यह ज्यादा बुरा समझा जाता है।

जनता सरकार की 8–10 महीनों की कारगुजारी को अगर देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस दौरान में जनता सरकार ने जनता की भलाई के लिये बहुत काम किये हैं। कीमतों में एक एतदाल आया है, लगान में छूट मिली हुई हैं, गरीब को फायदा हुआ है, देहातों में कुछ काम बढ़ा है। लेकिन यह सब काम अधूरा रह जाता है अगर मुल्क में, सूबे में ला–कानूनियत हो और किसी की जान माल और इज्जत-आबरू महफूज न हो। ला ऐन्ड आर्डर की हालत अच्छी नहीं है। मेरे जिले बहराइच में एक थाना है सोनवा। वहां के गांव मोहरानिया में तीन डकैतियां पड़ीं, तीन कत्ल हुए लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी को, वजीरे आला को मैंने उसके खिलाफ दरखवास्त दी कि उसकी इनक्वायरी हो लेकिन बीच में वह मामला रुक गया। लोगों का कहना यह है कि डी0 आई0 जी0साहब किसी औरत को पहले रखा करते थे। अब उन्होंने शादी कर ली और उस औरत को थाना इंचार्ज के हवाले कर दिया गया और उसकी बीबी अपने घर पर रहती है और वह औरत थाने में रहतीहै (शेम, शैम)। शहर बहराइच में रोजाना 10–12 साइकिल की चोरियां होती हैं, जुएं के अड्डे आम हैं और डकैतियां हो रही हैं और हमारे जिले के एस0 पी0 का कहना यह है कि मैं चूंकि डाइरेक्ट आया हूं, पहले एस0 पी0 जो थे हर थाने से दो हजार, तीन हजार महीना लेते थे, मैं पांच हजार रुपये से कम नहीं लूंगा हर थाने से। पांच हजार रुपये महीना बंधा हुआ है। अगर यह इलजामात गलत हैं, यह बात गलत है तो सवाल यह है कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, जुए के अड्डे चल रहे हैं, लोगों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये सब जनता सरकार के लिये शर्म की बात है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में ला–कानूनियत पैदा कर के अवाम को यह तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है। कि इमरजेन्सी में जो कुछ किया था वह सही थी, उसमें हर आदमी महफूज था। एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना है। अगर ला–कानूनियत पर काबू न पाया गया अगर पुलिस काबू में न रखी गयी, उस पर कंट्रोल नहीं किया गया और विधायकों की पिटाई होती रही तो यह जनता सरकार अपनी ही आग में जल जायगी और इसको कोई नहीं बचा सकेगा।

हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है। हम मुल्क में जनता सरकार को जिस राह पर ले जाना चाहते हैं हमारा मकसद यह नहीं है कि गिरोहों को लड़ाया जाय, हिन्दू-मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा किया जाय, ठाकुर को ब्राह्मण से और ब्राह्मण को हरिजनों से और हरिजनों को बैकवर्ड से लड़ाने का काम पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार करती रही। आज जो सूरतेहाल पैदा हो गयी है उसमें उसूली तौर पर यह बात कही जा सकती है कि सारा रिजर्वेशन यकीनन आमदनी की बुनियाद पर होना चाहिये। फर्ज कीजिए, एक ब्राह्मण जो सब्जी मंडी में, डोल में पानी लेकर टुनटुन करके पानी पिलाता फिरता है

और सड़ी तरकारियां व आम वसूल करता है लेकिन चूंकि वह ब्राह्मण घर में पैदा हो गया इसलिये उसका बेटा वजीफा नहीं पा सकेगा। दूसरी ओर एक एस0 पी0 अथवा मिनिस्टर या एम0एल0ए0 इत्तफाक से हरिजन है तो उसके बेटे को वजीफा मिलेगा, यह बात इंसाफ की रूह से सही नहीं कही जा सकती। पिछले दिनों मेरे एक साथी ने कहा था ऊंची जाति के लोग नौकरियां नहीं करते, मजदूरी नहीं करते। उनकी जानकारी कम है। वह देहातों में जायं और देखें कि ऊंची जाति के लोग भी मजदूरी करते हैं, उनके यहां भी परेशानियां हैं। लिहाजा यह सारा मसला हमको आमदनी की बुनियाद पर हल करना होगा। 500 रुपसे से कम जिनकी तनख्वाह हो उसके लड़के को वजीफा मिलना चाहिये, उसके लिये तालीम का इंतजाम होना चाहिये। देहात में तीन एकड़ से कम जिसके पास जमीन हो उसके लिये रिजर्वेशन होना चाहिये, उसे गरीब वर्ग में रखना चाहिये। अगर इस तरह का इंतजाम हमने नहीं किया तो यकीनन हम नाइंसाफी करेंगे। जिस समाज को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं बना पायेंगे।

एक और अहम मसला उत्तर प्रदेश का है और वह यह कि एक बार फिर फसादात ने राह पकड़ ली है और इन फसादात के संबंध में कोई यह सोचता है कि वह मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है तो वह गलत ढंग से सोच रहा है। इसलिये कि फसादात में जो कारखाने बरबाद होते हैं, जो दौलत बरबाद होती हैं वह चाहे हिन्दू की दौलत हो या मुसलमान की दौलत हो, चाहे हिन्दू की जान गयी हो या मुसलमान की जान गयी हो उससे हिन्दुस्तान का ही नुकसान होता है, वह पाकिस्तान, मिश्र अथवा सऊदी अरब का नहीं होता है। हमारे माल अथवा खून की कीमत है। हमने दुनिया की बिरादरी में इस देश को इंसानों का मुल्क बना कर पेश किया है, कांग्रेस ने दुनिया के सामने भेड़ियों का मुल्क बना कर पेश किया था। इसलिये हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी है वह यह देखे कि कौन से अनासिर हैं जो ला–कानूनियत को पैदा करना चाहते हैं, जो फसादात को हवा देना चाहते हैं, जो अमन व कानून को बरबाद करना चाहते हैं। अगर उन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी सारी तरक्कीयाफ्ता स्कीमें धरी की धरी रह जायेंगी और हम एक बार फिर बरबादी तथा तबाही के रास्ते पर चले जायेंगे और फिर हमेशा के लिये इस मुल्क में जम्हूरियत का सूरज डूब जायगा और उसके लिये कोई रास्ता तलाश नहीं कर पायेंगे। शुक्रिया।

श्री अधिष्ठाता—

पूर्व वक्ता माननीय सदस्य मंजूर अहमद साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उनकी तकरीर में कुछ शब्द ऐसे आ गये थे जिनके लिये मैंने कहा था कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि कमीशन सिंह या हिटलर। यह संसदीय परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत है। (व्यवधान) नहीं, यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है कि ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जाय। मंजूर अहमद साहब ने जो "कमीशन सिंह" या "हिटलर" शब्दों का इस्तेमाल किया है वे कार्यवाही के भाग नहीं होंगे।

(श्री विश्वनाथ पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता—

कहने दीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने एक आदेश दिया, वह ठीक है । इससे पहले माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने अपने भाषण में दो शब्द इस्तेमाल किये "पागलपन मत करिये" और "बकवास न करिये" । तो इस बारे में भी आप तय कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्रा जी ने जो आपत्ति उठाई है उसके बारे में मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जब माननीय सदस्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि यह ठीक नहीं है और यह संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं ह । इसका ध्यान रखा जाय . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं . . . (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय विश्वनाथ पांडेय को बुला लिया है । आप बैठें । मेरा आपसे अनुरोध है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

सदन की मर्यादा कायम रखें । . . . (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये । मैं आपसे कह रहा हूं ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के पुनः खड़े होने पर)

माननीय शतरुद्ध प्रकाश एक विद्वान सदस्य हैं और उनसे दूसरे लोग सबक सीख सकते हैं । लेकिन इस तरह से प्रश्न उठाना ठीक नहीं है । अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे क्षमा करेंगे, मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के पुनः खड़े रहने पर) (व्यवधान)

यह सदन का अपमान है, आप बैठिये । शतरुद्ध प्रकाश जी आप बैठिये ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न रखा था ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नहीं सुनता । मैं आपको नामांकित करता हूं । मार्शल, मार्शल . . . आप सदन छोड़ दीजिये । मेरा पुनः आपसे अनुरोध है, आप कृपा कर बैठिये ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश बैठ गये)

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करन का अवसर दिया । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से प्रान्त के विकास का आधार सिद्ध होगा । बजट का जहां तक मैंने अध्ययन किया है . . .

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । (व्यवधान) क्या कहना है आपको ?

श्री मोती राम—

मेरा विनम्र निवेदन है मान्यवर, आप गुस्से में सेशन चला रहे हैं । मेरा निवेदन है कि गुस्से में सेशन न चलायें ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई गुस्से का प्रश्न नहीं है । मैं आश्वासन देता हूं । मैं तो आपसे सहयोग और सहायता चाहता हूं । इतनी उम्र होते हुए भी मैं अपने छोटे भाइयों से सबक ग्रहण करना चाहूंगा और यह उचित बात होगी ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, निश्चित रूप से प्रस्तावित बजट प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा । इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सभी प्रकार की व्यवस्थायें की गई हैं चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो सभी बातों का ख्याल रखा गया है । सब दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रान्त भविष्य में इस बजट द्वारा ऊंचा किया जायेगा । मान्यवर, इस बजट के द्वारा मैंने जो अनुभव किया है कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । इस नाते से मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे इस बजट से प्रदेश के विकास में सहायता होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं ।

मान्यवर, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है उस जिले के उत्तर में नैपाल की सरहद मिली हुई है । मेरा क्षेत्र अनेकों पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ है । उस इलाके में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की भरमार हो जाती है । जिसको रोकने के लिये इस बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है । मुझे इस बात का दुख है । मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान उस क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । के जहां बिना वर्षा केपानी भर जाता है। बिना जल वृष्टि के पहाड़ों, वर्षा की बाढ़ से पूरा इलाका पानी में डूब जाता है । जहां बाढ़ का इतना भयंकर प्रकोप है वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं । वर्षा के बाद उस इलाके में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं होता है । इस नाते मैं मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान उस क्षेत्र के सिंचाई साधनों की खराबी की ओर ले जाना चाहता हूं । उस क्षेत्र में जो ट्यूववेल है वह बिजली की कमी और नालियों की कमी के कारण कामयाब नहीं है। इस पहलू पर मेरा सुझाव है कि हमारे इलाके में अनेक नाले हैं। एक परासी नाला है जहां पर वर्षा में काफी पानी आता है लेकिन वह बिना उपयोग के चला जाता है। मैंने बार-बार इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान दिलाया है कि उस नाले में कोई बांध बना दिया जाय जिसमें वह पानी इकट्ठा हो और वह सिंचाई के काम आये । उस इलाके के भूतपूर्व राजा बोसी और जमींदारों ने मिल कर ऐसी व्यवस्था की थी कि वर्षा का पानी रोक लिया जाता था और बाद में उस पूरे इलाके में

उससे सिंचाई होती थी । लेकिन पिछले 30 वर्षों में अनेकों स्कीमें प्रदेश में बनी लेकिन उस इलाके की इतनी महत्वपूर्ण स्कीम के लिये सरकार ने ध्यान नहीं दिया । मैं पुनः इस योजना की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि परासी नाले के स्कीम में परासी नाले में बांध बना कर उससे सिंचाई की व्यवस्था की जाय । बांध पहले पखा नामक स्थान पर बना था ।

जहां तक वहां मार्गों का सवाल है वह क्षेत्र इस मामले में बहुत पिछड़ा है । मान्यवर, उस इलाके में ऐसी सड़कें हैं जो शेरशाह के जमाने से बनी हुई हैं उस पर के पुल साबुत हैं वही चली आ रही हैं उनकी तरफ सरकार की निगाह आज तक नहीं गई...

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

हर साल विदेशी लोग गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थान लुम्बिनी और श्रावस्ती को देखने के लिये उस रास्ते से आते हैं, लेकिन वह जो इटवा–बासी मार्ग है, जिसकी दुर्व्यवस्था को देखते हुए लोग नीचे से चलना स्वीकार करते हैं, किन्तु सड़क से नहीं चलते हैं, मेरे बार-बार कहने पर भी उस सड़क के सुधार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं अपने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस सड़क की अच्छाई और खराबी का असर विदेशियों पर भी पड़ेगा, उस सड़क का अवश्य सुधार कराने की कृपा करें ।

स्वास्थ्य के मामले में 500 गांवों के क्षेत्र में वहां कोई भी महिला अस्पताल नहीं है और जो अस्पताल है उनकी बड़ी दुर्दशा है । सन् 1940 में अंग्रेजी सरकार के समय कठेला नामक स्थान पर एक राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई थी, लेकिन उसके बाद के 30 वर्ष के शासन काल में उस अस्पताल के लिये भवन की कोई व्यवस्था नहीं की गई । उस समय के भूतपूर्व जमींदार ने उसको दान के रूप में दिया था, लेकिन सन् 1940 से अब तक उस भवन के मरम्मत तक का कोई ख्याल नहीं किया गया । मान्यवर, आप सोचें कि सन् 1940 में जो भवन दिया गया, वह बिना मरम्मत के आज किस हालत में होगा ? अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बस्ती जिले के उत्तरी क्षेत्र में, जहां स्वास्थ्य की कोई योजना नहीं है, कठेला अस्पताल के निर्माण की व्यवस्था करें । इसके अलावा विस्कोहर नामक स्थान, जहां 15 हजार से ज्यादा आबादी है और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की कृपा से अभी टाउन एरिया बनी है, उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विस्कोहर नामक स्थान पर कोई अस्पताल हो या राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र अवश्य स्थापित कराने की कृपा करें । इसके साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये आपके माध्यम से सदन का ध्यान आरक्षण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, जहां तक आरक्षण का सवाल है, हमारे अनेक मित्रों ने उठाया है...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त करें, आरक्षण छोड़िए ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

इस बारे में मेरा केवल एक सुझाव है, कुछ समय पूर्व मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा सामाजिक और पिछड़े हुये लोगों का उत्थान आवश्यक है । मैं केवल इस पर इतना कहना चाहता हूं कि हर पहलू पर, हर समस्या के निदान के लिये शासन का दखल ही आवश्यक नही है। अंग्रजों के समय में एक कानून बना था कि 18 साल से कम आयु के बच्चों की शादी करना कानूनी दृष्टि से अपराध होगा । मैं पूंछता हूं कि इस सरकारी कानून का कितना पालन हुआ

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय]

है ? मैं सरकार से मांग करूंगा कि यदि सरकार वास्तव में समाज का सुधार चाहती है तो उस कानून का कड़ाई से पालन कराना चाहिये और 18 साल से कम आयु के चाहे जिस बिरादरी के बच्चे हों, उनकी शादी होती है तो उनके खिलाफ सख्त सजा की कार्यवाही की जाय । इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये, पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब वित्त मंत्री जी ।

श्री रियासत हुसैन—

यह चर्चा खत्म हो रही है और प्रायः सभी सदस्यों ने आरक्षण और बढ़ती हुई अराजकता पर चर्चा की ह, लेकिन गृह मंत्री जो मुख्य मत्री जी ही हैं, सारे दिन पूरे सदन में उपस्थित नहीं रहे हैं । आपने कहा था कि इस अहम मसल पर अपने विचार व्यक्त करूंगा । यों तो मैं जानता हूं कि ज्वाइन्ट रिस्पान्सबिलिटी है उसकी खानापरी कोई भी मंत्री कर सकता है । मसूद भाई मौजूद हैं । लेकिन खानापूरी की बात नहीं है । सारे प्रदेश की सारी समस्याओं पर गौर करने की बात है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ? ये सारी समस्यायें जो उठीं वे बिना जबाब दिये हुये ऐसे ही रह जायेंगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने वित्त मंत्री को बुला लिया तो बुलाने के बाद इनका भाषण क्यों हो रहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा कहना यह है कि यह मर्यादा और परम्परा की बात है । आज पांचवां और अन्तिम दिन है चर्चा का ऐसा नहीं है कि इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री को नहीं है । तमाम सदस्यों की और माननीय मुख्य मंत्री को सूचना है । आज अन्तिम दिन है । ऐसा कोई . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं बतलाऊं । आप लोग शान्त रहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह परम्परा चली आयी है । संसद में भी है । संसद् में प्रधान मंत्री जवाब देता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिये ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं वित्त मंत्री की हैसियत से नहीं बोलूंगा । संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आज ही इस बात की सूचना मिली कि माननीय मुख्य मंत्री को आकस्मिक अत्यन्त आवश्यक प्रशासकीय आवश्यकता की वजह से सम्भल जाना पड़ा । इस लिये ऐसा नहीं है कि वह यहां पर नहीं रहना चाहते थे । मजबूरी में वह आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं । यह ठीक है, परम्परा है कि बजट पर सामान्य चर्चा में माननीय मुख्य मंत्री को, सब को सुनने के बाद भाषण देना चाहिये उनकी अनुपस्थिति में माननीय वित्त मंत्री जी और यह संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, मैंने उनको बुलाया है ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, आपके आदेशों का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है । उसको मैं इन-कार नहीं करता । लेकिन जो माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी उस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना अपना फर्ज समझता हूं । मेरे सामने पुराना उदाहरण है । 1970 में माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा में भाग नहीं लिया । 1971 में भाग नहीं लिया । 1973 और 1974 में दूसरे दिन भाषण दिया आखिरी दिन भाषण नहीं दिया । 1976 में माननीय मुख्य मंत्री वित्त मंत्री भी थे । 1977 में माननीय मुख्य मंत्री ने भाषण दिया था, बजट भाषणों पर मेरा उत्तर आने के पहले । जैसा कि आपने सदन को सूचित किया विशिष्ट कारण से वह मुख्य मंत्री जी बाहर चले गये हैं । इस सूचना के साथ अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मान्यवर, सामान्य चर्चा के सम्बन्ध में सदन के सामने मैं अपने विचार रखूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने आज्ञा दी थी कि जब बजट पर सामान्य चर्चा हो तो गृह सचिव और मुख्य सचिव को भी लाबी में रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

वित्त सचिव मौजूद हैं । मैंने कहा था अगर वह नहीं आ सकें तो उनके प्रतिनिधि नोट करने के लिये रहें । यहां पर उनके प्रतिनिधि, गृह सचिव के और उनके मौजूद होंगे । वित्त कमिश्नर और सचिव मौजूद हैं ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका, इस माननीय सदन का और उन सब माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि बजट की सामान्य चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया, कुछ अपने सुझाव दिये, कुछ आलोचनायें भी कीं । लोकतंत्र में हमारा विश्वास है । जो सुझाव आये, उन, सुझावों को हमको ध्यान में रखना है और उनके अनुरूप जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं, उसको मैं ख्याल रखूंगा और जो भी संभव उपाय होंगे, किये जायेंगे । आलोचना हुई उसका भी मैं स्वागत करता हूं इसलिये कि प्रजातंत्र में जब तक आलोचक नहीं रहेंगे तो शासन सही रास्ते पर चलने के लिये प्रेरित नहीं होगा । इसलिये मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं । इसके पहले कि में अन्य लोगों की सभी बातों की समीक्षा करूं, मैं कुछ मुख्य मुद्दों पर जिन्हें उठाया गया है, एक–एक करके चर्चा करूंगा ।

सब से पहले सामान्य चर्चा का विवाद माननीय मिश्रा जी ने किया है, इसीलिये मैं उन्हीं से प्रारम्भ करना चाहता हूं । माननीय मिश्रा जी संसदीय परम्परा के ज्ञाता हैं । मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा लगभग समर्थन कर दिया मेरे बजट भाषण का । बुनियाद इसमें यह थी कि हमको और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कुछ संसाधनों को जुटाना पड़ेगा और हमको केन्द्रीय सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा । उन्होंने अपनी आलोचना में इस बात पर काफी जोर दिया और मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया और आज जब कराधान के प्रस्ताव उनके सामने आयेंगे तो काफी जोश के साथ, हिम्मत के साथ मेरे उन कराधानों का वे समर्थन करेंगे । उन्होंने एक बात कही है, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमको सहायता मिलती है केन्द्रीय सरकार से वह सहायता हमारा हक है । आयकर में, एक्साइज में, हमारा जो हक है वही नहीं मिल पाता है । हमारी शिकायत है कि हमारा हक अभी तक नहीं मिल पाया और अधिक से अधिक हमारा जो हिस्सा है वह हमको मिलना चाहिये, इस ओर हमारा प्रयत्न है और इस सम्बन्ध में अगर हमने उस प्रयत्न में सफलता प्राप्त की तो मिश्रा जी को हमारी तारीफ करनी चाहिये और हमारा समर्थन करना चाहिये लेकिन इसको आलोचना का विषय बनाने में उनका उद्देश्य क्या था यह मैं नहीं समझ पाया । माननीय मिश्रा जी हमारे साथी रहे हैं इमरजेन्सी में

[श्री मधुकर दिघे]

और कांग्रेस के आलोचक रहे हैं । उनको उसका जिक्र करना चाहिये, हो सकता है कि इशा के साथ चाहते हों कि कांग्रेस आई की बुराइयां सामने आ जायें । इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मान्यवर, दूसरी आलोचना की उन्होंने कि ठीक समय पर बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया । मैंने मान्यवर, पिछले वर्ष भी कम समय होते हुये बजट और लेखानुदान एक साथ प्रस्तुत किया है । अबकी बार भी दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया । माननीय मिश्रा जी इस सभा में नहीं रहे, कांग्रेसी राज्य में पिछले 10 सा0 में बजट और लेखानुदाना साथ-साथ प्रस्तुत करना तो दूर रहा, लेखानुदान लेकर आराम से बैठे रहे । मंजूर साहब हाथ उठाते रहे, लेकिन आलोचना करते रहे । हम कम से कम एक कदम आगे बढ़ें । लेखानुदान और बजट एक साथ लेकर इसका हमने पूरा मौका दिया कि एक-एक मामले में सम्पूर्ण चर्चा माननीय सदस्य कर सकें, अब की बार नहीं तो आने वाले दिनों में अब तक जो पुरानी प्रथा चल रही थी, कांग्रेस के 30 वर्षों में और विशेषतौर से श्रीमती इन्दिरा गांधी के 10 वर्षों में प्रजातंत्र के विपरीत और माननीय सदस्यों जिन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया था, उसको समाप्त किया जायेगा । मिश्रा जी यह भूल गये, पिछले अक्तूबर में बजट पास किया है । अक्तूबर में बजट पास करने के बाद क्या संभव था कि जो शेड्यूल है जिसकी चर्चा उन्होंने एक सभा में की थी और उस समय उन्होंने समर्थन भी किया था, और उस संबंध में जानकारी भी दी थी, उसको कायम रखा जा सकता था । मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं । अक्टूबर में बजट पास करके पुनः दूसरे बजट की तैयारी करनी थी, बहुत थोड़ा समय मिला था तो माननीय मिश्रा जी को आलोचना करते समय इसका तो ध्यान रखना भी चाहिए था । लेकिन चूंकि विरोध पक्ष में हैं, इसमें विरोध का पुट देना चाहते हैं, मैं इस संबंध में उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं ।

नये वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेश की जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान की नयी पद्धति बनायी है । पिछली पांच वर्ष की जो विकृत प्लान थी उसे 4 वर्षों के बाद समाप्त करना पड़ा और रोलिंग प्लान के हिसाब से प्लान को जारी करना था । इसलिये वहां से मंजूरी कराने में और इस सदन के सामने उपस्थित होने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थीं । इसलिये हमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन गत 10 वर्षों में जो गलत काम किये गये हैं उनसे हटकर माननीय सदस्यों की जो इच्छा है और जो अधिकार हैं उनको पुनःस्थापित करने का काम जितनी जल्दी मैं कर सकता हूं, उसका प्रयत्न कर रहा हूं । इसलिये मैं चाहता था कि माननीय मिश्रा जी विरोध में रहने के कारण आलोचना तो कर दी लेकिन थोड़ी सी तारीफ भी करते ? एक बात उन्होंने यह उठायी और कहा कि क्या पिछले 30 वर्षों से . . . .

श्री अध्यक्ष--

कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको डिफैक्ट कराकर अपनी तरफ ले रहे हों ?

श्री श्याम धर मिश्र--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष जी की एक ही राय मालूम पड़ती है ।

श्री मधुकर दिघे--

उनका कहना था कि क्या पिछले 30 वर्षों में, 10 वर्षों में या 15 वर्षों में कोई तरक्की नहीं हुयी ? मैं कहना चाहता हूं पिछला शासन प्रदेश को जर्जर अवस्था में छोड़ कर गया था। उनका कहना है कि क्या गेहूं कि मात्रा काफी नहीं थी, क्या वे काफी सोना छोड़ नहीं गये थे, क्या यह अच्छे काम नहीं है । सोने की चर्चा और गेहूं की चर्चा वे इसलिये कर गये, चूंकि संसद का असर जो उन

पर है, वह अभी हटा नहीं है। जर्जर अवस्था के बारे में जो मैंने जिक्र किया, उसको बजट भाषण में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। लगातार तरक्की के लिये, प्लान के लिये जो प्राविधान होना चाहिये थी, जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, जिस प्रकार से तरक्की रेट को बढ़ाने का काम होनी चाहिये था, हमारे उत्पादन को बढ़ाने का काम होना चाहिये था, पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये था वह नहीं हुआ था मैंने सिद्ध करके बताया है। मैं उसे दोहरा कर माननीय सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने बजट भाषण में आंकड़े देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि गत 10 या 15 वर्षों में कांग्रेस के शासन काल में इस प्रदेश का सब तरीकों से नुकसान हुआ ह। अगर मैं केवल एक आंकड़ा बता दूं तो अनुचित न होगा। इस समय हमारे प्रदेश के लिये 1500 करोड़ रुपये का बैंक लोन है और अगर केन्द्रीय सरकार एक वर्ष में हमें 1500 करोड़ रुपया दे दे, तब हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में अपनी स्थिति को ला सकते हैं। इस प्रकार की बातें हमने फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन के समक्ष अपनी स्थिति को देखते हुए रखी थीं। मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं उनको इशारतन बता देना चाहता हूं कि आप सही माने में जो स्थिति ह, उसको नजरंदाज करना चाहते हैं।

कितनी भयानक स्थिति है इस प्रदेश के सामने, बेरोजगारी बढ़ती चली जाय, पर कैपिटा इन्कम घटती चली जाय, पर एकड़ उत्पादन घटता चला जाय? यह कहा जाता है कि आप उत्पादन का एक लक्ष्य रखें कि इतना उत्पादन हो, लेकिन हर बजट में एक धोखे की टट्टी खड़ी करके सदन को गुमराह करने का काम होता रहे, क्या इसको आप पसंद करते हैं? जनता के सामने हम स्थिति स्पष्ट कर दें। हमारे पास क्या है? हमारी क्या कमी है? हम जनता से छिपाना नहीं चाहते। जनता पार्टी की यह सरकार है। जो स्थिति है उसको जनता के सामने बता देना है। माननीय सदस्य के सामने स्पष्ट रूप से रख देना है। अब ऐसी स्थति से निकलने के लिये बहुत ही हिम्मत और ताकत के साथ कदम उठाना है। क्या कदम उठाये जा रहे हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। माननीय रियासत जी और दूसरे साथी चूंकि हमार साथी रह चुक हैं, इस बजट में उन्होंने देख लिया कि कुछ गरीबों का ख्याल किया गया है, तो उन्होंन इसको आलोचना का रूप नहीं बनाया। उन्होंने केवल यह कहा कि प्रशासन गड़बड़ है, कुछ और गड़बड़ी ह, कुछ छोट/मोट मसले उठा दिये, जब अलग-अलग ग्रान्ट पर बातचीत होगी, तब विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन माननीय तिवारी जी की चर्चा मैं जरूर करना चाहता हूं। एक तो वह एक सबसे बड़े दल के नेता थे, मैं उम्मीद करता था कि पहले दिन वह भाषण दगे, दूसरे दिन भाषण देंगे, मैं दोनों दिन उपस्थित रहा, अब मैं नहीं जानता कि क्या वह मरी अनुपस्थिति में बोलना चाहते थे, हो सकता है कि इसमें कुछ मुहब्बत का अंश रहा होगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, इनका एग्रीमेंट है कि ये बोलें, तो वह न रहें और वह बोलें तो ये न रहें।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, हमारे तिवारी जी मेरे साथी रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी के। तिवारी जी कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वह सुनना भी नहीं चाहते हैं कि कहीं मेरे और उनके बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न पैदा हो। मान्यवर, मैं उसे छोड़े देता हूं। लेकिन कुछ प्रश्न उन्होंने उठाये।

मान्यवर, नारायण दत्त तिवारी केवल विरोधी दल के नेता नहीं हैं, माननीय नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश के अर्थ मंत्री लगातार रहे हैं। एक विद्वान हैं।

[श्री मधुकर दिघे]—
मैं उनसे उम्मीद करता था कि जब वह मेरे बजट की आलोचना करेंगे, तो जरूर कुछ खामियां निकालेंगे। मान्यवर, 100 प्रतिशत पका हुआ फल सड़ जाता है। मैं सड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचा हूं, मैं कुछ खट्टा-मिट्ठा हूं। मैं उम्मीद करता था कि वह कुछ अच्छी बात निकालेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ सुझाव देंगे, जो इस प्रदेश की दस करोड़ जनता के हित में होंगे। मेरे जैसा आदमी जिसने अपने जीवन का अधिक समय गरीबी में बिताया हो, मुझे आश्चर्य है और मुझे अचम्भा भी है, पता नहीं क्या कारण है कि नारायणदत्त तिवारी जी जब आंकड़े देते हैं, तो अपने ही आंकड़ों में गलती करने लगते हैं। सवाल यह है मान्यवर, कि तिवारी जी स्वयं तो कुछ कहना नहीं चाहते, वह सब कहीं से कहा जाता है उसे बोलते हैं। अब मंजूर अहमद साहब बोल रहे थे, तो हमारे इधर के जो सदस्य थे उठ कर बोलने लगे कि आप क्या बोल रहे हैं। अब माननीय मंजूर अहमद साहब बोलेंगे क्या ? बेचारे, अब वहां से जो लिखकर आया था कि बोल दिया जाय, वही बोल रहे थे।

मंजूर अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। मान्यवर मुझे याद आ गयी एक बात मैं जब नाइंन्थ क्लास में पढ़ता था तो मुझे ऐसे लिखने में ऐसा लगता था कि बहुत रद्दी काम है। तो मैं ऐसे लिखने के लिये पूंछता था कि कैसे लिखूं, मुझे तो नहीं आता है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अबकी दफा इम्तहान में ऐसे आने वाला है "डिसिप्लिन" पर तुम याद कर लो। मान्यवर, मैंने याद कर लिया पूरा।

श्री श्यामधर मिश्र—

नकल करके पास कर गये आप।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने याद कर लिया। जब मैं इम्तहान में गया तो डिसिप्लिन पर ऐसे नहीं आया, सिनेमा पर आ गया। मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया कि सिनेमा पर कैसे लिखूं। तो मान्यवर, मैंने शुरूआत की कि "सिनेमा जो है उसमें बहुत से लोग"। ऐसा था कि उस जमाने में आगे बैठने वाले लोग बड़ा हल्ला करते थे। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, अगली सीट पर बैठता था। तो शुरू तो यहां से किया कि "सिनेमा में जबतक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक सिनेमा बेकार है" और डिसिप्लिन का पूरा ऐसे लिख दिया। मान्यवर, मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे शून्य बटा-पच्चीस मार्क दे दिये। तो मान्यवर, मैं मंजूर अहमद साहब की तारीफ क्या करूं ? अगर उनको जीरो बेटा ·····मार्क आप दे दें तो उस पर एतराज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी उनकी स्थिति एक जैसी है। (हंसी)

मान्यवर, मैं एक बात भूल गया था मिश्रा जी को कहने को, कि क्या मिश्रा जी स्कूल की बिल्डिंग न हो, ऊपर से चांद सितारे नजर आयें, पानी बरसता रहे, टाट-पट्टी न रहे, इसको गर्व का विषय मानते हैं या इसको कि चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये भी कुछ प्राविधान कर दिया जाय और टाट-पट्टी बिछाने का प्रबन्ध कर दिया जाय, इसको अच्छा मानते हैं। इस पर वह जरा विचार करें।

तिवारी जी ने कहा कि इस बजट में पिछली सरकारों के बरसों से निर्धारित हुए वांछित सूत्र नहीं लाए गये और उनको बड़ी निराशा हो गई और उन्होंने कहा कि 1977–78 के मूल बजट अनुमान एवं पुनर्वीक्षित अनुमान जो दिए गए हैं उनमें गलती हो गई है। उन्होंने कहा है कि 675 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना पुनर्वीक्षित अनुमान से वे सिद्ध कर रहे हैं कि 8.72 करोड़ रुपया कम खर्च होने वाला है। अब यहां वह भूल कर गए।

यह 8.72 करोड़ के बारे में भी पता लगाने लगा कि यह आंकड़ा वह कहां से लाए। तो पता लगा मझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बजट साहित्य के खण्ड 2 के पृष्ठ 48–49 से यह मामला लिया। इसमें मान्यवर, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 3.58 तथा 5.14 करोड़ रुपए की कमी झलकती है। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान खण्ड 2 के स्मृतिपत्र में उल्लिखित तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा, यह बड़ी गलती कर दी, वह उन्होंने बिना जाने हुए उन्होंने ऐसा किया। अभी तो यह अनुमान होगा, यह तो ए0 जी0 के यहां से आंकड़ों से पता लगेगा, लेकिन 8.72 करोड़ रुपया जो उन्होंने बताया इसमें गलती कर दी कि यह जो योजनायें पुरोनिधानित और केन्द्रीय योजनागत रही हैं उनके सिलसिले में कमी का जिक्र किया गया है उसको उन्होंने लाकर के डाल दिया। और समझने में गलती कर दी। हम अपने बजट प्राविधान में पुरोनिधानित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं पर प्राप्त होने वाली सम्भावित सहायता के आंकड़े दे देते हैं। यह सम्भावनाओं पर आधारित रहता है। तिवारी जी भी यही करते थे। केन्द्र से आगे हमको क्या मिलेगा इसके अनुमान पर जब बजट हम बनाते हैं गत तो सम्भावित सहायता अनुमानित कर दिया जाता है। और उसकी बुनियाद पर बाद में कमी भी हो जाती है बेशी भी हो जाती है। इसलिए माननीय तिवारी जी ने जो गलती की वह यह की कि उन्होंने गलत पृष्ठ को देख लिया।

दूसरी आलोचना उनकी थी कि 675 करोड़ रुपया खर्च नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं साफ बताना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई कमी बेशी होगी तो हम छिपायेंगे नहीं, उसे सदन के सामने अवश्य लायेंगे। माननीय तिवारी जी क्या करते थे? जब पैसा बच जाता था तो संजय गांधी के हुक्म पर किसी निगम को बांट देते थे। उसके बाद बता देते थे कि हमने खर्चा कर दिया। मेरे पास आंकड़े हैं इसके कि 3.28 करोड़ रुपया राज्य वस्त्र निगम को तथा 3.50 करोड़ रुपया एक राज्य औद्योगिक विकास निगम को बांट दिया। वह आज तक फंसा पड़ा है। अगर तिकड़म करके, माननीय सदस्यों को और सदन को धोखा देकर रुपए को डाइवर्ट करना है तो वह कोई भी वित्त मन्त्री कर सकता है, मगर मैं नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय तिवारी जी ने बजट का कितना रुपया संजय गांधी को दे दिया या उनके कहने से दिया।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय मिश्रा जी की यह इच्छा है कि मैं पूरे ही आंकड़े व पूरा आवरण खोल क रख दूं। अपने मित्र के साथ थोड़ी सी तो दया कीजिए। मैंने तो केवल दो ही आइटमर के बारे में बताया है। 3.28 करोड़ तथा 3.50 करोड़ रुपया ऐसा है। हम तो जो भी खर्चा करना चाहते हैं वह सही तरह से और सदन की स्वीकृति से करना चाहते हैं।

कांग्रेस पार्टी वाले जब भी बोलेंगे तो हरिजनों के पक्ष में बोलेंगे, मगर मेरा यह दावा है कि हरिजनों का उत्पीड़न अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह कांग्रेस वालों ने किया है.....

(व्यवधान)

इसमें सुधार कर लें, मान्यवर, कांग्रेस से मतलब इमर्जेन्सी कांग्रेस उर्फ इन्द्रा कांग्रेस से है। उन्हीं के बारे में मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं का शासन रहा है। अगर उनके हृदयों में हरिजनों

[श्री मधुकर दिघे]—

के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होता तो हरिजनों की आज ऐसी स्थिति न होती। इनकी समस्या क्या है ? क्या उनकी समस्या आर्थिक ही है ? आर्थिक के साथ-साथ उनकी समस्या सामाजिक भी है। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा उनका सुधार नहीं होगा। मैं भी उसी जाति से आता हूं बड़ी जाति से। 3 हजार वर्षों से क्या और जाति वालों ने आरक्षण नहीं किया ? ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा, क्षत्रिय ही तलवार चलाएगा, बनिया ही व्यापार करेगा, क्या यह सब आरक्षण नहीं था ? मैं डाक्टर लोहिया का शिष्य हूं और इस सिद्धान्त पर केवल 1 घंटा बोल सकता हूं। मगर मैं इतना का अधिक समय नहीं लूंगा। बोलते हैं हरिजनों के पक्ष में और कुकर्म करते हैं काम करते हैं दकियानूसी.....

(व्यवधान)

थोड़ा सा अपने गिरहबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि हमारे दिलों में क्या है। हम सभी का सहयोग होगा तो इस समस्या का हल निकल सकता है। आपके नेता जी की बात कहना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कहना चाहता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, थोड़ा सा वित्त मन्त्री को नियन्त्रित करने का प्रयास करें।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कह दें कि पिछड़ी जाति वालों के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह गलत है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि यह प्रश्न सामाजिक और आर्थिक है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूं कि दुनिया में वर्ग युद्ध, क्लास स्ट्रगल की आप बात करते हो। हिन्दुस्तान में क्लास स्टेटिफाइड हो गए हैं। वर्ग जो हैं वह वर्णों में निहित हो गए हैं। इसलिए केवल इस बात को कहकर कि साधारण तरीके से समस्या का हल किया जाय यह नहीं किया जा सकता है। इसमें माननीय कौशिक जी का सहयोग लिया जायगा और माननीय बाबू बदरे जी के सहयोग की आवश्यकता होगी। सभी पक्षों के लोगों की आवश्यकता होगी क्योंकि यह प्रश्न सामाजिक और आर्थिक है। हमको इस तरह से काम करना होगा जिससे हिन्दुस्तान की 60 करोड़ जनता बड़ी से बड़ी शक्ति के खिलाफ खड़ी हो सके। इस बुनियादी नीति के अनुसार चलना होगा, किसी जाति विशेष को प्रश्रय देने का यह मामला नहीं है, यह जाति पक्ष को तोड़कर के एक नया समाज बनाने का रास्ता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि आप तो वहां से बहुत कम धन लाए हैं। मान्यवर, जाते वक्त तो लुटाते चले गए। यह भी माफ कर दिया वह भी माफ कर दिया और हमसे कहा गया कि आप करिए। देश के हित का थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं रखा। तो जो काम किया है उसके लिए या तो समाज के सामने जाकर स्वीकार करो, कान पकड़ कर उठो, बैठो और कहो कि सन् 76 के आखिरी दिनों में जब सत्ता हाथ में थी तब हमने जो कराधान के प्रस्ताव रखे थे वे गलत थे या मार्च के महीने में जो हमने किया वह गलत था। लेकिन नहीं, एक तरफ बोलते हो गरीब की ओर काम करते हो पूंजीपतियों की। माननीय मंजूर साहब से कहता हूं, वह कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के साथ हैं। बिड़ला साहब की आमदनी बढ़ी आपके राज्य में और हमको कहते हो कि हम पूंजीपतियों के साथ हैं। तो आपके मुंह में तो बैठ नहीं सकता। अगर थोड़े दिन मेरे साथ रहोगे तो मैं बहुत से आंकड़े बता दूंगा। हमारे जो संसाधनों की स्थिति है, प्रदेश की जनता से जो हमारे वायदे हैं हम प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए संसाधनों के जुटाने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों की सहायता, विरोधी पक्ष के सदस्यों की सहायता से अपने प्रदेश को विकास

के मार्ग पर अग्रसर करने की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको थोड़े कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कष्टों का भार जो इसके लिए सक्षम हैं उन्हीं को उठाना पड़ेगा। कष्ट तो होगा ही।

मैं जब कहता हूं कि कर लगेंगे या हमने जो लगाए हैं तो कष्ट तो होगा ही लेकिन कष्ट उनको उठाना है जो थोड़ा बहुत कष्ट उठाने के लायक हैं। इसी लिए तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान में सबसे अधिक प्लान 786 करोड़ रुपए का लेकर आए हैं। मुख्य मन्त्री जी और अन्य सहयोगियों की मदद से हम 786 करोड़ रुपए का प्लान लाए हैं। हम प्रयत्नशील हैं कि 800 करोड़ रुपए तक इसको ले जायं। हमें यकीन है, केन्द्र सरकार और प्लानिंग कमीशन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में वह हमारी मदद करेंगे।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, जो विषय दिघे जी कह रहे हैं उसमें तिवारी जी ने कहा था कि 786 करोड़ रुपया जो केन्द्रीय सहायता है वह पिछले साल से अधिक 16 फीसदी है, बजट में लिखा है। लेकिन उनका कहना है कि पिछले वर्ष में जब मुख्य मंत्री था तो उससे पिछले वर्ष से 25 फीसदी अधिक लाया था। तो यह बता दें कि उनकी बात कहां तक सही थी जब वह मुख्य मंत्री थे और आप 16 फीसदी अधिक ले आये इसमें थे?

श्री मधुकर दिघे—

जब मैं उत्तर दे रहा था तो मिश्र जी चाहते हैं कि उनकी तिवारी जी की गल्तियों को बार–बार दोहरायें। तिवारी जी जब प्लान लाये तो गोरखपुर और देवरिया में उन्होंने भाषण दिया कि माननीय संजय गांधी की कृपा से उत्तर प्रदेश को हम काफी पैसा ले आयेंगे। लेकिन दिघे जी किसी भी प्रधान मंत्री के पुत्र की मेहराबानी पर नहीं हैं। मैं यह काम नहीं करूंगा। संसाधन जुटाने की ताकत जब तक नहीं होगी तब तक प्लान नहीं बढ़ेगा। तिवारी जी प्लान बढ़ाकर 25 प्रतिशत अधिक ले आए और हमारे लिए कहा गया कि 1976 की बुनियाद पर प्लान ले आए। लेकिन यह नहीं कहा कि 62 करोड़ लगान बढ़ा दिया और जब गए तो टैक्स माफी करके गए। यदि प्लान बढ़ा लेना है तो हमको संसाधन जुटाना पढ़ेगा यदि संसाधन जुटाना है तो टैक्स लगाना पड़ेगा और टैक्स लगाना है तो जनता की शक्ति को देखना पड़ेगा। हम केवल ढपोरशंख की बात नहीं करना चाहते हैं। हमें ताकत के अनुरूप बढ़ाना है।

मान्यवर, उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि कितना ऋण लाए। तो वह तो 1976–77 में 40.78 करोड़ और 1977–78 में 40.15 करोड़ रुपए ऋण ले आए थे। भाषण दिया तो विधान सभा में उस समय मिश्र जी नहीं थे और तिवारी जी ने समझा कि लोग समझ नहीं पायेंगे। तो मैं बता दूं कि योजना जब बनती है तो प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार मिलकर तय करती है कि प्लान कितना हो और ऋण कितना रेज कर सकते हैं। तो वह 40.15 करोड़ रुपए ऋण ले आए थे घटा कर 1977–78 में। लेकिन मैं बता दूं कि हम 47.31 करोड़ रुपए ऋण ले आ रहे हैं।

मान्यवर, तिवारी जी पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र से अब की बार उनका सफाया हो गया। पर्वतीय को खुश करना था उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या ले आए। 66 करोड़ की योजना आप लाए। आपने क्यों नहीं हिमांचल प्रदेश के बराबर योजना लाये। 3 वर्षों में हिमांचल प्रदेश की योजना 100 करोड़ के मुकाबिले में यह ले आए 80 करोड़ और मान्यवर, देखें हम ले आए 72 करोड के मुकाबले में

[श्री मधुकर दिघे]—

66 करोड़ । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा उत्तरोत्तर प्रयत्न होगा कि हिमांचल प्रदेश के लिए जितनी योजना हो उतना ही हमें मिलना चाहिए । लेकिन उनका यह दावा गलत है कि वह तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए बड़ी योजना ले आए और हम कम ला पाये । 66 करोड़ की योजना है। 31 करोड़ की सहायता और बाकी अपनी सीमा के अन्दर एक और नई बात हो गयी। कुछ हमारे माननीय सदस्य भी उसमें बहे जा रहे हैं। जब हिन्दुस्तान में बोनस का हक समाप्त कर दिया गया तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। मंजूर अहमद साहब मजदूरों के दोस्त बने रहे। कम्युनिस्टों को छोड़ें उनका उद्देश्य दूसरा है। इन्दिरा गांधी को गड्ढे में डालो। मैं कह रहा था कि बोनस का मामला जब बिल्कुल खतम हो गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब हमने 8.33 परसेन्ट कर दिया तो अब कहते हैं कि 20 परसेन्ट कर दीजिये। अगर नहीं करते तो हम पूंजीवादी। अब आप देखें कि यह जीरो पर पहुंच गये तो मजदूरों के हितैषी और हमने 8.33 कर दिया तो हम पूंजीवादी। यह बात कम्युनिस्ट भाइयों को समझाने की है। रियासत साहब तो होशियार आदमी हैं समझायेंगे ।

एक बात और कह कर माननीय तिवारी जी के बारे में चर्चा समाप्त करूंगा। रोजगार के लिए 4.5 लाख की व्यवस्था की गयी। यह तो वह है जो हम कर रहे हैं। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, निजी व्यवस्था के अन्तर्गत जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे उनका तो मैंने इसमें जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आपने जो प्लानिंग कमीशन को आंकड़ें दिये उसमें तो कहा 1.75 लाख लोगों की वृद्धि होगी। यह बात सही है। इस वर्ष 6 लाख आदमी बेरोजगार हो जायेंगे। एक माननीय सदस्य पालीवाल जी ने अच्छा प्रश्न उठाया। सैद्धांतिक बहस चलती है तो मेरा जैसा आदमी उसको पसन्द करता है। बेरोजगारी हटाने का काम करना है। जो शासन यह काम न कर सके उसे इस पक्ष में रहने का हक नहीं है। 26 लाख लोगों को पिछले दिनों में बेरोजगार करके घरों में बैठाल दिया। दिस इज एनअदर बैकलाग। मिश्र जी आप इस काम में हमारे साथ कुछ दिन रहे जरूर। लेकिन आज से दस पन्द्रह साल पहले हम इधर आकर बैठ गये होते तो यह बैकलाग न हुआ होता। कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ दिया होता तो बेरोजगारों की संख्या 26 लाख न हुई होती। 12 लाख व्यक्तियों ने इम्प्लायमेंट इक्सचेंज में, उनके आंकड़ों के अनुसार नाम न लिखाये होते। मान्यवर, मैंने पहले दफा इस बात का ध्यान रखा और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह पहला बजट है उत्तर प्रदेश में 30 सालों के अन्दर जिसमें कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये छोटे कदम उठाने का प्रयत्न किया गया है। 6 लाख आदमियों को एकदम से रोजगार नहीं दे सकते, यह सही है। लेकिन कम से कम वह बैकलाग की स्थिति जो दो/ढाई लाख होती है हर वर्ष उसको घटाने का काम किया है। मेरा दूसरा जो प्राविधान है, उसमें और भी स्थिति को सुधारने का काम कर सकेंगे ।

भूमि सेना की बात मेरे पुराने दोस्त, सहयोगी माननीय तिवारी जी नें नहीं की क्योंकि वह जानते हैं कि भूमि सेना की बात कहने से इन्दिरा गांधी का खत आ जायगा कि तुम तो डाक्टर लोहिया की बातें करते हो, तुमको पार्टी से निकाल दूंगी। मान्यवर, मैं माननीय सदन और प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि भूमि सेना का मामला हम लगातार उठाते रहे हैं विरोधी पक्ष में बैठकर उत्तर प्रदेश में 12 1/2 लाख हेक्टर ऊसर और बंजर पर्ती जमीन पड़ी है। रियासत साहब बोल चुके हैं और माननीय ऊदल जी भी बोल चकें हैं इस सदन में। इस 12 1/2 लाख हेक्टर जमीन की लागत में लाने का काम किया जा सकता है। मैंने मंजूर साहब की तकरीर को सुना। मुझे विश्वास है कि इस जमीन को लागत में लाने में वे हमारी मदद करेंगे वह लागत में कैसे आवे। क्या तरीका है। शासन की तरफ से प्रोजक्ट बनाकर इसमें काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सिलसिले में चर्चा करने का अधिकार उनको नहीं है ।

जिन्होंने पिछले वर्षों में कुछ नहीं किया मान्यवर, इस 12 1/2 लाख हेक्टर जमीन को काम में लाकर, लागत में लाकर क्या करना है इस योजना का जिक्र मैंने अपने बजट में किया है और इस सिलसिले में निगम की व्यवस्था कर दी गयी है। उसके द्वारा लोगों को नौकरी देकर उनसे जमीन पर काम कराकर और तीन साल चार साल के अन्दर उसको लागत में लाकर उस जमीन पर उन लोगों को बसा देंगे ।और मुझे उम्मीद है कि और एक्सपर्टस के अनुसार अगर स्कीम को ठीक तरह से लागू किया जाय और सक्सेसफुली इस पर काम किया जाय तो 4 लाख आदमियों को देहात के, इस पर बसाया जा सकता है, प्रदेश में और देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है व लोगों के पेट के लिये अनाज की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन, मान्यवर, एक ने भी विरोधी दल से, इसकी तारीफ नहीं की केवल उधर बैठकर लोकतंत्र को चलाने की बात करते हैं। कम से कम अच्छी चीज जो है, उसको तो कहते कि यह है जनता पार्टी जिसने प्रदेश के हित में जो पुरानी योजनायें थीं, उनको लागू करने का काम वैसे ही चालू रखा और जो खराब काम थे, उनको झाड़ से हटाने का काम किया और इसके लिए मुझे यकीन है कि जहां तक माननीय मिश्रा जी के दल का सवाल है, क्योंकि चह्वाण साहब ने अपने भाषण में संकेत कर दिया है कि जनता पार्टी के जो काम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये होंगे, हम विरोधी दल की हैसियत से उनका समर्थन करेंगे । मिश्रा जी हमारा समर्थन इस मामले में भी करेंगे। मिश्रा जी बीच-बीच में उठ जाते हैं, तो मुझे कहना है कि जहां तक मिश्रा जी की पार्टी का मामला है, वह कुछ ठीक है। लेकिन उधर का मामला ऐसा है कि उनको सत्ता का इतना मोह है, कुर्सी की इतनी लालच है और इतनी भूख बढ़ गयी है कि जब तक कुर्सी पर नहीं आयेंगे, तब तक मान ही नहीं सकते । तब तक उनके सामने न देश है और न यह माननीय सदन है।

अब, ला एण्ड आर्डर के बारे में कहा गया कि स्थिति बड़ी खराब है। गोलियां चल रही हैं। क्या कहते हैं आपके नेता जी कि सड़क पर निपट लेंगे और मैंने यह जवाब दिया था कि सड़क पर निपटना चाहते हों तो हम भी सड़क पर निपट लेंगे । लेकिन इस देश की करोड़ों जनता को ध्यान में रखे रहना कहीं यह मत करना कि अपने स्वार्थ के लिए गरीब जनता का खून सड़क पर बहाने का काम करें। डाक्टर लोहिया ने कहा था मानेंगे नहीं लेकिन कंकड़ भी नहीं चलायेंगे मंजूर साहब उसको भुल गये। अगर विरोध करना है तो अहिंसक ढंग से करिये यह नहीं कि जीप चढ़ा दीजिये सिपाही पर। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर मैं मंजूर साहब को और माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---

आपको इतनी मुहब्बत मंजूर साहब से क्यों है.....

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, यहां पर सदन का एक-एक गार्ड गवाह है कि जब कभी हमने विरोध किया तो कभी ऐसा हुआ कि उनको चोट लगी हो, पैर तो क्या अंगुली में भी चोट लगी हो, जैसे ही हम लोग बाहर निकल कर गये हैं हमने कैन्टीन में बैठ कर उन गार्डों के साथ चाय पी है। पूर्व इसी प्रकार की मुहब्बत हमारी उनकी चलती रही। मान्यवर, एक गरीब गार्ड को यहां पर पीट कर, उस के सीने पर चढ़कर उसका गला दबा कर और (शेम शेम) उसके प्राण पखेरू उड़ गये होते एक मां का लाल उठ गया होता दुनिया से--ओम प्रकाश सिंह नाम है उनका---किसी के मांग का सिन्दूर पुछ गया होता। माननीय बख्शी जी थोड़ा मोम दिल रखिये उन महिलाओं के लिए--एक महिला का सिन्दूर पुछ गया होता---अस्पताल में कराह रहा है आज भी और हमको शिक्षा देते हैं फायदे की, शिक्षा देते हैं तरक्की की, गरीबों की, मजदूरों की, अहिंसा की और न जाने क्या क्या। गांधी जी कहते थे शराब बंद करो, इंदिरा गांधी तो गांधी हैं और संजय गांधी कहते हैं कि शराब चलाओ।

[श्री मधकर दिवे]—

अब मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे मित्र रवीन्द्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं उनकी तारीफ करता हूं, नौजवान मित्र की। उन्होंने कहा कि आपने बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया। ठीक कहा उन्होंने। मैं इसके लिए कमेटी बनाऊंगा। बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी का भत्ता छोटे राज्य में संभव है। डाक्टर लोहिया ने कहा था कि बेरोजगारी का भत्ता देना है लेकिन बेरोजगारी के भत्ते को देने के पहले (शोर) जो लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं, ताकतवर हैं। मान्यवर, मैं माननीय रवीन्द्र सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के अन्दर उन लोगों का नाम नहीं लिखते जिनके पास जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, खेत नहीं है, कोई साधन नहीं है जीवन निर्वाह का। मैं माननीय तिवारी जी को, मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र को, जो यहां बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं कि वही लोग नाम लिखते हैं जिन के पास जमीन भी है, बाप आई० ए० एस० में नौकर है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस देश की गरीब जनता की इच्छा को ध्यान में रख कर, इस माननीय सदन के सदस्यों ने भी अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया है, उन की इच्छा को देखते हुए मैंने उस का प्राविधान नहीं किया है। और दूसरी तरफ रोजगार देने का काम कैसे अधिक से अधिक किया जा सकता है इसका प्रयत्न मैंने इस बजट में किया है। यह मैं माननीय तिवारी जी से कह देना चाहता हूं। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं 6 लाख 5 लाख को रोजगार देने का, मैं स्वीकार करता हूं कि जितना रोजगार होगा प्राविधान के अनुसार उन को नहीं मिलेगा लेकिन निजी क्षेत्र में, केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ रोजगार मिलेगा और मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक बात वह ध्यान में रखें कि जनता पार्टी को आने वाले दिनों में अपने सारे वायदे पूरा करने हैं। वे इमरजेंसी के चक्कर में न फंस जायें। मकान बन रहा है, नींव खुद रही है और तिवारी जी रंगीन चश्मा लगाये हुए हैं। उनको मकान बनते समय, नींव खुदते समय केवल धूल दिखाई दे रही है, आस-पास पड़े कंकड़ और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यह सही है कि नींव खुद रही है तो आस-पास की जगह में धूल होगी, कंकड़ पत्थर भी होंगे लेकिन जनता पार्टी के सदस्यों को याद रखना होगा कि वे कंकड़ पत्थर न देखें। जो नींव खुद रही है उसके आधार पर जनता पार्टी के लक्ष्यों के अनुरूप मकान अवश्य बनकर रहेगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

इसे तो पार्टी में कहिये, यहां कहने की क्या जरूरत है।

श्री मधुकर दिघे—

अच्छी बात है, माननीय तिवारी जी की अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मिश्रा जी हमारे नये विरोधी हैं, नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है और वह यह चाहते हैं कि कांग्रेस (आई) का मामला मैं ज्यादा साफ कर दूं वह खुद चुप रहना चाहते हैं, मुझसे ज्यादा खुलवाना चाहते हैं लेकिन मैं सब बातों का खयाल करके उसकी चर्चा खत्म करना चाहता हूं।

मेरे साथियों तथा मित्रों ने कुछ आलोचनाएं कीं और सुझाव भी दिये। उनके सिलसिले में कुछ जिक्र करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। माननीय सदस्यों ने प्रशासन तथा ला ऐंड आर्डर की आलोचना की। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ला ऐंड आर्डर में जितनी मजबूती के साथ सुधार होना चाहिये था उतना सुधार करने में हम अभी सफल नहीं हुए हैं, लेकिन यह गलत है कि जो पहले स्थिति रही उससे बिगड़ती है। पहले की स्थिति आज से अच्छी नहीं रही। उसको अच्छा करने में हमारे मंत्रि परिषद् के सहयोगी, गृह मंत्री और मुख्य मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह बात सही है कि जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने हमारी आलोचना

की है। आलोचना करनी भी चाहिये, यह बहुत अच्छी बात है। जो कांग्रेस पार्टी में हुआ वैसा हम नहीं करेंगे।

बनारस में एक जाति रहती है उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, वह तारीफ ही तारीफ करती है (व्यवधान) लखनऊ में तो होते ही हैं। ताली बजाते हैं लेकिन उनके अलावा एक जाति होती है भांड। जनता पार्टी सदन में कुरबानी करने वाली है। पिछले दो वर्षों में उसने कुरबानी करने का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है प्रदेश तथा देश की जनता के सामने उसकी आलोचना चाहे कितनी ही कटु हो लेकिन मैं जानता हूं कि वह जनता पार्टी को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिये हमारे कान ऐंठना चाहते हैं और मैं उसे आलोचना नहीं मानता। मैं अपने उन मित्रों की इस आलोचना को दोस्ती का हक अदा करने वाली बात को मान कर चलता हूं। इसलिये उनको आलोचना करने का हक है लेकिन वह हमको यह भी सुझाव दें कि हमको इन सब कमियों को किस तरह से ठीक करना है, प्रदेश के विकास स्तर को बढ़ाना है, गरीबी की रेखा के नीचे जो स्तर है उसे बढ़ाना है, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। रवीन्द्र सिंह जी से मुझे कहना है कि यह पहला बजट है जिसमें हमने स्कूलों के लिए टाट पट्टी का प्राविधान किया है। जिला परिषद् भले ही न दे, हम देंगे। जिन स्कूलों में छत नहीं होगी उनके लिये हमने पैसा दे दिया है। कांग्रेसी राज्य में यह कभी नहीं किया गया। इतनी तारीफ तो हमारी आप करें, अगर नहीं करेंगे तो हमारा दिल बैठ जायगा क्योंकि हम भी ह्यूमेन वीइंग हैं। इसलिये मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और विशेष तौर से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, क्योंकि उनके साथ मेरा आन्दोलनों में और संघर्षों में साथ रहा है, एक साथ जेलें काटी हैं, याद रखना और विश्वास करना कि जब तक मधुकर दिघे समाज में आस्था रखने वाला वित्त मंत्री इस प्रदेश में है, तब तक गरीबों का अहित करने वाला एक भी काम उसकी कलम से नहीं होगा।

मंत्रि–परिषद् का एक–एक सदस्य मुख्य मंत्री से लेकर दूसरे मंत्रियों तक ऐसा नहीं है जो जनता की पीड़न को न समझता हो, जनता की तकलीफों को दूर करने के लिये मजबूती के साथ कदम न उठाता हो। इसलिये मैं निवेदन करता चाहता हूं कि थोड़ा सा समाजवादी काम करने वालों की तारीफ करना तो सीख जाओ। माननीय सदस्यों के सुझावों और आलोचनाओं को मैंने नोट कर लिया है और हम देखेंगे कि उसमें क्या सुधार हो सकता है। सुझाव विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने दिये है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सुझाव उनके जनहित में आये हैं और जो हमारी ताकत के अनुरूप है, जिसके लिये हम सक्षम हैं, जो प्रदेश के हित में हैं, जनहित में हैं, उन्हें मैं मानता हूं, और उन्हें हम करेंगे। यह बात सही है कि उस तरफ बैठने वाले कांग्रेस (आई) के बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे कुछ सुझाव दिये हैं, बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं और एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले आदमी की हैसियत से मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें हम पूरा करेंगे।

अब मैं बजट भाषण में दी गई कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आलोचना करते वक्त कुछ लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो बहुत कम आप खर्च कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि 50 प्रतिशत आप गांवों की तरफ खर्च कर रहे हो। 41 प्रतिशत पहले था और हमने उसे 50 प्रतिशत पहुंचा दिया। सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली की व्यवस्था करने में, सड़कें बनाने में, लिंक रोड बनाने में, मंडी समितियों द्वारा जो सड़कें गांवों में बन रही हैं उनके संबंध में जो काम हो रहे हैं, क्या ये बातें गर्व करने लायक नहीं हैं? जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले गावों की सड़कें बनाने का काम लिया और उसने एक वर्ष में मंडी समितियों द्वारा प्रदेश में 3 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा

[श्री मधुकर दिघे]--
देहातों में सड़कें बनाने का काम इतना कभी नहीं हुआ जितना एक वर्ष में मन्डी समितियों ने किया (....)

श्री श्यामधर मिश्र--

यह कहकर कि पहले कभी नहीं हुआ, आपको भी श्रीमन्, भुलाया जा रहा है।

श्री मधुकर दिघे--

मेरे जिले में बनी हैं। मैं नहीं जानता कि इनके वे विरोधी रहे हैं। मेरे जिले के एक गो0 डब्लू डी0 मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने सकड़ बनाई जो कभी-कभी अपने घर जाते हैं। उस घर तक के लिए दो किलोमीटर तक सड़क बना दी और वह श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से सड़क बनी और पैसा देहात में गया। चुनाव आया तो सभापतियों को बांट दिया वोट के लिये। कह दिया गया कि ईटा पत्थर बिछा दो और पैसा बांट दो। मैं प्रदेश की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार पैसा देने का काम जनता पार्टी के शासन में नहीं होगा। जो रुपया हम दे रहे हैं वह रुपया देहात में योजनाओं के लिये, उद्योगों के लिये, पैदावार, के साधनों को बढ़ाने के लिये और उत्पादन के कामों में दे रहे हैं। शान-शौकत और अय्याशी के लिये नहीं, हमारे घर पर मोटर चली जाय इसके लिये नहीं। इस प्रदेश का जनजीवन ऊपर उठ सके इसके लिये रुपये का इन्तजाम हम कर रहे हैं। इसलिये 15 करोड़ रुपये का प्राविधान पिछले वर्ष किया था और 25 करोड़ रुपये का प्राविधान इस दफा किया है। यह सारा रुपया विधायकों, संसद सदस्यों और जन प्रतिनिधियों की राय से बनने वाली योजनाओं पर खर्च किया जायेगा।

हमारे सामने एक कठिनाई हैं हमें ऐसा ढांचा माननीया बख्शी जी की पार्टी ने बनाकर दिया है, हमसे कहते हैं कि जनतन्त्रवादी नहीं अफसरवादी हैं और सारा अधिकार अधिकारियों को दे दिये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पहला शासन है जिसने सत्ता का विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से किया है, इसके लिये आयोग बैठाने का काम किया है। मैंने पिछले ही बजट में इसका प्राविधान किया था। चूंकि अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग केन्द्र स्तर पर बन गया उसका जो प्रतिवेदन आयेगा समाज के सामने और जनता पार्टी के सामने उस पर विचार करके विकेन्द्रीकरण की नीति बनाई जायेगी। तब हम भी उस काम को करेंगे। जैसे ही विकेन्द्रीकरण की नीति में काम शुरू होगा सारा प्लानिंग का काम लोवर लेविल पर जिस तरह के होंगे, किये जायेंगे। कुछ लोगों ने जो आलोचना की वह साफ हो जायेंगी। हमने लिंक रोड्स के मामले में यह कह दिया है। यह काम हमने यहां से नहीं किया कि मंत्री जी के घर तक सड़क बन जाय। विधायकों और संसद दस्यों तथा जन प्रतिनिधियों की बैठक की ओर कहा कि अपने क्षेत्र की बात बतायें कि कौन सड़क उपयोगी हो सकती है।

श्री श्यामधर मिश्र--

गलत है मान्यवर, मैंने पत्र लिख कर भेजा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। आपके मंत्री ने कहा कि गलती हुई।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, गलती रही होगी। इनकी यह व्यक्तिगत शिकायत हो सकती है। पहले दफे नीच के स्तर पर काम की शुरुआत हुई है। शुरुवात होगी तो छोटी-मोटी गलतियां भी हो जायेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे-जैसे एक-एक कदम हम आगे बढ़ेंगे

मिश्रा जी और रियासत साहब को शिकायत नहीं रहेगी । इसलिये मैं इसका जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा। मान्यवर, मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, एक आरोप है बाहर अखबारों में कि जो पुरानी बहुत सारी योजनायें थी वह समाप्त कर दी गई। कई जगह बिना उनकी फिजैबिलिटी देखे उनका प्रारम्भ कर दिया गया। जब हमने देखा कि यह जनहित में है या नहीं उसकी जांच की जाय और उनको ठीक ठाक करना पड़ा। इस तरह से जो जनहित में थी उनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह हमने जारी रखी। नौयडा योजना थी उसका परीक्षण कराया और जब देखा उसमें बेमतलब के लिये कुछ व्यक्तियों को खुश करने के लिये लम्बा चौड़ा विस्तार कर दिया गया है तो हमने कहा कि यह तो केवल कमाने खाने का धंधा है, उसका परीक्षण करके उसको छोटा कर काम चालू कर दिया। उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप वहां जाकर देख लीजियेगा। मिश्रा जी भी उसका समर्थन करेंगे। कुछ ऐसी भी चीजें है जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं जैसे आटोमेटाइजेशन के सिलसिले में हमारे कई कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि मजदूरों का नुकसान होगा । आटोमेटिक स्पिन्डल्स लगाकर कुछ मिलें यह चालू करने वाले थे, किन्तु यह हमारी नीति नहीं है, जनता पार्टी की नीति नहीं। जनता पार्टी की नीति है ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिले और उस दिशा में हम सचेष्ट होकर अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं। इसलिये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही आटोमेटाइजेशन जरूरी है । हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिये व्यवस्था करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग खप सकें । जो योजनायें हमारी नीति के अनुरूप नहीं थीं, उनको खारिज किया गया है और जो उसके अनुसार थीं, उनको तुरन्त चालू कर दिया गया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

जनता पार्टी है कहां ? यह जनता पार्टी है या घटक है ।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

घटक का हाल तो यह है कि हम इतने में एक हैं और जो एक था, उसमें दो हैं, (व्यवधान) हम इन्दिरा गांधी के अनुयायी नहीं हैं। हम पार्टी तोड़क नहीं पार्टी जोड़क बनना चाहते हैं। मैं आश्चर्य करता हूं विरोधी दल के नेताओं पर कि उन्होंने अपने भाषण में माननीय चिकित्सा मंत्री, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री को बधाई नहीं दी, हरिजन कल्याण मंत्री को बधाई नहीं दी और सेल्सटैक्स मंत्री को बधाई नहीं दी। यदि हम हरिजन के इलाके में पहली दफा अस्पताल खोल रहे हैं, तो क्या यह एक तारीफ की बात नहीं है। लेकिन यह आपको नहीं दिखाई दिया। हमने पी० एम० टी० एक्जामिनेशन के लिये उनके हित में जो व्यवस्था की है, उसके लिये आपको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आप उनको पी० एम० टी० पास कर आते नहीं देखना चाहते हैं, आप तो हरिजनों में वोट के दलाल पैदा करने का काम करते थे और आप चाहते हैं कि यही हम भी करें, तो शायद तारीफ करें। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी हरिजनों का उपयोग वोट के लिये कभी नहीं करेगी, किसी जाति माइनारिटी का उपयोग उसके लिये नहीं करेगी। जनता पार्टी का कार्य होगा समाज का उत्थान, जाति तोड़ो और संपूर्ण प्रदेश का उत्थान और विकास। इसमें विलम्ब हो सकता है।

मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस (ई) के लोगों से विशेष कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप रहोगे या नहीं पता नहीं, हम रहेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन यह देश रहेगा...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

ठीक है आप जरूर नहीं रहेंगे ।

श्री मधुकर दिघे—

आपने तो यह समझ लिया था ..... (व्यवधान) यह चुनाव हुए क्यों ? इस गलतफहमी में हो गए कि माननीय इन्दिरा गांधी .....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर रावण–वध हो रहा है ।

श्री मधुकर दिघे—

मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि जानता हूं कि चोट ज्यादा हो रही है । इस देश में लोग रहेंगे, यह देश अपना है, इस देश का उत्थान करोड़ों लोगों के लिये दो समय भरपेट भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था करने से होगा, देश के लाखों–करोड़ों नवयुवकों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने से होगा । यह कार्य इस प्रदेश के शासन को करना है । मेरा आप से अनुरोध है, निवेदन है और प्रार्थना है कि प्रदेश की इस जनता के कार्य में रुकावट बनकर आप न खड़े हों, इसमें सहयोगी होइये । यदि नहीं, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ने और हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझने का कार्य करेगा, तो शासन मजबूती से अपना कदम उठाने के लिये सदा तैयार रहेगा । इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, विशेष रूप से आपका। मैं बोलना और चाहता था लेकिन अब मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन मेरे बजट का पूरी तरह समर्थन करेगा और मैंने जो टैक्स लगाये हैं उनका भी समर्थन करेगा ।

टैक्सेशन के सिलसिले में पुनः कहना चाहता हूं कि हमने मनोरंजन कर बढ़ाया । होता यह था कि दो रुपये देते थे, 20 पैसे वापस नहीं मिलते थे । न सरकार के खजाने में जाते थे और न उस आदमी की जेब में जाते थे । सरकार के पास जनता की दरख्वास्तें हैं, जिन्होंने कहा है कि 1 रु0 80 पैसा क्यों रखते हैं ? हमने दो रुपया कर दिया। जितनी ट्रालियां पकड़ कर ले आते थे कांग्रेस के आदमी, माननीय बख्शी जी कितनी महिलाओं को ट्रालियों में बैठा कर ले जाती थीं, थाने पर जबरदस्ती ले जाकर चालान कर देते थे । मैंने घोषणा की प्रदेश की सभी ट्रालियां, चाहे किसी कम्पनी की बनी हों, चाहे कोई मेक हो, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे जैसे इस्तेमाल करें उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जायगी । मान्यवर, मैंने पिछले वर्ष ऐसा प्राविधान किया था । पिछली दफा टैक्स को कम करके ज्यादा रुपया कमा लिया था । दिल्ली से गाजियाबाद मिला हुआ है । दिल्ली में कम सेल्स टैक्स पड़ता था हमारे यहां ज्यादा था । तो मैंने कम कर दिया, तो रुपया ज्यादा आया । कांग्रेस वाले क्या करते थे ?

डीजल हमारे प्रदेश का दूसरे पडोसी प्रदेशों में चला जाता था । इसमें क्या होता था ? उनका बहुत सा फायदा होता था । हमारे यहां का किसान त्राहि–त्राहि करता था । ये लोग अपनी गाड़ियों में, चुनाव में, भर कर पड़ोस के प्रदेश में ले जाते थे क्योंकि वहां सेल्स टैक्स यादा था, हमारे यहां कम था । तो अन्य प्रदेशों ने भी जोर दिया, हमने बराबर कर दिया । स तरह से जितने भी प्राविधान किये हैं जनहित में किये हैं, जनता को परेशान करने के लिये

नहीं किये हैं। टैक्स बहुत लोगों को बुरा लगता है। लेकिन 50 रुपये के बजाय 1 हजार रुपये थाने पर दे देते हैं क्योंकि वहां इज्जत का मामला होता है। मैं इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि जनता के लोग, किसान 100 रुपया शासन को दे देंगे अपने प्रदेश की तरक्की के लिये लेकिन अपनी शान और इज्जत और स्वाभिमान को कहीं बट्टा न लगने पाये, थाने पर पकड़ कर न ले जाये जायं,। इसलिये जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसका समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ जो बजट मैंने माननीय सदन के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि इस चर्चा के बाद सर्व सम्मति से उसे स्वीकार करेंगे ताकि अपने प्रदेश की सर्वतोन्मुखी उन्नति हो सके।

श्री अध्यक्ष—

(श्री गुलाब सेहरा के खड़े होने पर) अब समय नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

एक बात केवल पूछने की आज्ञा दें।

मैं वित्त मंत्री जी से एक बात पूंछूगा। यह पत्र जनता पार्टी के लोगों ने चन्द्रशेखर और मोरार जी देसाई को भजा है । इसमें बाते कहीं है, क्या यह सही हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। शान्त रहिए। आप बैठिए। यह पत्र इस वक्त में टेबिल पर नहीं है। इसलिये मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं कहना चाहता हूं कि किस समय सवाल किया जाता है? मुझे नियम में बता दिया जाय। मंत्री ने जो भाषण दिया, अब हमें अधिकार है कि एक दो सवाल कर लें । आप अब इजाजत नहीं देंगे तो किस समय देंगे बजट के संबंध में जानने के लिये मैं मान्यवर कोई असंगत बात नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह सिलसिला आपका बन्द नहीं होगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्नोत्तर का समय नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मुझे केवल एक छोटा सा प्रश्न करने की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइये।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं तो केवल यह कहना.....

श्री अध्यक्ष—

यह आपका अधिकार नहीं है कि प्रत्येक वक्ता के बाद प्रश्न पूछें। 45 मिनट का समय मिला आपको, अपना पक्ष प्रस्तुत किया, वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया। आप स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब आप बैठ जाइये।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप मेरा निवेदन तो सुन लें।

(श्री राम अधार तथा श्री मानसिंह आजाद के खड़े होनें पर)

श्री अध्यक्ष—

राम अधार जी बैठ जाइये। मान सिंह जी आप अनुशासन में रहिए।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं नियम की बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठिए।

श्री गुलाब सेहरा—

इसके स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री गुलाब सेहरा—

पार्टी का नाम लेकर आक्षेप किया जाता है और अनुमति नहीं आप दे रहे हैं।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मिसेज बख्शी आप बैठिए।

अगर किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता है तो उसको अपना स्पष्टीकरण करने का अधिकार है और उसकी मैं अवश्य अनुमति दूंगा लेकिन अगर बहस में उभय पक्ष है, जनता पार्टी पर प्रहार किया जाता है और जनता पार्टी के लोगों को विरोध पक्ष के जो दल हैं चाहे कांग्रेस (आई), कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी है उन पर हमला करने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है और आप के आचरण पर आता है तो आपको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। मैंने देखा है संसद में और यहां पर मैं भी 30 साल से रहा हूं। माननीय श्यामधर जी प्रत्येक वक्ता के बाद बोलने की नयी परम्परा डालना चाहते हैं। जो उनके मन में हैं, उनका मस्तिष्क बड़ा चिन्तित रहता है, वह प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हैं। मेरी आपके साथ सहानुभूति है। अब मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

मेरा सवाल सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

(नियम 51 में आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई है उनमें एक माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री जगदीश मिश्र की है उसका विषय ह, उत्तर प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक छात्रों का पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन तथा प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा न किया जाना । इसको मैंने स्वीकार किया है। एक सूचना श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने गोरखपुर के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के दिनांक 6 अप्रैल, 1978 को सदन में दिए गए स्पष्ट आश्वासन के बावजूद पुलिस अधीक्षक का वहां पर बने रहना तथा पुलिस कर्मचारियों को सरकार के विरुद्ध भड़काने के संबंध में ही है इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । इस पर नियोजन मंत्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

(नियोजन राज्य मंत्री) श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 6 अप्रैल, 1978 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के तबादले के आदेश जारी कर दिए थे । पुलिस महानिरीक्षक से यह जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने पद का कार्यभार 10 अप्रैल को छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सोहनवीर सिंह जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि वहां पर पुलिस लाइन में और पुलिस के अन्य व्यक्तियों ने सामूहिक उपवास और अनशन किया है । उनका यह भी कहना है कि उनको भड़काया गया है । यह जो मैंने भेजा है इसलिये भेजा है कि जिससे मालूम हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है । यदि आप इस समय सूचना दे सकते है तो दे दें, अन्यथा बाद में ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, 17 तारीख दिन सोमवार को दे दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आजमगढ़ के संबंध में मैंने भी एक सूचना सुबह दी थी । यह मुख्य मंत्री जी से संबंधित है । आप इस पर वक्तव्य के लिये उन्हें कह दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे कहा था कि आप इस संबंध में मेरे पास एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजिए, मैं उसको मुख्य मंत्री जी के पास तुरन्त उत्तर के लिये भेज दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें ज्यादा समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक लोकल मामला है और वहां की घटनाओं को लेकर आप जानकारी चाहते हैं । कल आप इसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दे दें । मैं शीघ्रातिशीघ्र उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैंने कल भी और आज भी एक सूचना दी थी उसको नहीं लिया गया है। वह भी नियम 51 के अन्तर्गत थी।

श्री अध्यक्ष—

आपने मुझे इस बात का अधिकार दिया है कि जिनको मैं अपने विवेक से स्वीकार कर सकता हूं, वह करूं। यदि प्रत्येक प्रश्न को लेकर यहां पर विवाद खड़ा किया जाय तो कोई लाभ नहीं होगा यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैंने भी एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था। कल वहां जार्ज फर्नान्डीज गये थे, जिलाधीश ने कहा था.... ..

श्री अध्यक्ष—

हर प्रश्न का कोई औचित्य होना चाहिये। आपने दिया है। तुलनात्मक दृष्टि से जिसको आवश्यक समझूंगा, उसकी स्वीकृति दूंगा। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, स्थिति गंभीर है ?

श्री अध्यक्ष—

स्थित तो तमाम हिन्दुस्तान में गंभीर है। उसमें जो गम्भीरतम हो उसको मुझे लेना पड़ता है।

(स्वास्थ्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में न होने पर)

माननीय उद्योग मंत्री जी होम्योपैथिक छात्रों के सम्बन्ध में आप शीघ्र ही सदन के अन्दर एक वक्तव्य दिला दें।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल ग्रायल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978†

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी अभी बिल लेना है। यह 5 1/2 बजे के बाद में चलेगा, जिसके लिये यहां पर बठना ह। ये आपसे एग्रीमेंट चाहते हैं कि आप चाय पिलवायेंगे ही ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(पुनः आबकारी मंत्री को पुकारे जाने पर और उनके खड़े न होने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, ये होश में नहीं हैं।

***आबकारी मंत्री** (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं दो ही जुमलों में कहूंगा। एक तो यह है कि राजस्व के बढ़ाने में यह मेरे विभाग का अंशदान है। इससे लगभग 6 करोड़ रुपया सालाना की वृद्धि की हम अपेक्षा करते हैं जो मोटर स्प्रिट या डीजल आयल को प्रथम बिक्री पर विक्रय मूल्य पर आठ प्रतिशत और अल्कोहल पर 40 प्रतिशत पहले मिलियन लीटर पर और 20 बाद को, यह कर का प्रस्ताव है।

---

†दिनांक 27 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, अभी बहुत लम्बा भाषण माननीय वित्त मंत्री का माननीय सदन ने सुना और अन्त म माननीय वित्त मंत्री न एक ही बात कही कि वह जो भी कुछ कर रहे ह जनहित में कर रहे हैं, श्रीमन्, जनहित में तो इस प्रदेश क अन्दर कांग्रेस भी जब उधर बैठी थी, तो सारे काम जनहित में कर रही थी और अब जनता पार्टी जनहित में सारे काम कर रही है । यह जनता फैसला करेगी कि जनहित क्या है । उस कुर्सी में बैठ कर जनहित को समझ लेना, क्या है, जो हम करें वही जनहित है, इसमें कभी-कभी धोखा भी हो जाता है, जो कांग्रेस वालों को बहुत बड़ा धोखा हुआ है । मैं इसमें बिलकुल कोई भी संशोधन न ले आता, अगर इसमें से डीजल को निकाल दिया गया होता इसलिये श्रीमन्, पूरा प्रदेश और देश और सब जानते हैं कि डीजल आल्टरनेटिव तेल, आयल निकाला गया । स्प्रिट, पेट्रोल, मोटर स्प्रिट मिलने में जब कमी हुई, उसके दूसरे मुल्क से आने में मुश्किल हुई, उसकी कीमत बढ़ी, तो यह हुआ कि इसका कोई दूसरा तेल निकाला जाय कि जिससे कि गाड़ियां, सवारियां चल सकें और उसके लिये डीजल निकाला गया, जरूरत यह पड़ी कि जो सवारियां, जो इंजन, गरीब आदमी इस्तमाल करता ह, जिसकी पंहुच क बाहर है, पट्रोल के लिये कौन सा फ्यूल हो, तेल की शक्ल क लिय रिसच क बाद डीजल निकला और आहिस्ता-आहिस्ता वह सारी सवारियां, चाहे बस गाड़ियां थी, चाहे ट्रक थे, चाहे इंजन थे, जो पेट्रोल से चलते थे, जिनका इस्तेमाल गरीब आदमी करता था, चाहे वह पंपिंग सेट की शक्ल या बसकी शक्ल में हो, चाहे ट्रक की शक्ल में हो या गन्ना क्रश करने के लिये क्रशर की शक्ल में हो, तो वह वह सारी चीजें जो गरीब आदमी के इस्तेमाल की थीं, उसका आल्टरनेटिव डीजल आयल निकाला था और सारा डीजल आयल उसी मशीनरी में खर्च होता है, जिसका संबंध गरीब आदमी से परे है ।

जिस चीज की कीमत बढ़ती है, यह बिलकुल जानते हैं कि वह घूम-फिर कर कंज्यूमर के ऊपर ही, उस टैक्स का भार पड़ जाता है और उस कंज्यूमर की जेब से ही जाता है । यह कंज्यूमर कौन होगा ? आखिर में उसका बोझ कहां पर पड़ेगा ? बस पर चलने वाले, ट्रक से उठान वाल, कृषि में पानी दन वाले, पंपिंग सेट इस्तेमाल करने वाले के ऊपर या जो गन्ना पेरने वाले मोटर को इस्तेमाल करता ह इंजन, उसक ऊपर, तो अब यह सोचने की बात है कि यह जो कर लगाया है माननीय मंत्री जी ने, वह 6 करोड़ कर दिया, इसमें तो यह भी संकेत नहीं किया माननीय मंत्री जी ने कि यह तीनों जगह जो आप लगाये हैं, उसमें 6 करोड़ का बटवारा कैसे होगा, तो यही देखने से मालूम होता है कि 6 करोड़ रुपये का है और उसका ज्यादा से ज्यादा डीजल पर ही आकर पड़ेगा । एक तरफ तो गरीब जनता के हित के लिये आप अलग-अलग स्कीमें बना रहे हैं और बड़ी शान के साथ अपने भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साबित करने की कोशिश की कि गरीब के हित के लिये जनता पार्टी की सरकार सब से ज्यादा काय कर रही है । मैं उसमें जाने की जरूरत नही समझता, लेकिन अभी 5 मिनट बाद ही मंत्री जी ने ऐसा बिल रख दिया जिसका टैक्स गरीब आदमी पर पड़ने वाला है । इससे दोनों बातों में विरोधाभास हो जाता है और हमको सोचना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी और फिर माननीय मंत्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक रख दिया दोनों में संगति है या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसेन–]

श्रीमन्, 8 फीसदी बिल में था, लेकिन आज के एजेन्डे में जो मैंने अमेंडमेंट पढ़ा तो मालूम यह हुआ कि वह बढ़ करके 12 प्रतिशत होने वाला है । श्री हरीसिंह जी के नाम से अमेंडमेंट लगा हुआ है कि 8 के बजाय 12 कर दिया जाय । तो डयोढ़ा हो गया । वह तो प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि उनको मालूम भी नहीं कि मेरे दस्तखत काहे पर कराये जा रहे हैं और उन्होंने अमेंडमेंट पर दस्तखत कर दिये और उनके नाम से यह बढ़ा दिया गया । आप से भी जाकर शिकायत की । सोहनवीर सिंह जी से भी कहा कि पता नहीं काहे पर दस्तखत करा लिये और हम अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे ? जब मेरठ क्षेत्र के लोग पूंछेगे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पंपिंग सेट, बसेज हैं और रोडवेज से उस रीजन में ज्यादा बसेज प्राइवेट चलती हैं तो वहां पूछा जायगा कि अपने कलम से 8 का 12 कर आये तो कौन सा इनाम मिला है मंत्री जी से ? तो मालूम होता है कि शायद सरकारी संशोधन है जो मंजूर कराने के लिये रखा गया है। इस तरह से तो यह 6 करोड़ का टैक्स भी बढ़ करके 9 करोड़ हो जायगा, क्योंकि उधर 8 का 12, ड़योढ़ा होने जा रहा है । तो इसमें यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है ।

मैं स्वयं यह बात कह चुका हूं कि पैट्रोल में, मोटर स्प्रिट में, अल्कोहल इन तीनों पर अलग 6 करोड़ लगा कर देते तो कम से कम मुझ जैसे आदमी को शिकायत न होती । क्योंकि पैट्रोल का इस्तेमाल समाज के गरीब आदमी की तरफ से कम होता है । गरीब जो टैक्सी पर चलता था, जिसमें पैट्रोल इस्तेमाल होता था, लेकिन उस वक्त उसकी ताकत में था । लेकिन जब पैट्रोल की कीमत बढ़ गयी तो टैक्सी वालों ने टैक्सियां ही बन्द कर दीं । गरीब आदमी फिर बस में जाने पर मजबूर हो गया । या फिर परिवहन मंत्री जी ने कृपा दृष्टि की कि टैक्सी मंहगी हो गयी हैं तो 6000 टैम्पोज को माताडोर को उन्होंने कह दिया कि इनको टैक्सियों से चलाओं । ख्याल यह था कि वे 7 आदमियों से ज्यादा नहीं बैठायेंगे, लेकिन उसमें 20–20 22–22 बैठने लगे, वह भी एक प्रश्न बन गया । तो उनकी कृपा दृष्टि थी कि कई हजार माताडोर बिक नही रहे थे, खड़े के खड़े वे डीजल से चलते हैं तो गरीबों का फायदा होगा । लेकिन आपने उस डीजल पर 8 परसेंट और फिर 12 परसेंट के कर लगा दिया है । टैक्सियों में तो वह चल नहीं पाता था, अब उस माताडोर में भी नहीं चल पायेगा । तो यह सोचने की बात है कि मंत्री जी ने जिसका इस्तेमाल 80 प्रतिशत गरीब आदमी के हित में होता है, उन्हीं से मुताल्लिक सवारियों में, इंजिनों में ही खर्च में आता है और मान्यवर, डीजल पर रिसर्च ही इसलिये हुई कि चूंकि पैट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया था और वह गरीब के इस्तेमाल लायक नही रह गया था, इसलिये इसकी ईजाद की गयी ताकि गरीब इसको इस्तेमाल कर सकें । मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और डीजल को इसमें से निकाल दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं सभी के बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह––

दो मिनट चाहता हूं । मान्यवर, डीजल पर माननीय मंत्री जी जो कर बढ़ाने जा रहे हैं यह जनहित में नही है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब पैट्रोल आदि की कीमत काफी बढ़ गयी तो उसका इस्तेमाल करना कठिन हो गया और जब तक कांग्रेस सरकार रही इस पर टैक्स नहीं बढ़ाया । अब जब से यह सरकार आयी है, केन्द्रीय सरकार ने भी इस पर टैक्स बढ़ा दिया और आप भी बढ़ा रहे हैं । आप यह कितना बड़ा अन्याय गरीब किसानों के साथ कर रहे हैं । जब केन्द्रीय सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो आप तो न बढ़ाते । डीजल का उपयोग गांव वाले छोटे-छोटे इन्जिनों को चलाने में करते हैं । उन पर इसका भार पड़ेगा । इसके कारण उनके कृषि उत्पादन पर व्यय-भार बढ़ेगा । यह बिल्कुल ही जन विरोधी है । गरीबों का सबसे बड़ा अहित इस टैक्स के द्वारा यह सरकार करने जा रही है । मैं कहता हूं कि सरकार यदि

इसे वापस ले ले तो जनहित में सबसे अच्छा काम यह होगा । माननीय मंत्री जी तो मज दूरों के नेता रहे हैं, वे कैसे इसे ले आये ? मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे वापस ले लें ।

(कई सदस्यों को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सब को बोलना इस पर आवश्यक नहीं है ।

एक सदस्य--

मैं पहले खड़ा हुआ था ।

श्री अध्यक्ष--

आपके उप नेता पहले खड़े हुये थे, उनको समय दिया, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि डीजल पर दाम बढ़ जाने से सरकार के बिजली विभाग पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है । देहात में जो भी इंजिन डीजल से चलते थे वे उसे कनवर्ट कराने जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन लेंगे, उससे बिजली पर भार बढ़ेगा इससे आपको भी परेशानी होगी ।

मान्यवर, बिजली के कनेक्शन मिलने में भी दिक्कत पड़ रही है । हमारे ख्याल में डीजल के दाम बढ़ने से बड़ी कठिनाई होगी इस लिये मंत्री जी इस को वापस ले लें तो बेहतर होगा क्योंकि इसका सम्बन्ध गांवों से गरीब जनता को डीजल तो आल्टरनेटिव रूप में इस्तेमाल किया जाता है । जैसे अमीर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और गरीबों के लिये मोटा कपड़ा बना हुआ है सस्ते कपड़े की दुकानें खुली हैं उसी तरह से यह डीजल गरीबों के काम आता है । इसके दाम बढ़ने से किसानों पर प्रभाव पड़ेगा । अगर यह सरकार किसानों की हिमायती अपने को कहती है तो इस बिल को वापस ले लें । डीजल न मिलने से बिजली के कनेक्शनों की मांग बढ़ेगी और कनेक्शन देने में वैसे ही दिक्कत हो रही है । कुटीर उद्योग और छोटे मोटे कारोबार हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा । इसलिये इसको वापस ले लें नहीं तो बिजली के कनेक्शनों की मांग बढ़ेगी और सरकार पर दूसरी तरफ भार बढ़ेगा । अत: इस विधेयक को वापस ले लें ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में 2-4 शब्दों से ज्यादा नहीं कहूंगी मान्यवर, यह सरकार अपने को जनहित की सरकार कहती है लेकिन है बिल्कुल जन विरोधी । मैं बड़े जोरदार शब्दों में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि फौरन आप इसको वापस ले लें । अभी आपके सामने वित्त मंत्री जी ने बड़ा शानदार भाषण दिया और उसमें व्यक्तिगत आक्षेप के फूल बूटे और कढ़ाई भी की । मुझे अफसोस है कि उस शानदार भाषण की शान इस विधेयक के आने से खत्म हो गयी । वित्त मंत्री की सारी मेहनत के ऊपर इस विधेयक ने पानी फेर दिया । इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वित्त मंत्री की मेहनत के ऊपर पानी न फेरें और बड़ी इनायत से वापस ले लें । यह विधेयक जन विरोधी है । अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हम उद्योग धंधों की तरक्की करना चाहते हैं । लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो विधेयक आया है क्या इससे उद्योग-धंधों की तरक्की होगी ? जो छोटे छोटे उद्योग-धंधे हैं इस विधेयक के आने की वजह से और दूसरी मंहगाई की वजह से यह सारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी–]

उद्योग–धंधे ठप हो जायेंगे और उनका बड़ा नुकसान होगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि किसानों के ऊपर रहम करे । वह कहते हैं कि गांव की ओर चलो । तो यह गांव की ओर चलन का नजारा है, बड़ा सुन्दर नजारा है ! यह तो गांवों को लूटने का नजारा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगी लेकिन गांवों की लूट को खत्म करें और इस विधेयक को वापस ले लें, यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)––

मान्यवर, मैं कुछ शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने कही है कि इस कराधान का प्रयोजन यह है कि इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से डीजल की कीमत कम है इसलिये डीजल दूसरे देश को चोरी चला जाता है । मैं समझता हूं कि डीजल के दूसरे प्रदेशों में जाने को रोक न पाने के आधार पर आप डीजल पर टैक्स लगायें यह जन विरोधी है । मैं मंत्री जी से उम्मीद करता था कि वह कहेंगें कि डीजल मोटर स्प्रिट तथा अल्कोहल से अलग-अलग कितना-कितना लाभ हो रहा है । लेकिन अगर डीजल से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह जनहित में होगा । लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कितना कितना लाभ हो रहा है । अगर डीजल की कीमत बढ़ेगी तो इससे गांवों की तरक्की पर असर पडेगा। मैं समझता हूं कि यह जो टैक्शेशन डीजल पर लगाया गया है सिंचाई के साधनों, पंपिंग सेट्स और गांवों में जो चक्कियां हैं उन पर असर पड़ेगा । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है अगर डीजल की समस्या पर पुनर्विचार करके देख लें । यह ग्रामीण जीवन के प्रतिकूल है, यह जन विरोधी है । यह अपने को जनहित की सरकार कहते हैं । यह केवल कहने के लिये कहते हैं करने के लिये नहीं अन्यथा डीजल जैसी चीज जो गांव से जुड़ी है उसमें कराधान न करत । इसलिय मंत्री जी से अनुरोध ह कि वह इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)––

मान्यवर, यह जो बिल श्रम मंत्री जी ने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं यानी जब ऐश की दौलत हो तो बराबर–बराबर तकसीम हो और जब दर्द हो तो बराबर-बराबर तकसीम हो । आप घर में पहले रोटी का इंतजाम करते हैं, फिर कपड़ा और फिर उसके बाद घर का इंतजाम करते हैं और उसके बाद और कोई चीज करेंगे तो तंगी नहीं होगी । मान्यवर, 80 फीसदी गांव का क्षेत्र है तो जब करों को देने की बात आती है तो काश्तकार जिसको चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें तो क्या उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाय और कोई कर उनकी तरफ न जाय । मान्यवर, हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब कोई चीज तामीर करना है तो हर क्षेत्र और हर व्यक्ति, चाहे फिर मजदूर हो या किसान या मिल मालिक सब पर कुछ न कुछ मार पड़ना चाहिये । पेट्रोल पर कर जिसको 30 साल से बढ़ाते चले आये हैं और जो 1.30 रु0 लीटर था वह 3.50 रु0 लीटर मिलता है, कर लेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज गलत नहीं है । इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

मान्यवर, मैंने बड़े गौर से माननीय सदस्यों के दर्द को सुना । माननीय बख्शी ने कहा अभी वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा था वह यह विधेयक पेश करके बिल्कुल उल्टी बात कर दिया आप भूल गयीं कि उनके भाषणों में इसका जिक्र था और उसके साथ ही साथ 6 करोड़ की जो आमदनी की संभावना का जिक्र था उसमें हमारा विचार था कि पैट्रोल और डीजल पर एड वेलरेम 12 प्रतिशत करेंगे जो इसमें नही है । इसलिये मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री के भाषण के अनुकूल मैं चल रहा हूं और किसी प्रकार प्रतिकूल नही हूं ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इसको वापस ले लूं तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं कि लेकिन जो इस समय संशोधन है वह सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का है । तो जब कोई मसला पेचीदा हो तो निसंदेह प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये कहें, यही उसकी सार्थकता होती है । मगर आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है, सिवाय जो तकलीफ आप महसूस करते हैं वह सभी कराधानों में होती है, उसके अलावा, कोई कानूनी या आर्थिक पेचीदगी का जिक्र नहीं हुआ है जिससे कि प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। इसलिये मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो डीजल की कीमत 1972 में 1.72 रु0 लीटर थी वह बढ़कर अब 3.50 लीटर है । इतनी कीमत 6 सालों में बढ़ गयी है । मैं आशा करता था कि मंत्री जी इस गम्भीरता को देखते हुये इसमें इतना करेंगे कि डीजल के हिस्से को निकाल देंगे । मोटर स्प्रिट और अल्कोहल के ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदन की भावनाओं को देखने के बावजूद भी माननीय मन्त्री जी ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और डीजल को नहीं काटा। यह बिल चूंकि जन विरोधी, किसान विरोधी है इसलिए मैं मजबूर हूं कि मैं सदन का त्याग कर दूं ।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :— संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की धारा 3 का संशोधन

"(1) (क) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल का प्रथम बिक्री पर विक्रय–मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा ;

(ख) राज्य में अल्कोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और शेष के लिए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा, जो क्रेता द्वारा देय होगा और ऐसे कर का संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायगा।"

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर जो उपधारा प्रस्तावित की गई है उसके—

(1) खण्ड (क) में शब्द "या डीजल आयल" निकाल दिए जायं।

(2) वर्तमान खण्ड (ख) को पुनः संख्यांकित करके, खण्ड (ग) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय :

"(ख) राज्य में डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर विक्रय मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक से बारह प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा"।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मुझको यह स्वीकार है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इसके विरोध में तो हम जरूर बाहर जायेंगे। यह 8 से 12 कर रहे हैं और मन्त्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं। हम वाक आउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

चाय पी कर तो जाइयेगा।

(श्री श्यामधर मिश्र अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, प्रारम्भ में 8 प्रतिशत की बात थी। अब 12 प्रतिशत का संशोधन मन्त्री ने स्वीकार कर लिया। यह गुमराह करने वाली बात है। इसका उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। किसानों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(श्री गुलाब सेहरा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर जो उपधारा प्रस्तावित की गई है उसके—

(1) खण्ड (क) में शब्द "या डीजल आयल" निकाल दिए जायं।

(2) वर्तमान खण्ड (ख) को पुनः संख्यांकित करके, खण्ड (ग) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय :

"(ख) राज्य में डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर विक्रय मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से, तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक से बारह प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायगा और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, जैसा कि संशोधित किया गया है, इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3 से 5 तक

3—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, शब्द "जिसने धारा 13 का इस अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों" बढ़ा दिए जायेंगे।

4—मूल अधिनियम की धारा 14–ख में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21" रख दिए जायेंगे।

5—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान, 1978 [उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1978] (संशोधन) अपवाद अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा–संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा–संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष—

श्री हरी सिंह जी का जो संशोधन है, अब अनावश्यक हो गया है। इसलिए इसको पेश नहीं किया जाता।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 1 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, और शीर्षक प्रस्तावना, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, अब तो कुछ कहना शेष रहा नहीं क्योंकि जो लोग उपस्थित हैं, सभी इसके पक्ष में हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया उसको प्रस्तुत तो करें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को पूर्वाह्न 11-00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
12 अप्रैल, 1978।

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 612 पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के छात्रों की मांगों की सूची

विधि के छात्रों की मांगें	विश्वविद्यालय द्वारा मांगों पर लिया गया निर्णय
1	2
1—45 प्रतिशत पर उत्तीर्ण किया जाय, जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया है	1—मांग मान ली गई।
2—60 प्रतिशत पर प्रथम श्रेणी दी जाय	2—मांग मान ली गई।
3—बैंक पेपर की व्यवस्था की जाय	3—विचाराधीन है।
4—विधि के छात्रों के लिए अलग छात्रावास बनाया जाय	4—विचाराधीन है विश्वविद्यालय से विस्तृत प्रस्ताव आने पर उस पर शासन द्वारा कार्यवाही की जायगी।
5—एल0 एल0 एम0 के छात्रों को स्कालरशिप अधिक दी जाय	5—विचाराधीन है।
6—विधि भवन के प्रांगण को अच्छी तरह सुसज्जित किया जाय	6—मांग मान ली गई।
7—विधि के छात्रों का परीक्षा शुल्क कम कर दिया जाय	7—यह नीति विषयक मामला है। परीक्षा शुल्क कम करने का मामला अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।
8—विधि के छात्रों को राष्ट्रीय सेवायोजना कोर्स करने की सुविधा प्रदान की जाय	8—मांग मान ली गई।
9—एल0 एल0 एम0 में प्रवेश पोस्ट ग्रेजुएट की तरह किया जाय	9—मांग मान ली गई।
10—अन्य विभागों की भांति विधि के छात्रों को अधिक पुस्तकों की सुविधा प्रदान की जाय	10—मांग मान ली गई।
11—विधि कक्षा में अध्ययन के साथ-साथ कोई भी डिप्लोमा करने की सुविधा दी जाय	11—यह मांग बार-कौंसिल के नियमों के अनुसार मानने योग्य नहीं है।
12—ट्यूटोरियल हफ्ते में एक दिन हो	12—विचाराधीन है।
छात्र संघ की सामूहिक मांगें	**निर्णय**
1—पुस्तकालय की व्यवस्था	1—मांग मान ली गई है।
2—शिक्षण शुल्क माफी का प्रतिशत बढ़ाया जाय	2—समस्त राज्य विश्वविद्यालय की शुल्क मुक्ति की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए छात्रों की इस मांग को मानना सम्भव नहीं है।

1	2
3--स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को 45 प्रतिशत पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाय	3--स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत पर द्वितीय श्रेणी प्रदान किए जाने पर मांग मान ली गई है और स्नातकोत्तर पर 45 प्रतिशत पर द्वितीय श्रेणी दिए जाने की मांग विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।
4--विकास शुल्क समाप्त किया जाय	4--विचाराधीन है।
5--उपस्थिति को समाप्त किया जाय	5--विचाराधीन है।
6--मौखिक परीक्षा समाप्त की जाय	6--विचाराधीन है।
7--किसी प्रकार का विलम्ब दण्ड न लिया जाय	7--मांग मान ली गई।
8--छात्र-सहायता कोष में अधिक धनराशि दी जाय	8--विचाराधीन है।
9--अधिकांश शोध-छात्रों को शोध-छात्रवृत्ति	9--विचाराधीन है।
10--रियल एनलसिस को बी0 एस-सी0 प्रथम वर्ष में से समाप्त किया जाय	10--विचाराधीन है।
11--एम0 एस-सी0 की प्रायोगिक परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार अलग-अलग हों	11--मांग मान ली गई।
12--40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्रों का भी प्रवेश विधि विभाग में लिया जाय	12--बार-कौंसिल के नियमों के अनुसार यह मांग मानना सम्भव नहीं है।
13--विधि के छात्रों को परीक्षा में बैठने के तीन साल के प्रतिबन्ध को हटाया जाय	13--मांग मान ली गई।
14--नियुक्तियों में की जाने वाली धांधलियों को समाप्त किया जाय	14--विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्तियां अधिनियम तथा परिनियम के अनुसार की जाती हैं फिर भी कथित धांधलियों में जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
15--विधि संकाय के अध्यक्ष को डीन फैकल्टी आफ ला से हटाया जाय	15--विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परिनियम के अनुसार यह मांग मानना सम्भव नहीं है।
16--पुनर्मूल्यांकन के लिए समय निर्धारित होना चाहिए और निर्धारित अवधि के अन्तर्गत परीक्षाफल घोषित होना आवश्यक है	16--मांग मान ली गई।
17--उत्तर पुस्तिकाओं को दूर न भेजा जाय और परीक्षाफल परीक्षा-तिथि की निश्चित अवधि के बाद अवश्य घोषित कर दिया जाय	17--मांग मान ली गई।

1	2
18--विभागाध्यक्षों द्वारा इक्जामिनर न बनाए जायं	18--मांग मान ली गई।
19--विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों की साझेदारी होनी चाहिए	19--मांग मान ली गई।
20--आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0, लाइब्रेरी साइन्स, हैण्डिक्राफ्ट्स जैसी अनेक व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाय	20--विचाराधीन है।
21--एक साथ दो डिग्रियां प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाय	21--विचाराधीन है।
22--छात्र जब विश्वविद्यालय की किसी कक्षा में जिस तिथि से प्रवेश ले तभी से फीस ली जाय अथवा 10 मास की फीस ली जाय	22--समस्त शिक्षा संस्थाओं में 12 माह की फीस ली जाती है अत: छात्रो की यह मांग मानना सम्भव नहीं है।
23--विज्ञान के छात्रों की सेमिनार कक्षाएं खोली जाय	23--मांग मान ली गई है।
24--पत्रिकाएं छपवाई जायं।	24--मांग मान ली गई।
25--मिलिट्री साइन्स में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाय	25--मांग मान ली गई।
26--संगीत तथा ललित कला में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोली जायं	26--विचाराधीन है।
27--स्टूडेन्ट्स होम एवं विश्वविद्यालय कैंटीन खोली जाय	27--मांग मान ली गई।
28--डेलिगेसी के छात्रों की फीस अन्य छात्रों के समान ली जाय	28--विचाराधीन है।
29--मेस को चलाने में विश्व विद्यालय की साझेदारी होनी चाहिए	29--मांग मान ली गई।
30--छात्रावासों में अनियमित एवं अवैध रूप में रहने वाले छात्रों को निकाला जाय	30--मांग मान ली गई।
31--बी0 एड0 तथा एम0 एड0 में सीटें बढ़ाई जाय	31--मांग मान ली गई।
32--छात्रों को कोआपरेटिव की दुकान से सारा सामान उपलब्ध कराया जाय	32--मांग मान ली गई।
33--जिमनेजियम खोला जाय	33--मांग मान ली गई।
34--खिलाड़ियों को ब्लेजर दिया जाय। स्पोर्ट्स कोटा में फीस माफी का प्रतिशत बढ़ाया जाय	34--मांग मान ली गई।

1	2
35--सांख्यिकी की स्नातकोत्तर कक्षाएं खोली जायं	35--विचाराधीन है।
36--हास्टल में मेंन्टीनेन्स के लिए एक कमेटी बनाई जाय	36--मांग मान ली गई।
37--अराजकता एवं गुण्डा गर्दी को समाप्त करने के लिए एक कमेटी बनाई जाय	37--मांग मान ली गई।
38--डेलीगेसी लाज का मासिक शुल्क 18 रु0 से 11 रु0 किया जाय	38--मांग मान ली गई।
39--चूंकि विधि विभाग की पूरक परीक्षाएं व्यस्त समय में हुईं और परीक्षाफल बहुत ही खराब हुआ है ऐसी स्थिति में तत्काल कानपुर विश्व विद्यालय की तरह 15 प्रतिशत विशेष सुविधा देकर तत्काल परीक्षाफल घोषित किया जाय	39--चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित कर दिया है अत: अब इस मांग का कोई औचित्य नहीं है ।
40--ललित कला के अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाय	40--विचाराधीन है।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 627 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, 2 पुराना विधायक निवास, लखनऊ द्वारा 9 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उल्लिखित मांगे

1—व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

2—शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से न हटाया जाय।

3—शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित किये जायं तथा अन्तरिम अवधि में 150.00 रु0 तदर्थ बढ़ोत्तरी की जाय।

4—मानक एवं समायोजन के नाम पर की जाने वाली छटनी बन्द की जाय।

5—समझौता के अनुसार पेंशन समानताओं को 30 जून, 1974 तथा उसके पश्चात् अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों पर लागू किया जाय तथा ग्रेच्युटी भी दी जाय इसके पूर्व अवकाश ग्रहण किये हुए शिक्षकों को भी इसी दर से पेंशन दी जाय।

6—शिक्षकों के लिये वेतन आयोग द्वारा स्वीकृति सेलेक्शन ग्रेड के आदेश तुरन्त निर्गत किये जायं।

7—वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय समस्त अवशेषों को तुरन्त भुगतान किया जाय।

8—अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन से की गयी कटौतियों को नगद रूप में भुगतान किया जाय तथा यह योजना समाप्त की जाय। उन विद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इस मद में काटे गये धन को नियमानुसार जमा नहीं किया है।

9—उपभोक्ताकारी मूल्य सूचकांक के दोष दूर कर मंहगाई भत्ते को मूल्यस्तर की वास्तविक वृद्धि से सम्बद्ध किया जाय।

10—मनमाने ढंग से विद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित करने की प्रक्रिया समाप्त की जाय। इस प्रकार अब तक की गयी घोषणाओं को निरस्त किया जाय तथा वास्तविक अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों पर अन्य विद्यालयों के समान सेवा दशाएं लागू की जांय।

11—20 मई, 1977 तक कार्यरत सभी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को तदर्थ नियुक्तियां नियमित मानी जांय तथा जूनियर हाई स्कूल होने वाले विद्यालयों के अर्हता सम्पन्न प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाय।

12—शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षा अधिकारियों के चयन हेतु एक शिक्षा सेवा आयोग गठन किया जाय।

13—व्यायाम, आशुलिपि, सिलाई, कामर्स तथा क्राफ्ट-टेक्निकल शिक्षकों का वेतनमान तुरन्त संशोधित किया जाय तथा विज्ञान प्रदर्शकों की काटी गयी वृद्धियों तथा सेवा अवधि का लाभ दिया जाय।

14—समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर अविलम्ब लाया जाय ।

15—शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाय तथा जनपद मंडल एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की संयुक्त परामर्शदात्री समितियां बनायीं जायं ।

16—शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाय ।

17—कार्यरत अनभवी शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जायं ।

18—शिक्षकों के लिये निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाय ।

19—वर्ष 1972 के बाद अनुदान सूची पर लाये गये विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन निर्धारण भी अन्य शिक्षकों की भांति सेवा काल के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करके किया जाय ।

20—लघु माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को समान वेतन दिये जायं ।

21—शिक्षक पाल्यों के लिये सभी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

22—जिला परिषदों के सम्पत्ति कर से शिक्षकों को मुक्त किया जाय ।

23—अप्रैल, 1971 से पूर्व का अध्यापकों के देय वेतन का भुगतान किया जाय ।

24—राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों के लिये आवासीय एवं पर्वतीय सीमान्त भत्ता दिया जाय ।

25—लिपिक एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पेंशन एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाय तथा उनकी सेवा दशा को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की परिधि में लाकर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाय ।

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 631 पर)

विवरण-पत्र

जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु मानक

---

(1) जहां ग्रामीण जनता एवं ग्राम सभायें अपने प्रयास से निर्धारित माप का भवन बना कर देने को तैयार हों।

(2) जिन आवादियों की जन संख्या 300 या इससे अधिक हो और अभी तक प्राइमरी शिक्षा की सुविधा 1·5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध न हो।

(3) क्षेत्रीय असमानता दूर करने के उद्देश्य से।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों को 20 प्रतिशत विद्यालय दिया जाय।

सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु मानक

---

(1) क्षेत्रीय असमानता दूर करने तथा प्रदेशीय साक्षरता प्रतिशत से पिछड़ापन निवारण करने हेतु,

(2) छात्र संख्या की दृष्टि से पिछड़े हुए जनपदों को प्राथमिकता दी जाय,

(3) जहां की जनसंख्या 1,000 या इससे अधिक हो और अभी तक सीनियर बेसिक स्कूल की स्थापना न हो पायी हो,

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में 20 प्रतिशत विद्यालयों की स्थापना,

(5) 3 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य सीनियर बेसिक स्कूल का न होना;

तथा

(6) ग्रामीण जनता एवं ग्राम सभाओं का अपने प्रयास से निर्धारित माप का भवन बनवाकर देने को तैयार होना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 632 पर)

वाराणसी सर्किल सिंचाई कर्मचारी संघ, लाल दरवाजा, गाजीपुर के अध्यक्ष, श्री रामसुन्दर शास्त्री के पत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1978 में उल्लिखित मांगों का विवरण।

(1) जीवनधारी निम्नतम वेतन निर्धारित करते हुए तमाम प्रकार के काउडर का सही वेतनमान पुनः निर्धारित किया जाय। जब तक नया वेतनमान लागू नहीं किया जाता तब तक अंतरिम सहायता दी जाय।

(2) समान पद के लिये समान वेतन दिया जाय।

(3) तीन वर्ष या उससे ऊपर कार्यरत रेगलर कर्मचारियों को उसी तिथि से स्थायी किया जाय जिस तिथि को उन्होंने तीन वर्ष पूरे कर लिये हों।

(4) तीन वर्ष या उससे ऊपर कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उसी दिन रेगुलर माना जाय जिस दिन उन्होंने तीन वर्ष कार्य पूरे कर लिये हों।

(5) छटनी शुदा कर्मचारियों को फौरन काम पर रखा जाय तथा छंटनी के पहले की कार्य अवधि खंडित किये वगैर समायोजित की जाय।

(6) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नतियां विभागीय कार्यरत वर्कचार्ज व रेगुलर कर्मचारियों से ही की जाय।

(7) सिंचाई विभाग के खंडीय लेखाकार का चुनाव सिंचाई विभाग में कार्यरत लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों से ही किया जाय।

(8) अधिदर्शकों/ओवरसियरों को भी ज्येष्ठता के आधार पर सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था की जाय।

(9) ड्राफ्ट्समैन (सिविल या मैकेनिकल) को विभाग में ओवर सियर व सुपरवाइजरों के पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाय।

(10) सिंचाई विभाग में काम करने वाले हर श्रेणी के कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें दी जांय या मकान भत्ता दिया जाय।

(11) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में ही पदस्थ किया जाय।

(12) सिंचाई कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली बनाई जाय तथा प्रत्येक स्तर के काडर के लिये प्रमोशन चैनल बनाया जाय।

(13) सिंचाई कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाय।

(14) साइडो एवं वर्कशापों में कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय।

(15) वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता व अन्य सुविधायें प्रदान की जायें।

नत्थी "ड"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

एक अधिशासी अभियन्ता के संबंध में उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उनकी रिट याचिका 'अलाऊ' (allow) कर दी थी कि विभागीय जांच में कुछ कमियां रह गयी हैं। साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि दुबारा आरोप पत्र देकर फिर से विभागीय जांच करान में कोई रुकावट नहीं है। अतः पुनः कार्यवाही का जा रही है और इन्हें नियमानुसार निलम्बित माना गया है।

2—दूसरे अधिशासी अभियन्ता के संबंध में उच्च न्यायालय ने बरखास्तगी के आदेश को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया है। अतः, इनके विरुद्ध 'कारण बताओ' नोटिस के स्टेजे से पुनः कार्यवाही की जा रही है और नियमानुसार इन्हें भी निलम्बित माना गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 645 पर)

तालिका

देवरिया जनपद के वर्ष 1976–77 में निम्न मार्ग विभिन्न योजना में स्वीकृत हुए हैं।

क्रम-संख्या	योजना एवं मार्ग का नाम	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई	अगस्त, 1977 तक पूर्ण हुए मार्ग की लंबाई कि0मी0	शेष मार्ग की लम्बाई पूर्ण करने का लक्ष्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	मंत्रि परिषद् की उपसमति द्वारा स्वीकृत कार्य—				
1	रुद्रपुर नरायनपुर मार्ग	7.00	..	मार्च, 1980	
	योग ..	7.00	..		
2	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मार्ग—				
1	बोदरवार मंसूरगंज मार्ग	6.7	4.7	मार्च, 1979	
2	बरवा बाजार पकरियार मार्ग	1.86	..	मार्च, 1979	
3	पिपरा बाजार बलुकडिया मार्ग	2.90	..	मार्च, 1979	
4	टेडीरामपुर खुर्द मार्ग	2.22	..	मार्च, 1979	
5	तमकुही सिसवा नहर मार्ग	3.00	3.0	पूर्ण है।	
6	फाजिलनगर बघौच घाट मार्ग	2.00	..	मार्च, 1978	
7	फाजिलनगर तुर्कपट्टी मार्ग	2.00	2.00	पूर्ण है।	
8	देवरिया घूस बंजरिया नारायनपुर मार्ग	2.00	..	मार्च; 1979	

1	2	3	4	5	6
9	मलुअनी पकरीबाजार मार्ग	2.00	..	मार्च, 1979	
10	बैरिया फतेहपुर मार्ग	0.80	..	10 प्रतिशत से कम प्रगति के कारण कार्य नहीं करना है ।	
11	देशई देवरिया भटनी-दादन मार्ग	2.50	..	मार्च, 1979	
12	बरेठा बरेजी मार्ग	4.00	..	मार्च, 1979	
13	तिवारीपुर मझवलिया मार्ग	2.00	..	जून, 1978	
14	महदहा डोपोलिया मार्ग	1.50	..	दिसम्बर, 1978	
15	सोहनपुर रामपुर बुजुर्ग मार्ग	4.00	0.06	मार्च, 1979	
	योग ..	39.48	10.30	..	
3	त्वरित योजना के मार्ग—				
1	मसैला भागलपुर मार्ग	10.74	..	मार्च, 1979	
2	सलेमपुर बरेली मार्ग	9.86	4.0	मार्च, 1979	
3	पडरौनी कुबेर नाथ मार्ग	9.50	..	मार्च, 1979	
4	भिगारी भवानीछापर मार्ग	10.00	4.0	मार्च, 1979	
5	पचस्खा करकोलघाट मार्ग	6.00	..	मार्च, 1980	
6	देशई देवरिया भुटनोटा दन मार्ग	2.74	..	मार्च, 1978	
7	फाजिलनगर बघोचघाट मार्ग	9.00	..	मार्च, 1979	
8	तमकुही सिसवा नाहर मार्ग	1.70	1.70	पूर्ण है ।	
9	जोलहपुर अहिराला मार्ग	4.50	3.0	मार्च, 1978	
10	महैन मैहनघाट मार्ग	0.50	0.05	पूर्ण है ।	
	योग ..	64.54	13.20	..	

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2—3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 645 पर)

संलग्नक "क"

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या	ग्राम का नाम	28-2-78 तक निर्मित पक्की गूल की लम्बाई मील में	अवशेष बनाई जाने वाली गूल की लम्बाई
1	2	3	4	5
1	104 आर0 बी0	गैरा	0—7—330—0	0—0—330
2	105 „	मटीही	0—5 330—0	0—2—330
3	108 „	एवती	0 4 0 0	4 0
4	113 „	पांडेपुर	0 7 0 0	1 0
5	114 „	ताड़ी बढ़ागांव	0 4 0 0	4 0
6	120 „	करौंदी	0 4 0 0	4 0
7	121 „	नफरपुर	0 6 0 0	2 0
8	122 „	अतरसुआ	0 4 500 4	3107
9	123 „	नारायनपुर	0 7 0 0	10 0
10	125 „	उद्धरन	0 7 0 0	1 0
11	130 „	मुहम्मदपुर	0 7 0 0	1 0
12	131 „	मुबारकपुर	0 6 0 0	2 0
13	134 „	तेंदुवा	0 2 0 0	6 0
14	135 „	शाहूपुरटिटिही	..	1 0 0
15	136 „	बभनौली	..	1 0 0
		योग ..	8 7 550 6	0 160
16	85 बी0 जी0	भोजपुर	0 7 0 0	1 0
17	88 „	श्रीकान्तपुर	0 1 0 0	7 0
18	89 „	कोटवां	0 2 0 0	6 0
19	91 „	शिवपुर	0 2 0 0	6 0
20	92 „	मुरलीछपरा	0 0 330 0	7 330
21	93 „	बोआखास	0 2 330 0	5 330
22	95 „	मुदाडीह	0 5 0 0	3 0
23	96 „	डुमरी	0 2 0 0	6 0
24	98 „	छोटी नरही	0 4 0 0	4 0
25	99 „	कथरिया	0 4 0 0	4 0
26	101 „	इकवारी	0 2 0 0	6 0
27	102 „	कारो	0 6 0 0	2 0
28	103 „	कुथिया	0 1 320 0	6 340
29	104 „	उघोदवनी	0 4 0 0	4 0
30	105 „	कृपालपुर	0 2 330 0	5 330

1	2	3	4					
31	106 „	चान्दपुर	0	5	0	0	3	0
32	107 „	भगवानपुर	0	0	330	0	7	330
33	108 „	बथेवा	0	2	0	0	6	0
34	109 „	बसदेवा	0	1	0	0	7	0
35	110	किशनपुरा	0	6	330	0	1	330
36	111 „	जगदेवा	0	5	0	0	3	0
37	112 „	चकिया	0	1	330	0	6	330
38	113 „	मझौवा	0	0	330	0	7	330
39	114 „	दाचार	0	2	330	0	5	330
40	115 „	दीनका छपरा	0	3	0	0	5	0
41	116 „	एक बनी	0	6	0	0	2	0
42	117 „	कोपवा	0	6	0	0	2	0
43	118 „	करनई	0	2	0	0	3	0
44	119 „	दुबहढ	0	5	0	0	3	0
45	120 „	अमडरिया	0	1	0	0	7	0
46	121 „	अखार	0	2	330	0	5	330
17	122 बी0 जी0	बादिलपुर	0	1	508	0	6	552
18	126 „	फिरोजपुर	0	2	335	0	5	325
49	127 „	रामपुरमहावल	0	1	440	0	6	220
50	123 „	चकरुरायका बोल		..	1	0		0
51	124 „	जयप्रकाश		..	1	0		0
52	125 „	कपूरी नरायनपुर		..	1	0		0
		योग ..	12	5	613	24	2	047
53	54 बी0डी0जी0	नैना	0	6	0	0	2	0
54	55 „	बरियारपुर	0	6	0	0	2	0
55	66 „	बिधुनवुरा	0	6	0	0	2	0
56	67 „	गोपालपुर	0	7	330	0	0	330
57	72 „	वेस्वारबारी	0	7	330	0	0	330
58	74 „	फिरोजपुर	0	6	440	0	1	220
59	75 „	विशहर	0	2	0	0	6	0
60	77 „	वधुरी	0	3	0	0	5	0
61	78 „	बरमपुर	0	2	288	0	5	372
62	82 „	जिगिढ़सर	0	2	0	0	6	0
63	83 „	इसार पिठा पट्टी	0	2	116	0	5	544
64	85 „	पकहा	0	4	330	0	3	330
65	87 „	सुमवल	0	4	165	0	3	495
66	88 „	मखरा	0	4	330	0	3	330
67	89 „	छपिया	0	4	0	0	4	0
68	90 „	बबरापुर	0	1	330	0	6	330
		योग ..	8	6	109	7	1	641

परिशिष्ट "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 652 पर)

शिकायतों का विवरण

1—प्रबन्धक श्री भागवत शरण जायसवाल की अवैधानिक रूप से निलम्बित करने की कार्यवाही करना ।

2—अध्यापकों तथा कर्मचारियों को भयभीत एवं परेशान करना ।

3—प्रबन्ध समिति का चुनाव विवाद-ग्रस्त रखा गया ।

4—विद्यालय के कुछ अभिलेखों को प्रबन्धक द्वारा अपने कब्जे में रख लेना ।

पी० एस० यू० पी०—18 वि० सभा०—21-7-77—843 (हिन्दी) ।